25वीं वार्षिक रिपोर्ट
25th Annual Report
2021-2022

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

NATIONAL HANDICAPED FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India)

सीआईएन/CIN: U74140HR1997NPL033466

माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार जी का स्वागत करते हुए निगम के अधिकारी

20.10.2021 को झाँसी (उ.प्र.) में आयोजित महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम
में माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

25 वीं th वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2021-22

नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैन्स एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL HANDICAPPED FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(CIN:U74140HR1997NPL033466)

(Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan),
Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India)

पंजीकृत कार्यालय	:	रेडक्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद (हरियाणा)-121007
Regd. Office	:	Red Cross Bhavan, Sector-12, Faridabad (Haryana)-121007
कॉर्पोरेट कार्यालय	:	यूनिट नं. 11 एवं 12, ग्राउण्ड फ्लोर, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेस-1, नई दिल्ली-110020 दूरभाष: 011-45803730, 45088636
Corporate Office	:	Unit No. 11 & 12, Ground Floor, DLF Prime Tower, Okhla Phase-1, New Delhi-110020 Phone : 011-45803730, 45088636
ईमेल/ E-mail	:	nhfdc97@gmail.com
वेबसाइट/ Website	:	www.nhfdc.nic.in

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

(23 सितम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार / As on 23rd September, 2022)

1.	श्री राजन सहगल	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएचएफडीसी
	Shri Rajan Sehgal	Chairman-cum-Managing Director, NHFDC
2.	श्री संजय पाण्डे	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
	Shri Sanjay Pandey	Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI
3.	श्री किशोर बाबूराव सुर्वाड़े	उप महानिदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
	Shri Kishor Baburao Surwade	Deputy Director General, Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, GoI.
4.	श्री मितेश सिन्हा	महा प्रबंधक, आईडीबीआई बैंक लि0
	Shri Mitesh Sinha	General Manager, IDBI Bank Ltd.
5.	डॉ. अलका शर्मा	वरिष्ठ सलाहकार/वैज्ञानिक 'एच' बायोटेक्नोलॉजी विभाग, चिकित्सा जैवप्रौद्योगिकी प्रभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
	Dr. Alka Sharma	Senior Adviser/Scientist ' H' Dept. of Biotechnology, Medical Biotech. Div., Ministry of Science & Technology, GoI.
6.	डॉ. प्रियंका चौधरी	गैर सरकारी निदेशक
	Dr. Priyanka Chaudhry	Non-Official Director
7.	डॉ. जवाहरलाल जोंग्लुजू	गैर सरकारी निदेशक
	Dr. Jawaharlal Zongluzu	Non-Official Director
8.	डॉ. प्रिय शील हाडा	गैर सरकारी निदेशक
	Dr. Priya Sheel Hada	Non-Official Director

श्री रणजित कुमार मिश्र	कंपनी सचिव
Shri Ranajit Kumar Mishra	Company Secretary
आंतरिक लेखापरीक्षक	मैसर्स पवन शुभम एण्ड कंपनी, चार्टेड अकाउंटेंट्स 601, रूट्स टॉवर, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110092
Internal Auditors	M/s. Pawan Shubham & Co., Chartered Accountants, 601, Roots Tower, Laxmi Nagar District Centre, New Delhi-110092
सांविधिक लेखा परीक्षक	मैसर्स ग्रोवर, लल्ला एण्ड मेहता, चार्टेड अकाउंटेंट्स 90/20, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
Statutory Auditors	M/s. Grover, Lalla & Mehta, Chartered Accountants, 90/20, Malviya Nagar, New Delhi-110017

सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	वार्षिक साधारण बैठक की सूचना	01
2.	अध्यक्षीय वक्तव्य	02-03
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	04-48
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	49
5.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	50-59
6.	31 मार्च 2022 को तुलन पत्र	60
7.	31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का विवरण	61
8.	इक्विटी के परिवर्तनों का कथन	62-63
9.	नकदी प्रवाह विवरण	64
10.	वित्तीय विवरणों के अंग टिप्पण	65-114
11.	परोक्षी प्रपत्र	115

INDEX

Sl. No.	Subject	Page No.
1.	Notice of Annual General Meeting	01
2.	Chairman's Statement	02-03
3.	Board's Report	04-48
4.	Comments of Comptroller & Auditor General of India	49
5.	Report of Statutory Auditors	50-59
6.	Balance Sheet as at 31.03.2022	60
7.	Statement of Income & Expenditure Account for financial year ended 31.03.2022	61
8.	Statement of Changes in Equity	62-63
9.	Cash Flow Statement	64
10.	Notes forming part of the Financial Statements	65-114
11.	Proxy Form	115

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कि निम्नलिखित कार्य करने के संबंध में नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन की 25वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को सांय 4.00 बजे इंडिया हैबिटेट सेंटर, हैबिटेट वर्ल्ड, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जाएगी:-

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ-साथ उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त करना, उन पर विचार करना और अंगीकृत करना।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स ग्रोवर, लल्ला और मेहता, चार्टेड अकाउंटेंट्स का पारिश्रमिक निश्चित करना एवं इस संबंध में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित पारित करनाा

   "संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) और अन्य लागू उपबधों (यदि कोई हो) के अनुसरण में, निगम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त मैसर्स परीक्षक मैसर्स ग्रोवर, लल्ला और मेहता, चार्टेड अकाउंटेंट्स, निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में 2,50,000/- रुपये (दो लाख और पचास हजार रुपये मात्र) और जीएसटी (लागू दर पर) का भुगतान करने का एतद् द्वारा अनुमोदन किया जाता है।''

   "आगे यह संकल्प भी लिया जाता है कि निगम द्वारा लेखापरीक्षा के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए यात्रा और आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार की जाएगी।"

कृते नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन
के निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
(आर.के. मिश्र)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 23 सितंबर, 2022

Note:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हकदार है। वैध प्रतिनिधि को बैठक आयोजित करने के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। रिक्त प्रॉक्सी फार्म इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम प्रपत्र, 2014 के नियम 19(1) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी का सदस्य (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप) नहीं होगा किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हकदार है जब तक कि ऐसा अन्य व्यक्ति भी ऐसी कंपनी का सदस्य न हो।

अध्यक्षीय वक्तव्य
25वीं वार्षिक साधारण बैठक

सज्जनों

मैं निदेशक मंडल की ओर से नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैन्स एंड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी) की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

यह वित्त वर्ष कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का गवाह बना। हम अपने अनुशासन, संकल्प और सुरक्षा उपायों के माध्यम से कठिन समय को संबोधित करने में सक्षम रहे हैं। एनएचएफडीसी ने अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से महामारी के खिलाफ लड़ाई में भी योगदान दिया है। निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षा उपायों का उचित ध्यान रखते हुए दिव्यांगजन की सेवा करना जारी रखा।

1. प्रदर्शन और उपलब्धियाँ

महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच, निगम वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 16,713 दिव्यांगजन के लाभ के लिए 112.75 करोड़ रुपये की राशि जारी करने में सक्षम रहा है। 31 मार्च, 2022 तक, निगम ने 2.18 लाख से अधिक दिव्यांगजन के लाभ के लिए 1347.37 करोड़ रुपये के ऋण जारी किए।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में कौशल प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन है और महामारी ने कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में चुनौतियां पेश की हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निगम के समग्र प्रदर्शन को समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा 'बहुत अच्छा' के रूप में रेट किया गया था। स्व-मूल्यांकन के अनुसार, निगम को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 'बहुत अच्छी' रेटिंग बनाए रखने की उम्मीद है

2. योजनाओं/दिशा-निर्देशों के सरलीकरण के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निगम ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जो इस प्रकार हैं: –

i) शिक्षा ऋण पर ब्याज की दर को घटाकर 4% प्रति वर्ष कर दिया गया है

ii) शिक्षा ऋण के तहत पुनर्भुगतान अवधि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वीकृत पुनर्भुगतान अवधि के साथ संगत होगी।

iii) लाभार्थी की मृत्यु की तारीख से ऋण अवधि के दौरान दिव्यांगजन लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में ब्याज माफ करना ।

3. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

निगम ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों को अपनाया है। निगम के मामलों में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं और हम इन सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

4. भावी दृष्टिकोण

मैं निगम से हितधारकों के विशाल जनादेश और अपेक्षाओं से अवगत हूं। एनएचएफडीसी योजनाओं के तहत अभी तक कवर किए जाने वाले दिव्यांगजन की संख्या को ध्यान में रखते हुए, निगम क्रेडिट आउटरीच का विस्तार करने के लिए चैनल भागीदारों के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। निगम में दिव्यांगजन को लाभ पहुँचाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य में निधि की उपलब्धता कोई मुद्दा नहीं है। निगम सभी प्रकार के दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे सरल बनाने के लिए अपनी योजनाओं/दिशा-निर्देशों की समीक्षा करता है। मैं आशावादी हूं कि बोर्ड, सरकार और कर्मचारियों के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ; देश में दिव्यांगजन की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करना संभव होगा।

5. आभार

मैं इस अवसर पर समय-समय पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिए गए मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं दिव्यांगजन के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, (भारत सरकार) राज्य सरकारों/संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासन, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लोक उद्यम विभाग के अधिकारी से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा ।

मुझे विश्वास है कि निगम बोर्ड के मार्गदर्शन, हमारे सम्मानित हितधारकों के मूल्यवान सुझावों, निगम के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और समर्थन के साथ दिव्यांगजनों की सेवा करना और भविष्य में कवरेज का विस्तार करना जारी रखेगा।

शुभकामनाओं के साथ,

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03633935

तिथि : 23 सितंबर, 2022
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए आपके निगम के संकार्यों पर 25वीं वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।

1.1. निगमन

नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 1997 को प्रवर्तित किया गया था। निगम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनी है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

1.2. निगम के मुख्य उद्देश्य

निगम के मुख्य उद्देश्य का सार इस प्रकार हैं:

1. दिव्यांगजन के लाभार्थ आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना।
2. दिव्यांगजन के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए स्वरोजगार और अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना।
3. सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदंडों के अधीन, दिव्यांगजन या उनके समूहों को आर्थिक एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान कर सहायता करना।
4. सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से देश में दिव्यांगजन के लिए चयनित मामलों में भारत सरकार द्वारा कंपनी को राज्य स्तर पर प्रदान की गई बजटीय सहायता की सीमा तक रियायती वित्त प्रदान करना।
5. दिव्यांगजन को स्नातक और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए सामान्य/व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देना।
6. उत्पादन इकाइयों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए दिव्यांगजन के तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल उन्नयन में सहायता करना।
7. दिव्यांगजन के उचित पुनर्वास/उत्थान के लिए उनके आर्थिक कार्यों के समर्थन में प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया विकास, प्रौद्योगिकी, सामान्य सुविधा केंद्र और अन्य ढांचागत गतिविधियों की स्थापना करना।
8. वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए एवं वाणिज्यिक वित्त पोषण प्राप्त करने में या पुनर्वित्त के माध्यम से दिव्यांगजन का विकास करने वाले राज्य स्तरीय संगठनों की सहायता करना।
9. दिव्यांगजन के लिए राज्य वित्त निगमों के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निगमों/केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/केंद्र केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा स्थापित बोर्डों तथा स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से धन को चैनेलाइज़ करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की भांति एक शीर्ष संस्थान के रूप में काम करना।
10. एनएचएफडीसी उपरोक्त संगठनों के माध्यम से वित्तीय सहायता के प्रस्ताव प्राप्त करेगा तथा लाभार्थियों को इन संगठनों के माध्यम से संवितरण के लिए ऋण और मार्जिन धनराशि करेगा। एनएचएफडीसी अधिकृत

राज्य वित्त एवं विकास निगमों/बोर्डों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन तथा निगम द्वारा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का समन्वय और निगरानी भी करेगा।

11. स्वरोजगार में लगे दिव्यांगजन/दिव्यांगजन के समूहों या दिव्यांगजन के पंजीकृत कारखानों/कंपनियों/सहकारी समितियों को उनके तैयार माल के विपणन में सहायता करना और कच्चे माल की खरीद में सहायता करना।

1.3. पंजीकृत कार्यालय

निगम का पंजीकृत कार्यालय रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 में स्थित है।

1.4. निगमित कार्यालय

निगम का निगमित कार्यालय यूनिट-11 और 12, एफ-79 और 80, भूतल, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020 में स्थित है।

1.5. शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 499.50 करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, निगम की प्रदत्त शेयर पूंजी 399.99 करोड़ रुपये है जो 1,000/- रुपये के (पूर्णतया : प्रदत्त) के हिसाब से 39,99,910 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। निगम की संपूर्ण इक्विटी भारत सरकार के पास है।

1.6. भारत सरकार से इक्विटी सहायता

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निगम को सरकार से कोई इक्विटी सहायता प्राप्त नहीं हुई।

1.7. निगम से सहायता पाने के लिए पात्रता मानदंड

निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

कोई भी दिव्यांगजन जो निम्नलिखित मानदंड पूरा करता हो, वह एनएचएफडीसी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने का पात्र है –

क) कोई भी भारतीय नागरिक जो 40% या उससे अधिक दिव्यांग हो (समय-समय पर यथा संशोधित आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में परिभाषित दिव्यांगता)।

ख) आयु 18 वर्ष से अधिक हो। हालांकि, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के मामले में, पात्र आयु 14 वर्ष से अधिक होगी। शैक्षिक ऋण के लिए आयु मानदंड अपेक्षित नहीं होगा।

1.8. निगम की योजनाएं

आपके निगम ने दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) के लाभार्थ क्रेडिट आधारित और गैर-क्रेडिट आधारित गतिविधियों को शामिल करते हुए विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं। निगम की योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1.8.1 क्रेडिट/ऋण आधारित गतिविधियां

एनएचएफडीसी, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी पात्र भारतीय नागरिकों को सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता प्रदान करता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण सहायता, ब्याज दर और चुकौती अवधि का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	योजना	अधिकतम ऋण (राशि लाख रुपये में)	लाभार्थी द्वारा देय ब्याज दर	ऋण चुकौती की अधिकतम अवधि
1.	दिव्यांगजन स्वाबलंबन योजना (डीएसवाई)	50.00	5-9% प्रतिवर्ष #	10 वर्ष
2.	विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई) किसी भी उद्देश्य के लिए (पीडब्ल्यूडी एसएचजी आदि के माध्यम से) 60,000/- प्रति सदस्य की दर से ऋण	60,000/- रुपये प्रति दिव्यांग	12.50% प्रतिवर्ष	3 वर्ष

शिक्षा ऋण के लिए: ब्याज दर 4% प्रति वर्ष होगी। दिव्यांगजन स्वाबलंबन योजना के अंतर्गत 50,000/- रुपये तक के स्व-रोजगार ऋण (शिक्षा ऋण के लिए नहीं) में अस्थि दिव्यांग (ओएच) से भिन्न दिव्यांग महिलाओं/दिव्यांग व्यक्तियों को ब्याज दर में 1% की छूट की अनुमति होगी। यह छूट एनएचएफडीसी द्वारा वहन की जाती है।

1.8.2 कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां

निगम की निधियां विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से वितरित की जाती है जो इस प्रकार हैं;

क) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एससीए)

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) के लाभार्थ एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) नामित करते हैं। इसके साथ-साथ ये एजेंसियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लक्षित समूह के लाभार्थ निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना के अंतर्गत ऋण एनबीएफसी-एमएफआई, सेक्शन-8-एमएफआई, एनजीओ-एमएफआई, एसएचजी फेडरेशन, स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, राज्य सरकार मिशनों और अन्य राज्य स्तर के संगठनों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ-साथ विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई) लागू करने वाली एजेंसियों की सूची अनुबंध-क में प्रदान की गई है।

ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/कार्यान्वयन करने वाली अन्य एजेंसियां

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ कार्यान्वयन करने वाली उन अन्य एजेंसियों के माध्यम से भी निधि को वितरित किया जाता है जिसके साथ एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए करार किया है। इन कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों का विवरण अनुबंध-ख में प्रदान किया गया है।

1.8.3 कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों का कार्य

निगम की योजनाओं के अंतर्गत लक्षित समूह को ऋण के वितरण में कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों का योगदान व्यापक रूप से भिन्न होता है। ऋण का उठाव (ऑफ टेक) विभिन्न प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है जैसे, देय राशि चुकौती, ऋण का उपयोग, सरकारी गारंटी कुशन की उपलब्धता आदि।

निगम समय-समय पर राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के साथ उपरोक्त प्रमुख कारकों से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करता है ताकि लक्ष्य समूह के लाभार्थ निधि का प्रवाह बना रहे। ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से, निगम डीएसवाई के लिए प्रयुक्त की जा रही कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को निधि आवंटित करता है। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी को उसके अनुरोध पर अग्रिम निधि के रूप में आवंटित

निधि का 50% तक जारी किया जाता है। निगम कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को अनुमानित निधि आवंटित करता है एवं कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को उनके अनुरोध के अनुसार, 50% धनराशि अग्रिम वित्त पोषण के रूप में जारी करता है ताकि ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण के संवितरण में कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों का निष्पादन /योगदान, इन एजेंसियों के लिए किए गए अनुमानित आवंटन का विवरण अनुबंध-ग में प्रदान किया गया है।

निगम जारी किए गए ऋणों के संबंध में उपयोग विवरण के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपयोग की गई निधियों का प्रतिशत अर्थात, अंतिम लाभार्थियों को वितरित की गई वास्तविक धनराशि अनुबंध-घ में प्रदान की गई है।

1.8.4 गैर ऋण आधारित गतिविधियां

एनएचएफडीसी अपने हितधारकों को शैक्षिक, कौशल और विपणन संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कोनों से अनुदान प्राप्त करता है। निगम नीचे वर्णित कतिपय गतिविधियों का समर्थन करने में कुछ हद तक अपने स्वयं की निधि का उपयोग भी करता है।

1.8.4.1 दिव्यांगजन के कौशल और उद्यमिता विकास के लिए विभिन्न स्रोतों से निधि प्राप्त करना

रोजगार बाजार (रोजगार/स्व-व्यवसाय) के लिए दिव्यांगजन के कौशल के व्यापक कार्य में अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए, निगम अन्य सीपीएसई के सीएसआर कार्यक्रम के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में डीईपीडब्ल्यूडी की सिपडा योजना के अंतर्गत धन की निधि प्राप्त कर रहा है।

माइक्रो स्किलिंग सेंटर (स्वावलंबन केंद्र), एनसीएससीडीए, दिल्ली में एनएचएफडीसी केंद्र (पूर्व में वीआरसीएच) और प्रतिष्ठित संगठनों के स्मार्ट केंद्रों के माध्यम से लक्षित समूह को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

अब तक, निगम ने 31 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 89731 दिव्यांगजन के लिए कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 03 राज्यों में 486 दिव्यांगजन को शामिल करते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण स्वीकृत किया गया था।

वित्तीय वर्ष **2021-22** के दौरान दिव्यांगजन के लाभार्थ स्वीकृत/संगठित कौशल प्रशिक्षणों का विवरण अनुबंध-ङ में प्रदान किया गया है।

1.8.4.2. कौशल प्रशिक्षण केंद्र

प्रतिस्पर्धी बाजार की परिस्थितियों में किसी संगठन/व्यवसाय के सफल संचालन के लिए कौशल उन्नयन नितांत आवश्यक है। अत: एनएचएफडीसी में लक्षित समूह के कौशल प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है।

दिव्यांगजन का गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निगम ने प्रायोगिक परियोजना के आधार पर उद्यमशील दिव्यांगजन को कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए ऋण सहायता प्रदान की। ऐसे केंद्रों का उपयोग विभिन्न अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, निगम ने 18 जिलों को सम्मिलित करते हुए ऐसे 19 केंद्रों की स्थापना के लिए ऋण सहायता प्रदान की है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, दौसा (जिला-भरतपुर-राजस्थान), दंतेवाड़ा और बालोड़ (छ.ग.), टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश), रुद्रपुर (उत्तराखंड) में पांच (5) ऐसे सूक्ष्म कौशल केंद्र (स्वावलंबन केंद्र) स्थापित किए गए हैं।

1.8.4.3 जागरूकता निर्माण और विपणन सहायता

क) जागरूकता सृजन – तत्संबंधी व्यय

दिव्यांगजन के बीच निगम की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निगम दिव्यांगजन के लिए अपनी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। निगम प्रशासनिक मंत्रालय, गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करता है और अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करता है।

इसके अलावा, निगम स्थानीय स्तर पर जागरूकता पैदा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को अनुदान सहायता भी प्रदान करता है। निगम द्वारा कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को जागरूकता निर्माण के सापेक्ष खर्च पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) तक की राशि या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वितरित राशि का 0.10%, जो भी अधिक हो, उपलब्ध करायी जाती है।

ख) विपणन सहायता: व्यापार मेलों आदि में भागीदारी को सुगम बनाना।

निगम दिव्यांगजन को विभिन्न प्रदर्शनियों जैसे; सूरजकुंड मेला, आईआईटीएफ, दिल्ली हाट आदि में उनके तैयार माल के विपणन में सहायता करता है।

इसके अलावा, निगम ने दिव्यांग उद्यमियों को उनके उत्पादों/सेवाओं के एकत्रीकरण के रूप में समर्थन देने और मौजूदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उसका विपणन करने की पहल आरंभ की है। इस प्रकार, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए कुछ उत्पाद अब प्रमुख ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

1.8.4.4. 'विशेष उद्यमी मित्रों' के माध्यम से दिव्यांगजन को सहायता

निगम का उद्देश्य दिव्यांगजन और वित्तीय सहायता के स्रोत के बीच की खाई को पाटना है। योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्थानों/एजेंसियों व्यक्तियों यानी उद्यम की स्थापना और संचालन के लिए 'विशेष उद्यमी मित्र' द्वारा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से एनएचएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत रियायती ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक/दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं के लिए सूचना, समर्थन, मार्गदर्शन के रूप में जरूरतमंद दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करना है।

2. वित्तीय वर्ष के दौरान विकास

निगम ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जिनका सारांश इस प्रकार है:

i) शिक्षा ऋण के लिए ब्याज दर में कमी

शिक्षा ऋण पर ब्याज दर को घटाकर 4% प्रति वर्ष कर दिया गया है।

ii) शिक्षा ऋण के अंतर्गत चुकौती अवधि

शिक्षा ऋण के अंतर्गत चुकौती अवधि कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा स्वीकृत चुकौती अवधि के अनुरूप होगी।

iii) ऋण की अवधि के दौरान लाभार्थी (पीडब्ल्यूडी) की मृत्यु के मामले में राहत

निगम ने ऋण अवधि के दौरान लाभार्थी (दिव्यांगजन) की मृत्यु की स्थिति में ब्याज (एनएचएफडीसी बराबर) को माफ करने का निर्णय लिया है। ब्याज की छूट लाभार्थी की मृत्यु की तारीख से प्रभावी होगी।

3. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय

जहां तक यह ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी आय और व्यय का संबंध है, आपके निगम द्वारा की गई गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) के अंतर्गत ब्यौरों के प्रकटीकरण के दायरे में नहीं आती हैं।

4. कर्मचारियों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

5. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) और धारा 92(3) के अनुसार, 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट http://www.nhfdc.nic.in/about-nhfdc/Annual%20Return लिंक पर उपलब्ध है।

6. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक मंडल बताया कि:

क) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखाकरण मानकों का पालन के साथ-साथ ही तात्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें निरंतर लागू किया तथा निर्णय और अनुमान लगाए जो युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति का तथा उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को लाभकारी कारबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किया; तथा;

ड.) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

7. वित्तीय वर्ष 2021-22 . के लिए लेखा परीक्षक

मैसर्स ग्रोवर, लल्ला और मेहता, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/ केंद्र सरकार, एचएएनडीआईएफ (1)/462 दिनांक 19.08.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों/योग्यताओं पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के अनुबंध-च में संलग्न हैं।

8. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा या व्यवस्थाएं

संदर्भाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अर्थ के अंतर्गत किसी भी संबंधित पक्षकार लेनदेन में प्रवेश नहीं किया।

9. दिव्यांगजन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का नियोजन

क) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार निगम के नियोजन में दिव्यांगजन के प्रतिनिधित्व से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-छ में प्रदान की गई है।

ख) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार निगम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-ज में प्रदान की गई है।

10. लागत अभिलेख के अनुरक्षण के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लागत अभिलेख का अनुरक्षण कंपनी पर लागू नहीं होता है।

11. वर्ष के दौरान निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति/त्यागपत्र

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में नियुक्तियों/त्यागपत्र आदि का विवरण इस प्रकार है;

क्रमांक	नाम	पदनाम	परिवर्तन की प्रकृति	सरकार की अधिसूचना/आदेश यदि कोई हो
1.	डॉ. जवाहरलाल जोंग्लुजू	निदेशक	दिनांक 7 जनवरी, 2022 से निदेशक के रूप में नियुक्त	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचना सं. 3-7/2004-डीडी-IV-ए (अनु) दिनांक 26 नवंबर, 2021
2.	डॉ. प्रिया शील हाडा	निदेशक		
3.	श्री डी.आर. सरीन	निदेशक	दिनांक 1 जनवरी, 2022 से निदेशक के रूप में सेवासमाप्त	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, का.ज्ञा. सं. जेड 11017/52/2020-डीडी-I दिनांक 31 दिसंबर, 2021

12. जमा

विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

13. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

दिव्यांगता क्षेत्र और निगम के संचालन के संबंध में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण अनुबंध- झ पर प्रदान किया गया है।

14. बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम के निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें हुई। किसी दो बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर था।

15. मानव संसाधन

क) मानव संसाधन

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, निगम के विभिन्न स्तरों में दिनांक 31.03.2022 को निगम 39 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष 35 कर्मचारी थे। निगम में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी निम्नानुसार थे:

कर्मचारी का वर्ग	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
क	14	13	01
ख	03	01	02
ग	22	21	01
योग	**39**	**35**	**04**

ख) भर्ती और क्षयण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, एक कर्मचारी ने 22 नवंबर, 2021 को निगम छोड़ दिया और निगम द्वारा किसी भी कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई।

ग) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार सूचना

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए निगम की पूर्ण असहनीयता नीति है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन किया है।

निगम ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है।

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।

16. राजभाषा कार्यान्वयन

निगम कार्यालय के कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। निगम में सितंबर, 2021 में हिंदी माह (माह) मनाया गया और माह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, आपके निगम के कई दस्तावेजों/पत्रों का हिन्दी में अनुवाद किया गया। आपके निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें हो चुकी हैं और इन बैठकों में राजभाषा के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई।

दिव्यांगजन के हितार्थ निगम की योजनाओं की सभी मुद्रित सामग्री हिन्दी में प्रकाशित की गई। निगम की वेबसाइट (www.nhfdc.nic.in) हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

17. निगमित अभिशासन

आपके निगम का निदेशक मंडल निगम के मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा में विश्वास रखता है। निगम ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निगमित अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों को अपनाया है।

निगम को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में कंपनी सचिवों की स्वतंत्र फर्म द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है जिसे अनुबंध-ण में प्रदान किया गया है।

18. समझौता ज्ञापन 2020-21 लक्ष्यों के संबंध में उपलब्धि

एमओयू 2020-21 के लक्ष्यों के सापेक्ष निगम की समग्र उपलब्धि को पांच (उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, उचित और मामूली) के पैमाने में 'बहुत अच्छा' के रूप में दर्जा दिया गया था।

19. सतर्कता जागरूकता सप्ताह

एनएचएफडीसी ने 26 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। सप्ताह का विषय "स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता" था।

20. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

निगम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुरूप) के अंतर्गत कंपनी के रूप में पंजीकृत है और देश में दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण के लिए एक शीर्ष निगम के रूप में काम कर रहा है।

निगम अन्य सीपीएसई की सीएसआर परियोजनाओं/निधि को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। निगम द्वारा सीएसआर अनुदान पर रिपोर्ट अनुबंध-ट पर प्रदान की गई है।

21. वित्तीय विवरण एक नजर में

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निगम के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंड इस प्रकार हैं;

क्र.सं.	ब्यौरा	राशि (करोड़ रुपये में)
i)	प्रचालनों से आय	10.65
ii)	अन्य आय	4.00
iii)	कुल आय	14.65
iv)	कुल व्यय	8.45
v)	अधिशेष	6.20

22. बोर्ड की संरचना और निदेशक

निगम के कार्यों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। दिनांक **31** मार्च**, 2022** की स्थिति के अनुसार निगम की बोर्ड संरचना अनुबंध-ठ में प्रदान की गई है।

किसी निदेशक के पद पर सेवानिवृत्ति, पदच्युति, त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा के कारण हुई किसी भी रिक्ति को भरने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

23. निगम की वार्षिक आम बैठक

निगम की विगत 3 (तीन) वार्षिक आम बैठकों का विवरण अनुबंध-ड में प्रदान किया गया है।

24. बोर्ड की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	मंडल की अवधि (वर्ष 2021-22) के दौरान आयोजित बैठकें	मंडल बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री राजन सहगल	4	4
2.	श्री संजय पाण्डेय	4	3
3	श्री किशोर बाबुराव सुरवाड़े	4	3
4.	श्री डी. आर. सरीन	3	1
5.	डॉ. अलका शर्मा	4	2
6.	श्री मितेश सिन्हा	4	4
7.	डॉ. प्रिया चौधरी	4	-
8.	डॉ. जवाहरलाल जोंग्लुजू	1	1
9.	डॉ. प्रिया शील हाडा	1	1

25. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

निगम अपनी वेबसाइट को सामग्री/सूचना से परिपूर्ण बनाना चाहता है ताकि इसकी सूचना आम जनता तक पहुंचाई जा सके।

निगम अपने कामकाज में निरंतर पारदर्शिता में विश्वास रखता है। निगम आरटीआई आवेदन से निपटने में उदार दृष्टिकोण अपनाता है और जब भी आवेदन कोई आवेदन बिना शुल्क या अन्य कमियों के साथ प्राप्त होते हैं तो निगम आवेदक को सही प्रकार से देने के लिए उन्हें शिक्षित करता है ताकि उसे सूचना दी जा सके।

साथ ही, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/10/2011-आईआर दिनांक 18.5.2011 के अनुसरण में प्राप्त, अस्वीकृत, प्रत्युक्तिरत अपील वाले आदि के विवरण निगम की वेबसाइट www.nhfdc.nic.in पर अद्यतनीकृत किए जाते हैं।

निगम त्रैमासिक आधार पर सीआईसी वेबसाइट **www.cic.gov.in** के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप में आरटीआई आवेदनों से संबंधि सूचना भी अपलोड करता है। वर्ष **2021-22** के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों का विवरण अनुबंध-ढ में प्रदान किया गया है।

26. प्रतिक्रिया (फीडबैक) तंत्र

निगम विभिन्न योजनाओं से संबंधित मामलों पर लक्षित समूह और आम जनता से पूछताछ करता रहता है एवं इसके लिए निगम ने अपनी वेबसाइट में भी प्रावधान किया है। इस प्रक्रिया में निगम आम जनता एवं लक्षित समूह के महस्यपूर्ण मुद्दों और सूचना अपेक्षा की पहचान करता है और अपने प्रचालनों में निरंतर सुधार के लिए इसे ध्यान में रखता है।

27. आभार

आपके निदेशकगण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सतत मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन के लिए उनके आभारी हैं।

आपके निदेशकगण मंडल में निदेशकों और समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी अवधि पूरा करने वाले निदेशकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान की हृदय से सराहना करते हैं।

आपके निदेशकगण कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं जिसने सभी स्तरों पर कंपनी के क्रियालापों की उत्कृष्टता सुनिश्चित की और कंपनी के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हम कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के भी आभारी हैं जिन्होंने निगम के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारा समर्थन किया व सहयोग किया। हम लेखापरीक्षकों, बैंकरों और अन्य सभी के भी आभारी हैं जिनका हमें सहयोग व समर्थन प्राप्त हुआ है

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03633935

दिनांक: 23 सितंबर, 2022
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक-'क'

निगम की राज्य कार्यकारी संस्थाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है)	अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलेपमैंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स सं.180 पत्तन ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार-744101
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक सहायता निगम, डी. सं. 74-14-2, प्रथम तल, राजा नरेंद्र बिल्डिंग, कृष्णा नगर, यानमलाकुडुरु रोड, विजयवाड़ा -520007 (आंध्र प्रदेश)
3.	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव अपैक्स बैंक लिमिटेड पोस्ट एवं तालुका नाहरलगुन "डी" क्षेत्र, ज़िला: पापुम पारे, अरूणाचल प्रदेश-791110
4.	असम	असम को-ऑपरेटिव अपैक्स बैंक लिमिटेड, पान बाजार, गुवाहाटी -781001।
5.	बिहार	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, चतुर्थ तल, सोन भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना-800001(बिहार)
6.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड, टाउन हॉल बिल्डिंग, तृतीय तल, सेक्टर-17सी, चंडीगढ़ -160017
7.	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ नि:शक्त-जन वित्त एवं विकास निगम सामाजिक कल्याण विभाग का उपक्रम, पुराना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर -492001 (छत्तीसगढ़)
8.	दादर तथा नगर हवेली, दमन एवं दीव (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है)	दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम लिमिटेड द्वितीय तल, राइट विंग, पीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा-396230
9.	दिल्ली	दिल्ली अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त व विकास निगम लिमिटेड, अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-XVI, रोहिणी, नई दिल्ली -110085
10.	गोवा	गोवा राज्य अनुसूचित जाति तथा ओबीसी वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड, चतुर्थ तल, पट् सेंटर, निकट कदम्ब बस स्टैंड, पणजी - 403001 (गोवा)
11.	गुजरात	गुजरात राज्य दिव्यांग वित्त व विकास निगम, षष्ठम, ब्लॉक सं-1, विंग-1, कर्मयोगी भवन, गांधीनगर, गुजरात
12.	हरियाणा	हरियाणा पिछड़ा एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, एससीओ सं. 813-14, सेक्शन-22ए, चंडीगढ़ -160022।
13.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, एसडीए कॉम्पलेक्स, ब्लॉक सं. 38, प्रथम तल, कसुम्प्टी, शिमला - 171009.

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी
14.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड, एसडीए कालोनी, बेमिना, श्रीनगर - 190018 (मई से अक्टूबर तक) 615-ए, गांधी नगर, जम्मू -180012 (नवंबर से अप्रैल तक)
		जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, एक्सचैंज रोड, निकट रेड क्रॉस धर्मनाथ ट्रस्ट, परिषद, श्रीनगर- 190001 (मई से अक्टूबर तक) 715-ए, लास्ट मोड, गांधी नगर, जम्मू -(नवंबर से अप्रैल तक)
15.	झारखंड	झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लिमिटेड, बलिहार रोड, मोराबाड़ी, रांची -834004
16.	कर्नाटक	दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण विभाग, पोडियम ब्लॉक, विश्वेश्वरैया टॉवर, डॉ. अम्बेडकर रोड, बैंगलोर -560001
17.	केरल	केरल राज्य दिव्यांगजन कल्याण निगम लिमिटेड, टीसी 17/230(1) जुवेनाइल होम कंपाउंड, पूजापुरा, तिरुवनंतपुरम - 695012
18.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, कवारत्ती - 682555, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
19.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, 1 मंज़िल, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल -462002
		मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसुचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462002
		मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, 35, श्यामला हिल्स, राजीव गांधी भवन, भोपाल -462002
		मध्य प्रदेश दिव्यांग कल्याण एवं विकास समिति, 1250, तुलसी नगर, भोपाल – 462003
20.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त और विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कक्ष सं. 74, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग, भूतल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र – 400051
21.	मणिपुर (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है)	द मणिपुर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंफाल असेंबली रोड, इंफाल पश्चिम मणिपुर 795001
22.	मेघालय	मेघालय कोओपरेटिव अपैक्स बैंक लिमिटेड, महात्मा गांधी रोड, शिलांग - 793001
23.	मिजोरम	मिजोरम ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, बी-5, बाबू टीला, जरकावत, आइजोल, मिजोरम-7
24.	नगालैंड	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, नगालैंड नागरिक सचिवालय, नागालैंड सरकार, कोहिमा-797001
25.	ओडिशा	दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता विभाग, एसआईडीआर बिल्डिंग, कैपिटल हॉस्पिटल कैंपस यूनिट-6, भुवनेश्वर-751001

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी
26.	पुदुचेरी	पुडुचेरी कारपोरेशन फॉर डेवलेपमैंट ऑफ वूमन एंड हैंडीकैप्ड पर्सन्स लिमिटेड, सं. 30, सेकंड क्रॉस, पोननगर, रेड्डियार पलायम, पुडुचेरी-605010
27.	पंजाब	पंजाब अनुसूचित जाति भूमि वित्त एवं विकास निगम एससीओ सं. 101-103, सेक्टर-17सी, चंडीगढ़ -160017
28.	राजस्थान	राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, नेहरू सहकार भवन, केंद्रीय ब्लॉक, तृतीय तल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर - 382001
29.	सिक्किम	सिक्किम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, सोनम शेरिंग मार्ग, गंगटोक, सिक्किम – 737101
30.	त्रिपुरा	त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, पीओ लेक चौमुहानी, कृष्णा नगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा - 799001
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंबर 4 (पुराना नंबर 233), नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, चेन्नई - 600001। (तमिलनाडु)
32.	उत्तराखंड	उत्तराखंड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, संचालनालय आदिम जाति कल्याण परिसर, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड

अन्य एजेंसियां : विशेष सूक्ष्म वित्त योजना (वीएमवाई) के अंतर्गत ऋण

1.	आंध्र प्रदेश	स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन, दूसरी मंजिल, एनटीआर प्रशासनिक ब्लॉक, आरटीसी कॉम्पलेक्स , विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश - 520013
2.	तेलंगाना	स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन, चतुर्थ तल, 401 एवं 402, माय होम सरोवर प्लाजा, 5-9-22/बी, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना - 500004
3.	दिल्ली	एनएचएफडीसी फाउंडेशन, यूनिट नंबर 11 और 12, भूतल, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेज -1, नई दिल्ली - 110020

ह./-

(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक-'ख'

निगम की निधि को चैनेलाइजिंग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नाम एवं पता
1.	असम ग्रामीण विकास बैंक, जीएस रोड, भांगागढ़, गुवाहाटी-781005 असम
2.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, म. सं.2-5-8/1, राम नगर, हनमकोंडा - 506001, वारंगल (शहर एवं जिला), तेलंगाना राज्य
3.	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, तृतीय/चतुर्थ तल, सूरज चौक - 1, सयाजीगंज, वडोदरा - 390005, गुजरात
4.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, विंग-2, प्रथम तल, एलआईसी जीवन प्रकाश बिल्डिंग, टैगोर रोड, राजकोट – 360001, गुजरात
5.	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक एसएचजीबी हाउस, प्लाट न. 1, सेक्टर 3, रोहतक-124001, हरियाणा
6.	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय: मार्केट प्लेस, तृतीय तल, जिला परिषद भवन रांची - 834001 (झारखंड)
7.	केरल ग्रामीण बैंक, क्रेडिट विंग, प्रधान कार्यालय, केजीबी टॉवर, एके रोड, मलप्पुरम, केरल-676505
8.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक, पोद्दार कॉलोनी, बालिका पॉलिटेक्निक कॉलेज छात्रावास के सामने, तिली रोड, सागर-470002, मध्य प्रदेश
9.	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय:- सी-21, बिजनेस पार्क, सी-21 स्क्वायर, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, एमआर-10, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश
10.	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय – द्वितीय एवं तृतीय तल, "चंद्रप्रस्थ", प्लॉट सं 6, दीनदयाल नगर, रिंग रोड, नागपुर-440022
11.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लाट सं.: 42, गुट सं. 33, गोलवाड़ी विलेज, ग्रोथ सेंटर, वालुज महानगर इव, सड़को, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) - 431010
12.	पंजाब ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, जालंधर रोड, कपूरथला, पंजाब
13.	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बुद्ध विहार कमर्शियल स्कीम, तारामंडल, गोरखपुर (उ.प.)- 273018
14.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, एयरपोर्ट रोड, अभयनगर, अगरतला – 799005,त्रिपुरा
15.	आर्यवर्त बैंक, ए-2/46, विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010
16.	प्रथमा उ.प्र. ग्रामीण बैंक, प्रथमा भवन, राम गंगा विहार फेज-II, पोस्ट बॉक्स नं. 446, मुरादाबाद-244001
17.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, 18 नया सड़क, देहरादून – 248001
18.	आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई मीनार, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्पलेक्स , कफ परेड, कोलाबा, मुंबई - 400005
19.	पंजाब राष्ट्रीय बैंक, विंग- बी, चतुर्थ तल,, सेक्टर-10, द्वारका, नया दिल्ली -110075
20.	बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा कॉरपोरेट सेंटर, प्लॉट नंबर - सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स , बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
21.	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक भवन,239,विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट मुंबई-400021,महराष्ट्र
22.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड "एनईडीएफआई हाउस", जी.एस. रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006, असम

ह./-

(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक-'सी'

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एजेंसी वार ऋण कारोबार

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	एससीए/ राज्य नाम का	अनुमानिक आवंटन	ऋण का कुल कारोबार
1.	आंध्र प्रदेश दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक सहायता निगम, आंध्र प्रदेश	4.21	शून्य
2.	अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इंटीग्रेटेड डेवलेपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड, अंडमान एवं निकोबार	0.20	शून्य
3.	असम को-ऑपरेटिव अपैक्स बैंक लिमिटेड, असम	6.55	शून्य
4.	अरूणाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव अपैक्स बैंक लिमिटेड, अरूणाचल प्रदेश	0.36	शून्य
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार	8.04	शून्य
6.	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	0.20	0.02
7.	छत्तीसगढ निःशक्त-जन वित्त एवं विकास निगम, छत्तीसगढ	8.28	2.05
8.	दिल्ली अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त व विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली	0.81	शून्य
9.	दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम लिमिटेड दमन एवं दीव	0.40	शून्य
10.	गोवा राज्य अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड, गोवा	0.20	शून्य
11.	गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, गुजरात	3.77	शून्य
12.	गुजरात राज्य दिव्यांग वित्त व विकास निगम, गुजरात	3.77	3.77
13.	हरियाणा पिछड़ा एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, हरियाणा	13.09	13.09
14.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश	4.00	5.00
15.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर	5.00	5.00
16.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर	4.75	2.37
17.	झारखंड जनजातीय विकास निगम, झारखंड	2.66	1.00
18.	दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण विभाग, कर्नाटक	4.57	शून्य
19.	केरल राज्य दिव्यांगजन कल्याण निगम लिमिटेड, केरल	45.04	22.52
20.	लक्षद्वीप खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लक्षद्वीप	0.40	शून्य
21.	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश	1.34.	शून्य
22.	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश	1.34	शून्य
23.	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश	1.34	शून्य
24.	मध्य प्रदेश दिव्यांग कल्याण एवं विकास समिति, मध्य प्रदेश	1.34	शून्य
25.	महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त और विकास, महाराष्ट्र	10.23	शून्य
26.	मेघालय कोओपरेटिव अपैक्स बैंक लिमिटेड, मेघालय	0.70	0.50
27.	मणिपुर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एमएससीबी)	0.74	शून्य

क्र. सं.	एससीए/ राज्य नाम का	अनुमानिक आवंटन	ऋण का कुल कारोबार
28.	मिजोरम ग्रामीण बैंक, मिजोरम	0.21	0.21
29.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, नागालैंड	0.40	शून्य
30.	दिव्यांगजन सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता विभाग, ओडिशा	4.29	शून्य
31.	पुडुचेरी कारपोरेशन फॉर डेवलेपमैंट ऑफ वूमन एंड हैंडीकैप्ड पर्सन्स लिमिटेड, पुडुचेरी	0.20	शून्य
32.	पंजाब अनुसूचित जाति भूमि वित्त एवं विकास निगम, पंजाब	2.26	0.50
33.	राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, राजस्थान	10.15	12.00
34.	सिक्किम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, सिक्किम	1.00	0.50
35.	त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, त्रिपुरा	1.00	शून्य
36.	तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु	30.00	30.00
37.	उत्तराखंड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तरांचल	0.64	शून्य
38.	पश्चिम बंगाल महिला विकास उपक्रम, पश्चिम बंगाल	6.96	शून्य
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)		
1.	असम ग्राम विकास बैंक	4.73	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	7.55	शून्य
3.	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	4.88	शून्य
4.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	2.59	शून्य
5.	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, हरियाणा	5.42	शून्य
6.	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, झारखंड	4.43	शून्य
7.	केरल ग्रामीण बैंक	6.34	शून्य
8.	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	8.66	0.70
9.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	4.54	शून्य
10.	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	3.56	शून्य
11.	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	3.91	शून्य
12.	पंजाब ग्रामीण बैंक	4.19	0.44
13.	आर्यावर्त बैंक	13.67	0.98
14.	बड़ौदा यूपी बैंक	19.83	0.66
15.	प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक	7.06	शून्य
16.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	2.86	शून्य

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	अनुमानिक आवंटन	ऋण का कुल कारोबार
1.	बड़ौदा बैंक	5.00	शून्य
2.	आईडीबीआई बैंक	5.00	0.30
3.	पंजाब राष्ट्रीय बैंक	5.00	0.10
प्रत्यक्ष वित्त पोषण (पायलट प्रोजेक्ट			
1.	प्रत्यक्ष वित्त पोषण	-	0.83
विशेष सूक्ष्म वित्त योजना (वीएमवाई) के अंतर्गत ऋण			
1.	स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन, आंध्र प्रदेश	-	शून्य
2.	स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन, तेलंगाना	-	10.00
3.	एनएचएफडीसी फाउडेंशन, दिल्ली	-	0.16
	योग		**112.75**

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक-'घ'

कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों द्वारा ऋण का उपयोग
(31.03.2022 तक संचयी)

क्र.सं.	एससीए/पीएसबी/ आरआरबी	उपयोग का प्रतिशत
1.	दिल्ली अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त व विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली	95.52
2.	गुजरात राज्य दिव्यांग वित्त व विकास निगम (जीएमएफडीसी), गुजरात	99.90
3.	हरियाणा पिछड़ा एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, (एचबीसीईडब्ल्यूएसकेएन), हरियाणा	99.41
4.	जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, (जेकेएससीएसटीओबीसी), जम्मू एवं कश्मीर	88.73
5.	झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम (जेएसटीडीसी), झारखंड	98.08
6.	केरल राज्य दिव्यांगजन कल्याण निगम लिमिटेड (केएसएचपीडब्ल्यूसी), केरल	84.34
7.	लक्षद्वीप खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, (एलकेवीआईबी), लक्षद्वीप	98.14
8.	मिजोरम ग्रामीण बैंक (एमआरबी), मिजोरम	91.47
9.	पंजाब अनुसूचित जाति भूमि वित्त एवं विकास निगम पंजाब	97.84
10.	राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, (आरएससीएसटीडीसीसी), राजस्थान	79.43
11.	सिक्किम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, सिक्किम	96.64
12.	त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, (टीएससीसी-ओपीडीसी), त्रिपुरा	70.11
13.	केरल ग्रामीण बैंक, (केजीबी), केरल	86.64
14.	स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन, आंध्र प्रदेश	100.00
15.	स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन, तेलंगाना	100.00
16.	एनएचएफडीसी फाउडेंशन, दिल्ली	51.04
योग		**96.30**

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक-'ड.'

वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत/आयोजित कौशल एवं ईडीपी प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य	व्यापार नाम	प्रशिक्षु
1.	हरियाणा	सीआरएम डोमेस्टिक नॉन वॉइस	12
		रिटेल सेल्स एसोसिएट्स	104
2.	मध्य प्रदेश	रिटेल सेल्स एसोसिएट्स	87
3.	उत्तर प्रदेश	डोमेस्टिक डाटा इंटरी ऑपरेटर	72
		स्व:नियोजित दर्जी	90
		रिटेल सेल्स एसोसिएट्स	121
		कुल	**486**

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक-'च'

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर प्रबंधन का प्रतिउत्तर

पैरा 4	लेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	प्रबंधन का/की स्पष्टीकरण / टिप्पणियाँ
i.	हमने पाया है कि निगम ने वर्ष 2021-22 हेतु एससीए, आरआरबी एवं कार्यान्वयन करने वाली अन्य एजेंसियों के लिए वर्ष के अंत में शेष राशि की संपुष्टि वाला पत्र भेजा है जिसमें से कार्यान्वयन करने वाली कुछ एजेंसियों ने अपने शेष की संपुष्टि नहीं की है। इसके अतिरिक्त,जिन कुछ कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों ने शेष राशि की संपुष्टि की है उनमें 50.19 लाख रुपये का अनभिज्ञात अंतर था, इसके प्रभाव को, सत्यापित नहीं किया जा सका है।	एनएचएफडीसी कार्यान्वयन करने वाली सभी एजेंसियों से वर्ष के अंत में शेष राशि की संपुष्टि करने का अनुरोध करता है। प्राप्त होने पर उनका अद्यतन किया जाता है। कार्यान्वयन करने वाली कुछ एजेंसियों से संबंधित शेष में अंतर/मिलान न होना, पहले ही अभिज्ञात कर लिया गया है एनएचएफडीसी के अभिलेख को कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के साथ आवश्यक सुधार/समाशोधन के लिए साझा किया जा रहा है। निगम शेष में अंतर होने पर कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के साथ नियमित आधार पर समाशोधन करता है।
ii.	निगम , कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम से सीएसआर अनुदान प्राप्त करता है। निगम ने प्राप्त सीएसआर अनुदान के लिये केवल एक ही लेखा बनाया है। निगम में परियोजना वार एवं पार्टी वार सीएसआर अनुदान का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। ऐसे विवरण के अभाव में, हम पार्टी वार उपयोग / अनुपयोग का/पर सत्यापन करने में असमर्थ हैं। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 633.38 लाख रुपये की असमाशोधित/ अप्रयुक्त सीएसआर निधि है जिसका सत्यापन नहीं किया जा सका।	निगम संबंधित दाता संगठन/अन्य सीपीएसई को उनसे प्राप्त अनुदान निधि के संबंध में समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। जहां तक कार्यक्रम प्रभाग एवं वित्त विभाग के बीच सीएसआर अनुदान लेखाओं के आंतरिक समाशोधन का संबंध है, ऐसे कुल 25 दाताओं में से 24 दाता संगठनों का समाशोधन कर लिया गया है।
iii.	निगम ने भारत सरकार से सिपडा के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना के अधीन दिव्यांगजन के लिए कौशल विकास परियोजना में अनुदान प्राप्त हुआ है। अनुदान की नियम एवं शर्तों के अंतर्गत यथापेक्षित, प्राप्त एवं भुगतान विवरण, आय एवं व्यय विवरण एवं तुलन पत्र सहित परियोजनाओं के लेखाओं का विवरण तैयार नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार इस प्रकार सत्यापन हेतु हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। निगम इन अनुदानों का योजनावार लेखा/विवरण का अनुरक्षण नहीं कर रहा है। ऐसे विवरण के अभाव में, हम इन प्राप्त अनुदानों के योजनावार उपयोग/ अनुपयोग को सत्यापित/टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 847.89 लाख रुपये की असमाशोधित/अप्रयुक्त सिपड़ा निधि है जिसका सत्यापन नहीं किया जा सका।	इसके अलावा, संपूर्ण अनुदान राशि के संबंध में टैली में पार्टीवार/अनुदानवार लेखे तैयार करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट्स फर्म को नियुक्त किया गया है। उपरोक्त के अलावा, एक स्वतंत्र चार्टेड अकाउंटेंट्स फर्म को पहले से ही पार्टी-वार/अनुदान-वार लेखाओं (तैयार करने यथा कथोक्त) की लेखापरीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

पैरा 4	लेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले	प्रबंधन का/की स्पष्टीकरण / टिप्पणियाँ
iv.	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को दिये गये अग्रिम निधि का अंतर-विभागीय समाशोधन लंबित है, जहां अग्रिम निधि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त हो गए हैं, किंतु ऋण बहियों में उनका समायोजन नहीं किया गया है। ऋण/ब्याज में अपेक्षित समायोजन किया जाना चाहिए। इसके प्रभाव को, यदि कोई, सत्यापित नहीं किया जा सका।	वित्त वर्ष 2019 से निगम ने ऋण लेखा सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसकी मांग करना आरंभ कर दिया है। 2019-20। खाता बहियों के संबंध में ब्याज दर से संबंधित कुछ समस्याएं मैनुअल से कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में स्थानांतरण किये जाने की प्रक्रिया के कारण हो सकते हैं। लेखा परीक्षकों की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक-'छ'

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या					सीधी भर्ती									पदोन्नति									
						आरक्षित रिक्तियां				1.4.2021 से 31.3.2022 तक की गई नियुक्ति					रिक्तियां					नियुक्ति				
	कुल	दृ दि	श्र दि	अ दि	मं बु /बहु दि	दृ दि	श्र दि	अ दि	मं बु /बहु दि	कुल	दृ दि	श्र दि	अ दि	मं बु /बहु दि	दृ दि	श्र दि	अ दि	मं बु /बहु दि	कुल	दृ दि	श्र दि	अ दि	मं बु /बहु दि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
क	13	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
ख	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
ग	21	--	1	1	--	--	*1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
कुल	35	--	2	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

टिप्पणी:

(i) दृ दि - दृष्टि दिव्यांग (अंधे व कमजोर नजर वाले व्यक्ति) को दर्शाता है।

(ii) श्र दि - श्रवण दिव्यांग (कानो से कम सुनने वाला व्यक्ति) को दर्शाता है।

(iii) अ दि - अस्थि दिव्यांग (चलने में नि:शक्तता व गंभी रूप से सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त) को दर्शाता है।

(iv) मं बु /ब दि - मानसिक रूप से कमजोर और ब दि एक से अधिक दिव्यांगता को दर्शाता है।

* श्र दि वर्ग हेतु आरक्षित पद को अनारक्षित समूह के सापेक्ष श्र दि वर्ग के अभ्यार्थी द्वारा भरा गया है।

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुबंध-'छ'

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				गत वर्ष में की गई नियुक्तियां (01.04.2021 - 31.03.2022)									
					सीधी भर्ती				पदोन्नति द्वारा			दूसरे तरीके से		
	कुल	अजा	अज जा	अपिव	कुल	अजा	अज जा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अज जा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
श्रेणी क	13	01	--	03*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
श्रेणी ख	01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
श्रेणी ग	21	03#	01	05*		--	--		--	--	--	--	--	--
कुल	**35**	**04**	**01**	**08**	**--**	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

टिप्पणी:

(i) अजा - अनुसूचित जातियाँ।

(ii) अजजा - अनुसूचित जनजातियाँ।

(iii) अपिव - अन्य पिछड़ा वर्ग

\# समूह ग में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखने वाले एक कर्मचारी को अनारक्षित श्रेणी में भर्ती किया गया है।

* क एव ग समूह में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखने वाले एक एक कर्मचारी को अनारक्षित श्रेणी में भर्ती किया गया है।

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक-'ज'

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण

1. दिव्यांगता क्षेत्र

भारत दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। इसलिए, भारत सरकार देश में दिव्यांगजन (दिव्यांगजन) से संबंधित मुद्दों को सकारात्मक रूप से संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिव्यांगता क्षेत्र पर उचित ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने 2012 में एक अलग विभाग, यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बनाया। इसके आलावा, भारत सरकार ने पूर्व निशक्तता अधिनियम, 1995 कि जगह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया है। आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 को भी 15 जून 2017 को अधिसूचित किया गया है।

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, देश में दिव्यांगजन की कुल संख्या 2.68 करोड़ थी। हालांकि, दिव्यांगजन की श्रेणी में विस्तार को देखते हुए, संख्या कई गुना बढ़ने की संभावना है।

2. एनएचएफडीसी की भूमिका

दिव्यांगजन के लाभ के लिए देश में एक शीर्ष निगम के रूप में, एनएफडीसी दिव्यांगजन को सशक्त बनाने का दृढ आशय रखता है, ताकि लक्ष्य समूह समाज की मुख्य धारा में आत्मसात हो सके। निगमन के बाद से, निगम वित्तीय सशक्तिकरण और दिव्यांगजन के कौशल और ईडीपी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, निगम ने 2.18 लाख से अधिक दिव्यांगजन के लाभ के लिए 1,347 करोड़ रुपये से अधिक का रियायती ऋण दिया है।

3. भविष्य का दृष्टिकोण

निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और बैंकों (जिनके साथ समझौता किया गया है) के माध्यम से दिव्यांगजन के लाभ के लिए वित्तीय सहायता का प्रमुख हिस्सा प्रदान कर रहा है। एनएचएफडीसी योजनाओं के अंतर्गत कवर किए जाने वाले दिव्यांगजन की संख्या को ध्यान में रखते हुए, निगम क्रेडिट आउटरीच का विस्तार करने के लिए चैनल भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का प्रयास करता है। इसके अलावा, निगम देश के कोने-कोने को कवर करने के लिए नए चैनल भागीदारों को शून्य करने का प्रयास कर रहा है।

निगम सभी प्रकार के दिव्यांगजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे सरल बनाने के लिए क्रेडिट के साथ-साथ गैर-क्रेडिट आधारित योजनाओं/गतिविधियों के लिए अपने दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है।

दिव्यांगजन के लाभ के लिए धन की उपलब्धता के संबंध में निगम के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसे दिव्यांगजन के कौशल और ईडीपी प्रशिक्षण के लिए कई सीपीईसी के सीएसआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सौंपा गया है। भविष्य में भी निगम को ऐसी सहायता की आशा है। निगम भविष्य में और अधिक संख्या में दिव्यांगजन को प्रशिक्षण देने की सोच रहा है।

4. क्षमता, कमजोरी, अवसर और जोखिम

निगम के संबंध में एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण इस प्रकार है:

- **क्षमता**

  क. <u>अपनी तरह की अनूठी संस्था</u>

  निगम सभी श्रेणियों के दिव्यांगजन के लाभ के लिए भारत सरकार के अधीन सर्वोच्च संगठन है।

  ख. <u>चैनल वित्त प्रणाली (एससीए, पीएसबी और आरआरबी)</u>

  निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य संगठनों/एजेंसियों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ा सकता है। इस प्रकार, निगम पूरे देश में दिव्यांगजन की जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है।

  ग. <u>सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत सरकारी गारंटी समर्थन और ऋण अग्रिम क्रेडिट से जुड़े जोखिम को कम करता है।</u>

निगम संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित एससीए को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकार एनएचएफडीसी के बकाये की चुकौती की गारंटी देती है। इस प्रकार, निगम के लिए ऋण जोखिम न्यूनतम हो जाते हैं। साथ ही, जहाँ भी संभव हो, निगम सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत पीएसबीज/आरआरबीज को सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, बैंक को उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में सीजीटीएमएसई से देय राशि के चुकौती का आश्वासन दिया जाता है। इसलिए, क्रेडिट जोखिम न्यूनतम है।

- **कमज़ोरी**

  क. अधिकांश राज्य सरकारी गारंटी प्रदान करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

  यह देखा गया है कि राज्य विशेष रूप से एफआरबीएम अधिनियम के बाद एससीए को ऋण के लिए पर्याप्त गारंटी प्रस्तुत करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप इससे एससीए के माध्यम से दिव्यांगजन को लाभ पंहुचाने में धन का प्रवाह प्रभावित हो रहा है।

  ख. एससीए का कमजोर बुनियादी ढांचा।

  एससीए राज्य में एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर काम करते हैं। हालांकि, अधिकांश एससीए में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी है।

  ग. एनएचएफडीसी जनादेश के अनुपालनार्थ एससीए की तुलना में कोई लाभ नहीं

  एससीए संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। कई मामलों में, एससीए को अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में एनएचएफडीसी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूंकि एनएचएफडीसी का एससीए पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित होता है।

- **अवसर**

  क. उत्पादक आयु वाले अधिकांश दिव्यांग पहुंच से बाहर है।

  दिव्यांगजन के नए अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजन की अधिक श्रेणियों के कवरेज में वृद्धि के साथ; निगम को पहले की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ी आबादी को सहायता देने का बेहतर अवसर मिला है।

  ख. सभी पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमों में 5% सीटों का आरक्षण।

  नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इस प्रकार, दिव्यांगजन के लिए शिक्षा ऋण में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं।

- **जोखिम**

  क. लक्षित समूह की अधिकांश संख्या तक पहुँचने में असमर्थ

  भले ही निगम वर्ष 1997 से काम कर रहा है, एनएचएफडीसी अपनी योजनाओं के अंतर्गत आज तक लक्षित समूह का केवल छोटा सा हिस्से को ही कवर पाया है। जब तक निगम अपनी पहुंच नहीं बढ़ा लेता है और अधिकांश दिव्यांगजन को अपने योजनाओं के अंतर्गत नहीं लाता है, तब तक इसकी प्रासंगिकता प्रश्नों के घेरे में रह सकती है।

  ख. विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऋण माफी का प्रभाव

  कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए जारी किए गए ऋणों को अतीत में माफ कर दिया गया है। इसने दिव्यांगजन के मन में उम्मीद जगाई है कि भविष्य में इस निगम द्वारा दी गई ऋण सहायता को भी माफ किया जा सकता है और एनएचएफडीसी बकाया चुकाने के संबंध में

जानबूझकर चूक की गई है।

5. वित्तीय कार्य निष्पादन : तुलनात्मक वित्तीय स्थिति

गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम का वित्तीय कार्य निष्पादन इस प्रकार है;

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	**31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु**	
	2021	**2022**
परिचालनों से आय	11.46	10.65
अन्य आय	5.36	4.00
कुल आय	**16.82**	**14.65**
कर्मचारी हितलाभ व्यय	5.60	5.68
वित्तीय लागत	0.00	0.48
अन्य व्यय	1.53	1.79
मूल्यह्रास	0.48	0.50
कुल व्यय	**7.61**	**8.45**
अधिशेष (अन्य व्यापक आय के लिए समायोजन से पूर्व)	**9.21**	**6.20**
व्यापक आय	0.08	-0.04
अधिशेष (व्यापक आय के लिए समायोजन के बाद)	**9.29**	**6.16**

6. निगम का पचालनात्क कार्य निष्पादन

निगम का मुख्य कार्य दिव्यांगजन के लाभ के लिए उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मामूली ब्याज दर पर वित्तीय सहायता देना है।

6.1 ऋण जारी करना

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थियों को दी गई ऋण सहायता और गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलनीय उपलब्धियों के साथ कवरेज इस प्रकार है;

वित्तीय वर्ष	**2020-21**	**2021-22**
संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)	133.62	112.75
सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या*	20,946	16713

*(औसत ऋण आधार पर अग्रिम निधियों के सापेक्ष लाभार्थियों की अनुमानित संख्या सहित)

6.2 ऋण का राज्यवार वितरण

निगम का प्रदर्शन काफी हद तक कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन पर निर्भर है। गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के तुलनात्मक विवरण के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऋणों का राज्यवार वितरण अनुबंध-I-1 में दिया गया है।

6.3 योजना-वार प्रदर्शन

क) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जारी ऋणों का योजना/क्षेत्रवार वितरण प्रतिवेदन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऋण वितरण के संबंध में निगम का योजनावार प्रदर्शन इस प्रकार है:

क्र. सं.	योजनाएं / क्षेत्र	भौतिक लाभार्थी*		जारी वित्तीय राशि	
		संख्या	%	राशि (करोड़ रुपये में)	%
i)	व्यापार / बिक्री गतिविधि	7,726	46.23	59.92	53.14
ii)	सेवा क्षेत्र गतिविधि	3,025	18.10	22.07	19.57
iii)	कृषि (संबद्ध) गतिविधि	754	4.51	5.65	5.01
iv)	कृषि गतिविधि	463	2.77	5.39	4.78
v)	लघु व्यवसाय गतिविधि (विनिर्माण / उत्पादन)	169	1.01	1.31	1.16
vi)	वाणिज्यिक किराये के वाहन की खरीद	1,002	6.00	8.03	7.12
vii)	शिक्षा ऋण	7	0.04	0.22	0.20
viii)	विशेष सूक्ष्म वित्त योजना	3,567	21.34	10.16	9.01
	योग	**16,713**	**100**	**112.75**	**100**

***** जारी अग्रिम निधियों के सापेक्ष लाभार्थियों की अनुमानित संख्या (औसत आधार पर) सहित।

ख) 31 मार्च, 2022 तक जारी ऋणों का योजना/क्षेत्रवार वितरण (संचयी)

31 मार्च, 2022 तक जारी ऋण का क्षेत्रवार संवितरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	योजनाएं / क्षेत्र	भौतिक लाभार्थी*		वित्तीय (जारी की गई राशि)	
		संख्या	%	राशि (करोड़ रुपये में)	%
i)	व्यापार / बिक्री गतिविधि	1,06,145	48.62	629.77	46.74
ii)	सेवा क्षेत्र की गतिविधि	44,823	20.53	286.95	21.30
iii)	कृषि (संबद्ध) गतिविधि	35,332	16.18	181.71	13.49
iv)	कृषि गतिविधि	3,679	1.69	48.72	3.62
v)	लघु व्यवसाय गतिविधि (विनिर्माण/ उत्पादन)	3,599	1.65	25.30	1.88
vi)	वाहन ऋण	5,359	2.45	99.68	7.40
vii)	शिक्षा ऋण	279	0.13	9.81	0.73
viii)	सूक्ष्म ऋण योजना	4,182	1.92	5.27	0.39
ix)	विशेष सूक्ष्म वित्त योजना	14,913	6.83	60.16	4.46
	योग	2,18,311	100	**1347.37**	100

***** जारी अग्रिम निधियों के सापेक्ष लाभार्थियों की अनुमानित संख्या (औसत आधार पर) शामिल है।

उपरोक्त प्रवृत्ति किसी विशेष क्षेत्र/गतिविधि के लिए निगम के विशिष्ट ध्यान को इंगित नहीं करती है। वास्तव में, लाभार्थी अपनी पसंद की परियोजना/उद्यम चुनने के लिए स्वतंत्र है जिसे वह स्थापित करना चाहता है। निगम किसी भी तरह से लाभार्थी के निर्णय को प्रभावित नहीं करता है।

6.4. दिव्यांगता- ऋण का वितरण

निगम का लक्ष्य दिव्यांगजन की सभी श्रेणियों की सेवा करना है। उपरोक्त प्रवृत्ति इंगित करती है कि ऋण का बड़ा हिस्सा लक्षित समूह के बीच ओएच श्रेणी के लाभ के लिए है। निगम दिव्यांगजन की सभी श्रेणियों के लिए कवरेज का विस्तार करना चाहता है। दिव्यांगजन की अन्य श्रेणियों द्वारा कम वित्तीय सहायता लेने को ध्यान में रखते हुए, निगम ने दिव्यांगजन (ओएच श्रेणी से संबंधित लोगों के अलावा) के लिए ब्याज दर में अतिरिक्त 0.5% छूट प्रदान की है।

क) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जारी ऋणों का दिव्यांगता श्रेणीवार वितरण

दिव्यांगजन की विभिन्न श्रेणियों के बीच वर्ष 2021-22 के दौरान ऋण वितरण का विवरण इस प्रकार है:

दिव्यांगता प्रकार	भौतिक लाभार्थी*		वित्तीय (जारी की गई राशि)	
	संख्या	%	राशि (करोड़ रुपये में)	%
अस्थि दिव्यांग	13,382	80.07	88.02	78.06
मानसिक रूप से मंद व्यक्ति	1,229	7.35	9.63	8.54
दृष्टि दिव्यांग	797	4.77	5.39	4.78
श्रव्य दिव्यांग	1,305	7.81	9.72	8.62
योग	**16,713**	**100**	**112.76**	**100**

* जारी अग्रिम निधियों के सापेक्ष लाभार्थियों की अनुमानित संख्या (औसत आधार पर) शामिल है।

ख) 31 मार्च, 2022 तक जारी ऋणों का दिव्यांगता श्रेणी- वितरण

31 मार्च, 2022 (संचयी) तक दिव्यांगजन की विभिन्न श्रेणियों के बीच ऋण वितरण का विवरण इस प्रकार है:

दिव्यांगता प्रकार	भौतिक लाभार्थी*		वित्तीय (जारी की गई राशि)	
	संख्या	%	राशि (करोड़ रुपये में)	%
अस्थि दिव्यांग	1,86,278	85.33	1,144.01	84.91
मानसिक रूप से मंद व्यक्ति	7,231	3.31	45.36	3.37
दृष्टि दिव्यांग	12,553	5.75	82.98	6.16
श्रव्य दिव्यांग	12,249	5.61	75.02	5.57
योग	**2,18,311**	100	**1,347.37**	100

6.5. ऋण का लिंग-वार वितरण

निगम अपनी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से दिव्यांग महिलाओं को खुद को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य के साथ, निगम रु. 50,000/- तक के स्व-रोजगार ऋण में ओएच के अलावा दिव्यांग महिलाओं/दिव्यांगजन के लिए ब्याज में 1% की छूट की अनुमति देता है।

क) वित्तीय वर्ष के दौरान लिंग-वार ऋण वितरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम द्वारा ऋण सहायता का लिंग-वार वितरण इस प्रकार है:

लिंग	भौतिक (लाभार्थी)*		वित्तीय (जारी की गई राशि)	
	संख्या	%	राशि (करोड़ रुपये में)	%
पुरूष	9,170	54.87	71.89	63.76
महिला	7,543	45.13	40.86	36.24
योग	**16,713**	**100**	**112.75**	**100**

ख) 31 मार्च, 2022 तक जारी ऋण का लिंग-वार वितरण

31 मार्च, 2022 (संचयी) तक दिव्यांगजन की विभिन्न श्रेणियों के बीच ऋण वितरण का विवरण इस प्रकार है:

संख्या	भौतिक (लाभार्थी)*		वित्तीय (जारी की गई राशि)	
	राशि (करोड़ रुपये में)	%	राशि (करोड़ रुपये में)	%
पुरूष	1,63,196	74.75	1,027.13	76.23
महिला	55,115	25.25	320.24	23.77
योग	**2,18,311**	100	**1,347.37**	**100**

6.6 ऋण का राशि-वार वितरण

निगम की योजनाओं के अंतर्गत, आय सृजन गतिविधि/उद्यम और ऐसे उद्यमों में निवेश पूर्णतया लाभार्थी की पसंद के अनुसार होता है। तथापि यह देखा गया है कि अधिकांश ऋण कम लागत वाली परियोजनाओं के लिए जारी किए गए हैं।

31.3.2022 तक (संचयी) लाभार्थियों को ऋण राशि के आधार पर जारी ऋणों का वर्गीकरण इस प्रकार है;

क्र.सं.	ऋण सीमा	लाभार्थी	संवितरित राशि (राशि करोड़ रुपये में)	लाभार्थी की संख्या के संदर्भ में अंश (% में)	जारी ऋण की राशि का अंश (% में)
1	50,000/- रुपये तक	1,39,697	546.23	63.99	40.54
2	50,000/- रुपये से ऊपर एवं 5.0 लाख रुपये तक	73,791	728.88	33.80	54.10
3	5.0 लाख रुपये ऊपर	4,823	72.26	2.21	5.36
योग		**2,18,311**	**1347.37**	**100**	**100**

6.7 वर्ष 2021-22 के दौरान ऋण लेने के मामले में शीर्ष तीन राज्य

निगम की योजनाओं के अंतर्गत अपने संबंधित राज्यों में लक्ष्य समूह के कवरेज को बढ़ाने के लिए निगम अपनी चैनेलाइजिंग एजेंसियों के साथ काम कर रहा है।

वर्ष 2021-22 के दौरान निगम से ऋण लेने के मामले में शीर्ष तीन राज्य इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)
1.	तमिलनाडु	30.00
2.	केरल	22.63
3.	हरियाणा	13.11

6.8 वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थी कवरेज के मामले में शीर्ष तीन राज्य

निगम का उद्देश्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के कवरेज का विस्तार करना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम की योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के कवरेज के मामले में शीर्ष तीन राज्य इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थी
1.	तमिलनाडु	6,000
2.	केरल	2,254
3.	हरियाणा	1,309

7. प्रगतिशील उपलब्धियां

निगम ने गत वर्षों में विभिन्न मोर्चों पर प्रगतिशील उपलब्धि दिखाई है। ये इस प्रकार हैं:

7.1 गत 10 वर्षों में ऋण जारी करना

गत 10 वर्षों में दिव्यांगजन के लाभ के लिए ऋण सहायता जारी करने के मामले में निगम की उपलब्धियां इस प्रकार हैं;

जारी की गई राशि (करोड़ रुपये) - वित्तीय वर्ष वार

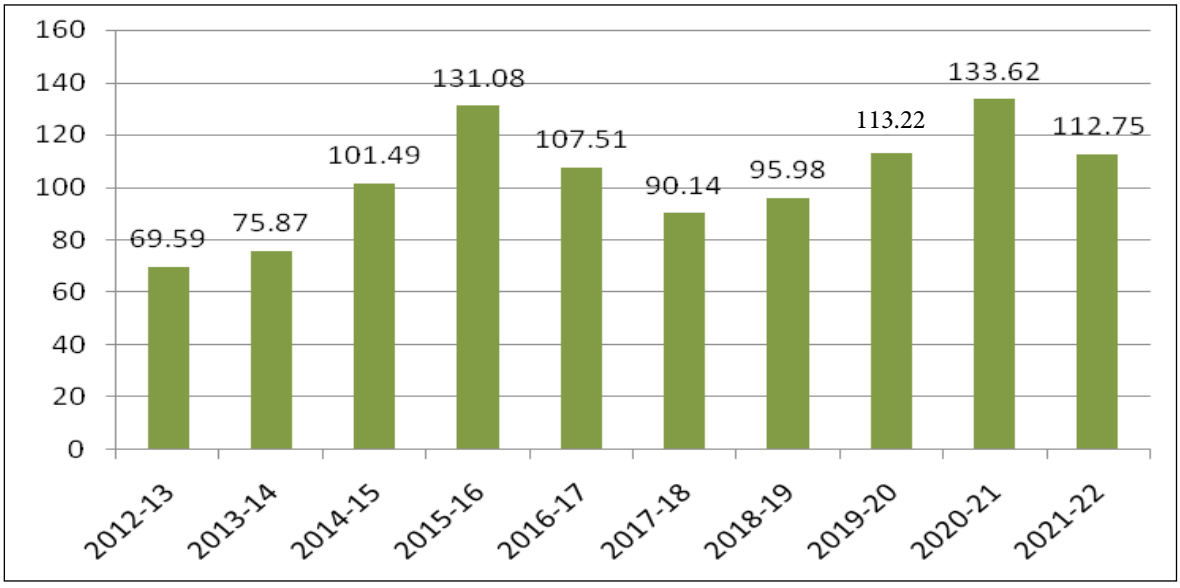

7.2. गत 10 वर्षों में लाभार्थियों का कवरेज

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गत 10 वर्षों में दिव्यांगजन के कवरेज के मामले में निगम की उपलब्धियां इस प्रकार हैं;

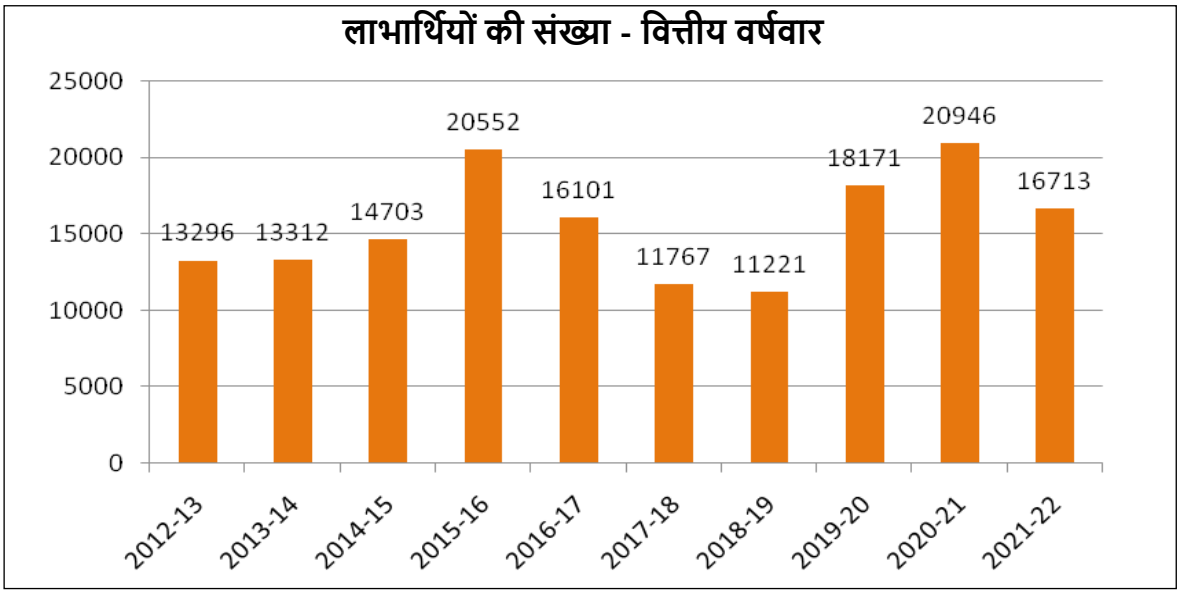

8. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन

निगम ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया था। 11 जनवरी, 2022 को वर्ष 2021-22 के लिए भारत का। समझौता ज्ञापन की प्रति अनुलग्नक- झ-2 पर है।

उपलब्धियों के अनुसार और ऑडिटेड डेटा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल स्कोर 79.47 आता है जो 'बहुत अच्छा' श्रेणी के अनुरूप है। एमओयू 2021-22 लक्ष्यों की प्रदर्शन उपलब्धियां इस प्रकार हैं;

क्र. सं	पैरामीटर	समझौता ज्ञापन			
		इकाई	भार	लक्ष्य	उपलब्धि
1	प्रचालन से राजस्व	राशि करोड़ रूपये में	10	12.50	10.66
2	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	3.81	2.82
3	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	10	60.69	45.72
4	निवल मूल्य पर प्रतिफल	%	10	2.41	1.26
5	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	5	2.35	1.25
6	कुल उपलब्ध निधि के सापेक्ष संवितरित ऋण	%	15	100	81
7	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को संवितरित ऋण	%	10	57.26	54.78
8	कुल ऋण के सापेक्ष अतिदेय ऋण	%	10	22.67	21.28
9	कुल ऋण के सापेक्ष अनर्जक आस्तियां	%	10	0.20	0.21
10	भौगोलिक विस्तार	%	5	100	100
11	अंतिम लाभार्थियों को अंतिम छोर तक संवितरण	%	10	100	60.65
		योग	**100**		

टिप्पणियाँ:

1. कुल उपलब्ध निधियों में संवितरित ऋण

   उपरोक्त लक्ष्य के संबंध में, उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित संवितरण लक्ष्य (140 करोड़ रुपये) पर आधारित है।

2. सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को वितरित ऋण

   संदर्भाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने रु. 61.76 करोड़। दिव्यांगजन के लिए, जहां व्यक्तिगत दिव्यांगजन के लिए ऋण राशि 50,00/- रुपये से अधिक नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल रु. 112.75 करोड़। निगम द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त पैरामीटर के संबंध में निगम की उपलब्धि 57.26% के लक्ष्य के मुकाबले 54.78% है।.

3. अंतिम छोर के अंतिम लाभार्थियों को संवितरण

   उपरोक्त लक्ष्य के संबंध में, उपलब्धि ऋण के उपयोग से संबंधित निगम की नीति पर आधारित है। निगम की मौजूदा नीति के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निधियों के उपयोग के लिए 120 दिनों की उपयोग अवधि की अनुमति है।

   वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने 54.47 करोड़ जारी किए थे। 30 नवंबर, 2021 तक और 31 मार्च, 2022 तक, उक्त जारी ऋण के सापेक्ष 33.03 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुका है।

4. भौगोलिक कवरेज

   वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निगम ने दिव्यांगजन के लिए ऋण सहायता और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया।

9. बोर्ड स्तर की समितियाँ

निगम के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के संदर्भ में रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों की विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है।

क) लेखा परीक्षा समिति

निगम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप) के अंतर्गत लाभ के लिए नहीं कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कंपनी है और न ही किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति का गठन करना कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि, डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को 24 मार्च, 2022 को इस प्रकार पुनर्गठित किया गया था;

1. डॉ. प्रियंका चौधरी, गैर-सरकारी निदेशक : अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार : सदस्य (एनएचएफडीसी के बोर्ड में निदेशक)
3. बोर्ड में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रतिनिधि : सदस्य
4. डॉ. जवाहरलाल जोग्लुज़ू गैर-सरकारी निदेशक : सदस्य
5. डॉ. प्रिया शील हाडा, गैर-सरकारी निदेशक : सदस्य

प्रतिवेदनाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, समिति की 3 (तीन) बैठकें इस प्रकार आयोजित की गईं:-

क्र. सं.	बैठक का विवरण	बैठक की तिथि
i)	17वीं लेखापरीक्षा बैठक	23 जून, 2021
ii)	18वीं लेखापरीक्षा बैठक	23 सितम्बर, 2021
iii)	19वीं लेखापरीक्षा बैठक	24 मार्च, 2022

ख) पारिश्रमिक समिति

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतनमानों के संशोधन को 1.0.1.2017 से अधिसूचित किया है। डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जिसमें अंशकालिक निदेशक या स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे, जो प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) के भुगतान पर निर्णय लेंगे।

निगम की पारिश्रमिक समिति का 18 दिसंबर, 2020 को इस प्रकार पुनर्गठन किया गया था,

1. डॉ. प्रियंका चौधरी, निदेशक आंतरिक प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड में निदेशक वित्त : समिति की अध्यक्षा
2. प्रभाग (आईएफडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय : सदस्य
3. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का प्रतिनिधि : सदस्य

ग) प्रशासनिक समिति

स्थापना मामलों, प्रशासनिक मामलों, मानव संसाधन मुद्दों और इनसे संबंधित नीतिगत मुद्दों से संबंधित निगम के नियमों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए 27 मई, 2019 को 'प्रशासनिक समिति' नामक निदेशकों की एक समिति का गठन किया गया था।

प्रतिवेदनाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, समिति की एक बैठक 27 अगस्त, 2020 को आयोजित की गई थी। उक्त समिति की संरचना इस प्रकार है;

1. प्रबंध निदेशक : समिति के अध्यक्ष
2. पदेन निदेशक : एक
3. स्वतंत्र/गैर-सरकारी निदेशक : एक

10. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान करती है;

i) लेन-देन का प्राधिकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग।

ii) अनधिकृत उपयोग या व्यवधान के सापेक्ष संपत्ति की रिकॉर्डिंग और सुरक्षा।

iii) उचित लेखा अभिलेखों का रखरखाव।

- **निगरानी व्यवस्था**

  निगम उन्हें जारी किए गए ऋणों के उपयोग के विवरण के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

- **आंतरिक लेखापरीक्षा**

  निगम स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा अपने मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है।

11. जोखिम प्रबंधन नीति

निगम ने जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है और यह निगम की वेबसाइट (अनुलग्नक-झ-जोखिम प्रबंधन नीति-11.12.2012.pdf (nhfdc.nic.in) पर उपलब्ध है।

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक-'झ-1'

वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान जारी की गई राशि और कवर किए गए लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2020-21		2021-22	
		संवितरित राशि (लाख रुपये में)	लाभार्थी	संवितरित राशि (लाख रुपये में)	लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	1,501.72	3,718	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.20	1
3.	असम	0	0	0.25	1
4.	बिहार	6.02	0	6.88	1
5.	चंडीगढ़	1.75	7	2.25	9
6.	छत्तीसगढ़	0	0	205	119
7.	दिल्ली	19.12	2	26.88	85
8.	गुजरात	55	51	380.41	378
9.	हरियाणा	1,369.17	1,316	1,311.33	1,309
10.	हिमाचल प्रदेश	400	400	500	500
11.	जम्मू एवं कश्मीर	153.88	144	737.50	737
12.	झारखण्ड	5	5	100	100
13.	कर्नाटक	0.25	1	0	0
14.	केरल	4,504.00	4,504	2,263.50	2,254
15.	लक्षद्वीप	40	40	0	0
16.	मध्य प्रदेश	125.63	86	82.09	36
17.	महाराष्ट्र	10.53	1	3.98	2
18.	मेघालय	20	20	50	50
19.	मिजोरम	20	20	21	21
20.	नगालैंड	0	0	0.40	2
21.	ओडिशा	9.22	1	1.75	1
22.	पंजाब	113	113	94.82	107
23.	राजस्थान	619.94	601	1,224.78	1,202
24.	सिक्किम	21	21	50	50
25.	तमिलनाडु	3,000.00	6,000	3,000.00	6,000
26.	तेलंगाना	1,000.00	3,485	1,000.00	3,485
27.	त्रिपुरा	70.25	70	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	287.28	337	204.84	263
29.	उत्तराखंड	0.50	1	6.83	0
30.	पश्चिम बंगाल	8.55	2	0	0
	योग	**13,361.81**	**20,946**	**11,274.69**	**16,713**

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक-'झ-2'

राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (स्टैंडअलोन): समझौता ज्ञापन 2021-22

क्र. सं.	पैरामीटर	इकाई	अनुमान (वर्ष 2020-21)	अनुमान (वर्ष 2020-21)	सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन	लक्ष्य वर्ष 2021-22
1.	प्रचालन से राजस्व	राशि करोड़ रुपये में	10			12.50
2.	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5			3.81
3.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	10			60.69
4.	निवल मूल्य पर प्रतिफल	%	10			2.41
5.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	5			2.35
6.	कुल उपलब्ध निधियों में वितरित ऋण	%	15			100
7.	सूक्ष्म वित्त वाले लाभार्थियों को वितरित ऋण	%	10			57.26
8.	कुल ऋणों की तुलना में अतिदेय ऋण	%	10			22.67
9.	कुल ऋण के लिए एनपीए	%	10			0.20
10.	भौगोलिक विस्तार	%	5			100
11.	अंतिम लाभार्थियों को अंतिम छोर तक संवितरण	%	10			100
		योग	**100**			

टिप्पणियाँ:

- लक्ष्य वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित है।
- मापदंड निर्धारित करते समय प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाता है।
- कुल उपलब्ध निधिमें से संवितरित ऋण, सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को संवितरित ऋण, कुल ऋण के सापेक्ष अतिदेय ऋण, कुल ऋण के सापेक्ष अनजर्क आस्ति, भौगोलिक कवरेज और अंतिम छोर के संवितरण के मापदंडों में हासिल किए गये लक्ष्य,सीपीएसई की वित्त वर्ष 2021-22की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर संपुष्टि की जाएगी।
- 50% से 100% तक लक्ष्य हासिल करने पर आनुपातिक अंक।
- 50.00% से कम लक्ष्य हासिल करने पर कोई अंक नहीं।
- वित्त वर्ष 2021-22 की उपलब्धियों की गणना में, राजस्व/लाभ/अधिशेष या हानि/घाटे का अधिक उल्लेख करने के मामले में सीएजी/सांविधिक लेखापरीक्षकों की मात्रात्मक अर्हता समायोजित की जाएगी।

अनुलग्नक-'झ-2

वर्ष 2021-22 हेतु अनुपालन पैरामीटर

क्र. सं.	पैरामीटर	अंक	स्रोत / सत्यापन
1.	जेम पोर्टल से कुल खरीद का 25%: (जेम के अनुसार वर्ष के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद)/(संबंध पोर्टल के अनुसार गत वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद)*100	-2	जीईएम पोर्टल और संबंध पोर्टल के आधार पर मंत्रालय
2.	चुनिंदा मामलों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश i) वेतन संशोधन दिशानिर्देश और वेतन संशोधन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) की लाभप्रदता की समीक्षा ii) व्यय प्रबंधन आर्थिक उपाय और व्यय का युक्तिकरण iii) सुलभ भारत अभियान पर दिशानिर्देश (सुगम्य भारत अभियान) iv) शिक्षुता अधिनियम के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश 1961 v) सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर जारी दिशानिर्देश।	-2	सीएजी रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3.	कारपोरेट शासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एलओडीआर) नियमों) के उपबंधों का अनुपालन यथा: (i) निदेशक मंडल का संघटन (ii) बोर्ड समितियां (लेखा परीक्षा समिति आदि) (iii) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पार्टी लेन-देन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता	-3	सीएजी/सांविधिक/ सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4.	दीपम/नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य: i. लाभांश भुगतान ii. आस्ति मुद्रीकरण लक्ष्य iii। विशिष्ट विनिवेश लक्ष्य	-2	दीपम/नीति आयोग से संपुष्टि के पर प्रशासनिक मंत्रालय
5.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए खरीद और समय पर भुगतान (संबंध पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद का 25% (एससी/एसटी एमएसई से 4% और महिला एमएसई से 3% सहित)/(संबंध पोर्टल पोर्टल के अनुसार वर्ष के दौरान वस्तु और सेवाओं कीकुल खरीद)	-2	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6.	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)	-1	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा संपुष्टि

हस्ता/-
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन

हस्ता/-
सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
दिनांक 11 जनवरी, 2022

अनुलग्नक-'ट'

रवि एस शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट अभिशासन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन

रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12
फरीदाबाद (हरियाणा)-121007

हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन**, ["निगम"] द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, यथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम में परिकल्पित है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह निगम के वित्तीय विवरणों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही मत की अभिव्यक्ति।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारऔर निगम द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों और दस्तावेजों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि **(i) बोर्ड की दो बैठकों के बीच का समयांतराल तीन माह से अधिक होने; और (ii) लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच का समयांतराल चार माह से अधिक होने को** छोड़कर,निगम ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के कार्य निष्पादित किये हैं।

कृते रवि एस शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./-
रवि एस. शर्मा
(प्रौपराइटर)
सदस्यता सं. एफ 7336

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 16.09.2022

अनुलग्नक-'ठ'

वर्ष 2021-22 हेतु कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. निगम की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

एनएचएफडीसी का मुख्य उद्देश्य 'कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति' (सीएसआर नीति) के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक विकास में सतत विकास में अपना योगदान देना है। निगम की सीएसआर नीति कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा 'डीपीई दिशानिर्देश' के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप तैयार की गई थी। निगम की सीएसआर नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी।

2. सीएसआर समिति के संघटक

निगम में बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति विद्यमान नहीं है चूंकि धारा 135(5) के अंतर्गत सीएसआर के अंतर्गत कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अनधिक है।

3. वेब-लिंक

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति/विवरण के विवरण http://www.nhfdc.nic.in/writereaddata/NHFDC/CSR-Policy-2016.pdf. पर उपलब्ध हैं।

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): लागू नहीं

5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण एवं वित्तीय वर्ष के लिए समंजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	विगत वित्तीय वर्षों से समंजन हेतु उपलब्ध राशि (राशि रुपये में)	वित्त वर्ष में समंजन हेतु अपेक्षित राशि यदि कोई हो (राशि रुपये में)
1.	2019-20	शून्य	शून्य
2.	2020-21	शून्य	शून्य
3.	2021-22	शून्य	शून्य
योग		**शून्य**	**शून्य**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : 8,98,00,341/- रुपये

7. 7. क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: 17,96,007/- रुपये

   (ख) विगत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए समंजन हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: शून्य

   (घ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग): 17,96,007/- रुपये

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की गई कुल राशि (लाख रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में):				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरित करने की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरित करने की तिथि
17,96,007/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 में चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के सापेक्ष खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: 17,96,007/- रुपये (अनुलग्नक-ठ-क)

(घ) प्रशासनिक उपिर व्यय में खर्च की गई राशि: शून्य

(ड.) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड.) : 17,96,007/- रुपये

(छ) समंजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो।

क्र.सं.	विवरण	राशि (लाख रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	17,96,007/-
(ii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि	17,96,007/-
(iii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समंजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)- (iv)]	शून्य

9. (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों में अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	अधारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			आगामी वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि	अंतरित करने की तिथि	
1.	2018-19	शून्य	शून्य	----	----	----	51,98,485
2.	2019-20	शून्य	51,98,485	----	----	----	5,85,159
3.	2020-21	शून्य	18,96,422				शून्य

(ख) विगत वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से सृजित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार विवरण):

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि: लागू नहीं

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि: लागू नहीं

(ग) संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: लागू नहीं

(घ) सृजित या अधिग्रहीत पूंजीगत परिसंपत्ति का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित): लागू नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण बताएं: लागू नहीं

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक- ठ-क

वित्तीय वर्ष 2021-22 में चालू परियोजनाओं को छोड़कर अन्य मद में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की विधि - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की विधि	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	आवश्कता/अत्यावश्यकता के समय संस्थानों, आम जनता और समाज के वंचित/कोविड प्रभावित वर्गों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स	निवारक स्वास्थ्य सेवा सहित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।	नहीं	दिल्ली/ एनसीआर		11,03,304	नहीं	एनएचएफडीसी फाउंडेशन	CSR00005833
2.	समाज के वंचित वर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मोतियाबिंद सर्जरी महत्वपूर्ण	यथोपरि	हां	दिल्ली/ एनसीआर		2,75,000	नहीं	महावीर इंटरनेशनल	CSR00002906
3.	समाज के कमजोर वर्ग को बड़ी बीमारियों से बचाने और उनकी रक्षा करने के लिए दंत चिकित्सा और नेत्र देखभाल परामर्श (एलोपैथिक के साथ-साथ आयुर्वेदिक) सहित निवारक स्वास्थ्य जांच सुविधा।	यथोपरि		हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली एनसीआर		4,17,703	नहीं	एनएचएफडीसी फाउंडेशन	CSR00005833
योग						**17,96,007**			

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक- 'ड'

बोर्ड का संघटक एवं निदेशकगण
(31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	विवरण	संख्या	वर्तमान स्थिति
1.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	1	श्री राजन सहगल
2.	गैर सरकारी निदेशक	3	डॉ. प्रियंका चौधरी डॉ. जवाहरलाल जोंग्लुजू डॉ. प्रिया शील हाड़ा
3.	संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	1	श्री किशोर बाबूराव सुर्वाडे
4.	वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	1	श्री संजय पाण्डेय
5.	सीएमडी, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	1	रिक्त
6.	बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग विभाग/आईआईटी/ अनुसंधान संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति	1	डॉ. अलका शर्मा
7.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रतिनिधि	1	श्री मितेश सिन्हा
8.	सिडबी के प्रतिनिधि	1	रिक्त
9.	विकास आयुक्त, लघु उद्योग/विकास आयुक्त, हस्तशिल्प/विकास आयुक्त, लघु उद्योग/विकास आयुक्त, हस्तशिल्प के प्रतिनिधि	1	रिक्त
10.	एमडी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	1	रिक्त

सेवानिवृत्ति, निष्कासन, त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा के कारण निदेशक के कार्यालय में किसी भी रिक्ति को भरने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (ऊपर क्रमांक-1) निगम के एकमात्र कार्यकारी निदेशक हैं।

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक 'ढ'

निगम की वार्षिक आम बैठकें

निगम की विगत तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	तिथि	समय	स्थल	बैठक में यदि कोई विशेष संकल्प पारित हुआ हो
2021	25.12.2021	अपराह्न 4.00	होटल ले मेरिडियन, 1, रीको, कुकस, जयपुर, राजस्थान-302028	जी हां (एक)
2020	18.12.2020	अपराह्न 3.30	ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम): यूनिट सं. 11 और 12 में निगम का कारपोरेट कार्यालय, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020	नहीं
2019	30.09.2019	पूर्वाह्न 10.30	कॉन्फ्रेंस हॉल, डीईपीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	नहीं

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

अनुलग्नक 'ण'

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	विवरण	सं.
1.	उत्तर दिये गये/निस्तारित आवेदन	114
2.	उत्तर दिये गये/निस्तारित आवेदन	117
3.	ऐसे मामलों की संख्या जहां सूचना देने से मना किया गया	शून्य
4.	अपीलें	09
5.	विनिश्चित अपीलें	09
6.	सीपीआईओ पर प्राप्त दंड/आक्षेप	शून्य

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 03633935

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एण्ड डिवैल्पमेन्ट कॉर्पोरेशन की 31 मार्च, 2022को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिकाओं पर भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एण्डं डिवैल्प्मेन्ट कॉर्पोरेशन** के वित्तीय विवरणिकाओं (सीएफएस) की तैयारी कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 27 जून 2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत **नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एण्डं डिवैल्प्मेन्ट कॉर्पोरेशन** के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी के कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी संज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गतसांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा पूरक का कारण बने।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

स्थान: नई दिल्ली
तिथि :16.09.2022

ह./-
(राजीव कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय)

ग्रोवर, लल्ला एंड मेहता

चार्टेड अकाउंटेंट्स

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन

वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने **नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन** ("कंपनी") की वित्तीय विवरणिओं की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा विवरणिका (अन्य व्यापक आय सहित), उस समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरणिका एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश सहित वित्तीय विवरणिकायें सम्मिलित हैं।

निम्नलिखित मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरणिका कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना इस रीति में देती है जो 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति (वित्तीय स्थिति) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष (कुल व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी में परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप अपेक्षित है तथा सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

अभिमत हेतु आधार

2. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण (एसए) के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणिका खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लेख किया गया है। हम भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तदायित्वों का निर्वहन किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वह हमारी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महस्यपूर्ण मामले

3. हम निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं:-

   i. निगम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप) के अंतर्गत देश भर के दिव्यांगजन (दिव्यांगजन) के लाभ के लिए एक शीर्ष निगम के रूप में पंजीकृत है, लाभ के लिए

नहीं। इसके बावजूद यह निगम विगत कई वर्षों से भारी लाभ अर्जित कर रहा है।

ii. कंपनी के आकार और उसके प्रचालन की प्रकृति को देखते हुए स्वीकृत, संवितरित और चुकौती के अंतिम उपयोग को सत्यापित करने के लिए प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियां पर्याप्त रूप से उचित नहीं हैं। हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को ऋण जारी करना और चुकौती करना एससीए की एकमात्र जिम्मेदारी है और निगम एससीए द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर भरोसा कर रहा है। निगम की ऋण नीति के अनुसार, एससीए को अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसका नियमित रूप से अनुपालन नहीं किया जाता है। निगम को कोई ऐसी प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को धन का संवितरण ठीक से किया जा रहा है।

iii. कंपनी को जोखिम मूल्यांकन पर पर्याप्त रूप से विचार करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक व्यापक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली अपनाने की नितांत आवश्यकता है जो जोखिम मूल्यांकन करते समय धोखाधड़ी की संभावना के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों में से एक है।

iv. कार्यान्वयन करने वाली कुछ एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना नई निधियां संवितरित की गईं। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, निगम को 3551.22 लाख रुपये की ऋण राशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र/विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जो 120 दिनों से अधिक समय से लंबित है।

v. यह देखा गया है कि कई एससीए ने धनराशि चुकाने में चूक की है, जिसे पांच से अधिक वर्ष हो गया है और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार यह राशि ब्याज घटक सहित 963.41 लाख रुपये है। हालांकि ये ऋण राज्य सरकार की गारंटी द्वारा प्रतिभूत हैं, किंतु इन गारंटियों का कभी भी उपयोग नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप धन का प्रवाह रुक जाता है।

vi. निगम क) दिव्यांगजन के अधिकारों का क्रियान्वयन योजना अधिनियम, 2016 (सिपडा) ख) दिव्यांगजन राष्ट्रीय कोष (दिव्यांगजन छात्रवृत्ति) का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

ग) अन्य सीपीएसयू के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)। वे उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धनराशि उपलब्ध कराते हैं जिन्हें अलग से नहीं रखा जा रहा है। दिनांक 31.03.2022 की तुलन पत्र के अनुसार, तीनों योजनाओं के लिए देयता उनके बैंक खाते में.710.47 लाख रुपये की तुलना में.2661.51 लाख रुपये है।

vii. निगम ने 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 6793.48 लाख रुपये के ऋण के संबंध में अभी तक राज्य सरकार की ब्लॉक गारंटी प्राप्त नहीं की है जिसके संबंध में कंपनी ने 25 जून, 2012 को बोर्ड के निदेश के बावजूद तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एससीए) से गारंटी प्राप्त की है।

viii. सीएसआर के मामले में सरकार या अन्य संगठनों से प्राप्त अनुदान/योगदान पर ब्याज के उपचार से संबंधित लेखांकन नीति में बदलाव के कारण, वर्ष के लिए लाभ 29.12 लाख रुपये से कम है। (वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी संख्या 25 देखें)।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

4. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में देखा गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

i) ***हमने पाया है कि निगम वर्ष 2021-22 हेतु एससीए, आरआरबी एवं कार्यान्वयन करने वाली अन्य एजेंसियों के लिए वर्ष के अंत में शेष राशि की संपुष्टि वाला पत्र भेजा है जिसमें से कार्यान्वयन करने***

वाली कुछ एजेंसियों ने अपने शेष की संपुष्टि नहीं की है। इसके अतिरिक्त,जिन कुछ कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों ने शेष राशि की संपुष्टि की है उनमें 50.19 लाख रुपये का अनभिज्ञात अंतर था, इसके प्रभाव को, यदि कोई, सत्यापित नहीं किया जा सका।

ii) *निगम , कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम से सीएसआर अनुदान प्राप्त करता है। निगम ने प्राप्त सीएसआर अनुदान के लिये केवल एक ही लेखा बनाया है। निगम में परियोजना वार एवं पार्टी वार सीएसआर अनुदान का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। ऐसे विवरण के अभाव में, हम पार्टी वार उपयोग / अनुपयोग का/पर सत्यापन करने/टिप्पणी में असमर्थ हैं। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 633.38 लाख रुपये की असमाशोधित/अप्रयुक्त सीएसआर निधि है जिसका सत्यापन नहीं किया जा सका।*

iii) *निगम ने भारत सरकार से सिपडा के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्य योजना के अधीन दिव्यांगजन के लिए कौशल विकास परियोजना में अनुदान प्राप्त हुआ है। अनुदान की नियम एवं शर्तों के अंतर्गत यथापेक्षित, प्राप्त एवं भुगतान विवरण, आय एवं व्यय विवरण एवं तुलन पत्र सहित परियोजनाओं के लेखाओं का विवरण तैयार नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार इस प्रकार सत्यापन हेतु हमें उपलब्ध नहीं कराया गया।*

निगम इन अनुदानों का योजनावार लेखा/विवरण का अनुरक्षण नहीं कर रहा है। ऐसे विवरण के अभाव में, हम इन प्राप्त अनुदानों के योजनावार उपयोग/अनुपयोग को सत्यापित/टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 847.89 लाख रुपये की असमाशोधित/अप्रयुक्त सिपड़ा निधि है जिसका सत्यापन नहीं किया जा सका।

iv) *कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को दिये गये अग्रिम निधि का अंतर-विभागीय समाशोधन लंबित है, जहां अग्रिम निधि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त हो गए हैं, किंतु ऋण बहियों में उनका समायोजन नहीं किया गया है। ऋण/ब्याज में अपेक्षित समायोजन किया जाना चाहिए। इसके प्रभाव को, यदि कोई, सत्यापित नहीं किया जा सका।*

5. वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट, और निदेशक की रिपोर्ट में संलग्नक, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट और कंपनी से संबंधित अन्य सूचना सम्मिलित है (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाएं पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणिकाओं के साथ भौतिक रूप से या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त सूचना हमारे ज्ञान में असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का तात्विक मिथ्याकथन है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी बात नहीं है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्याकथन है, तो हमें इस मामले को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जिन्हें शासन ने प्रभार दिया है और यदि आवश्यक हो तो उचित

कार्रवाई करनी होगी।

6. प्रबंधन के उत्तरदायित्व और वित्तीय विवरणों के लिए शासन से प्रभारित लोग

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने; ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है, जो सत्य और न्यायोचित अवलोकन प्रदान करने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए प्रासंगिक हों और किसी उल्लेखनीय मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में निदेशक मंडल कंपनी की लाभकारी कारबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने यथा लागू प्रकटीकरण, लाभकारी कारबार वाले संस्थान से संबंधित मामलों और लेखाकरण में लाभकारी कारबार वाले संस्थान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी के या तो परिसमापन या प्रचालन बंद करने आशय नहीं करता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

7. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के संबंध में उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समग्र रूप से तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारे मत शामिल हैं। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा तात्विक मिथ्या कथन मौजूद होने पर सदैव उसका पता लगाएगी। मिथ्याकथन धोखाधड़ी से या त्रुटिवश हो सकते हैं और यदि, अलग-अलग या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त अपेक्षा होती है तो इन्हें तात्विक माना जाता है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। यह भी करते हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि कंपनी ने उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन

किया है और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया है।

- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरिणकाओं की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण करते हैं

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, उन लोगों से भी संवाद करते हैं जिन्हें शासन ने प्रभार दिया है।

हम उन लोगों को बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन की ओर से प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं।

शासन से प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की यथोचित अपेक्षा की जाएगी। ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक महत्वपूर्ण है।

8. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी (धर्मार्थ उद्देश्य से पंजीकृत कंपनियां) अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत संचालित करने के लिए निगमित और लाइसेंस प्राप्त कंपनी है।

2. हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के जारी निदेशों/उप-निदेशों पर अधिनियम की धारा 143 (5) के निबंधनानुसार, कंपनी के बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच जो हमने उचित समझी, के आधार पर और हमें प्रदान की सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार "अनुलग्नक-1" में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   (क) हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थेय

(ख) हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं जहां तक उन बहियों की हमारी जाच से प्रतीत होता है।

(ग) तुलन पत्र, आय एवं व्यय विवरणिका (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरणिका और इस रिपोर्ट में दर्शाये गये नकदी प्रवाह विवरणिका लेखा बहियों के अनुरूप है।

(घ) हमारे मतानुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणिका कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा (2) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी के वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक 2" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के उपबंधों की अपेक्षानुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, संशोधित, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण;

क. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकीटरकण किया है। वित्तीय विवणरणिका की टिप्पणी संख्या 24 देखें।

ख. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घकालिक संविदा पर, लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत अपेक्षित भौतिक अनुमानित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है।

ग. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष से संबंधित धारा 125 के उपबंध कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी होने के कारण निगम पर लागू नहीं होते हैं।

कृते ग्रोवर, लल्ला एंड मेहता
चार्टेड अकाउंटेंट्स
एफआरएन सं.: 002830N

ह./-
(सीए पंकज बंसल)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 502661

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 27.06.2022
यूडीआईएन:22502661ALSUVA3312

अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

(31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन के सदस्यों को सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 8 (2) में संदर्भित)

क्र. सं.	अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी सीएजी के निर्देश	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, उल्लेख करें।	जी हां, निगम के पास सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए टैली ईआरपी प्रणाली है। हालांकि, निगम एक्सेल शीट में पार्टी-वार ऋण बहीखाता और ब्याज प्राप्य बहीखाता बना रहा है जो लेखांकन का एक स्वीकार्य और विश्वसनीय तरीका नहीं है। निगम ने उपरोक्त बहीखाता के रखरखाव के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शुरू कर दिया है किंतु यह अभी तक पूर्णतया लागू नहीं हो पाया है।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या किसी ऋणदाता द्वारा ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के लिए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले किए गए हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	निगम ने कोई कर्ज नहीं लिया है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के लिए ऋणदाता द्वारा किए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डाले गए मौजूदा ऋण के पुनर्गठन के लिए ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से गणना की गई थी/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	जी हाँ, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य धन को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था, सिवाय विषय के जोर के बिंदु संख्या 3(vi) और 4(ii) और 4() में दी गई हमारी टिप्पणी को छोड़कर। iii) हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में मुख्य लेखापरीक्षा मामले।

कृते ग्रोवर, लल्ला एंड मेहता
चार्टेड अकाउंटेंट्स
एफआरएन सं.: 002830N

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 27.06.2022
यूडीआईएन:22502661ALSUVA3312

ह./-
(सीए पंकज बंसल)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 502661

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन के सदस्यों को सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" खंड के अंतर्गत पैरा 8 (3) (च) में संदर्भित .

कपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 क खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. हमने कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मापदंडों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, जैसा कि कंपनी अधिनियम के अधीन अपेक्षित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित किए जाने के लिए मानद, लेखा परीक्षा पर मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी दोनों आंतरिक नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू और दों भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम इस बारे में, कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए और यदि ऐसा है तो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालित थे, औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे और लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करेंगे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इनकी प्रचानिक प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियां निष्पादित करना निहित था। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का बोध प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण दुर्बलता विद्यमान थी, और

आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता को प्रचालित करना और इसके आरेखन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक की निर्णय पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणिकाओं के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन का आकलन शामिल है, चाहे वह प्रवंचना से हुआ हो या त्रुटि से।

हमारा मानना है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षा संबंधी मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

4. 4. वित्तीय प्रतिवेदनों पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वस्ति मुहैया कराने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जोः

   (क) ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हों जो, औचित्यपूर्ण विस्तार से, सटीकता और निष्पक्षता से निगम की परिसम्पत्तियों के संव्यवहारों और निपटान को परिलक्षित करती हों;

   (ख) यह औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करती हों कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन करते हुए वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के निम्नलिखित प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

   (ग) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय रहते परिचयन के बारे में औचित्यपूर्ण आश्वासन देती हों जिनका वित्तीय विवरणिकाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

5. वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुपयुक्त प्रंबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, से त्रुटि या प्रवंचना की वजह से, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है और इसका परिचयन नहीं हो सकता है। साथ ही, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की भविष्य की अवधियों पर प्रत्याशाएं स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकती हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का क्षय हो सकता है।

अभिमत

6. हमारे मतानुसार, कंपनी में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण संबंधी मानदंडों के आधार पर, ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2022 को प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

तथापि स्वीकृत ऋण, संवितरण और पुनर्भुगतान के अंतिम उपयोग को सत्यापित करने के लिए प्रबंधन द्वारा

डिजाइन किए गए आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियां कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त रूप से उचित नहीं हैं। हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को ऋण जारी करना और पुनर्भुगतान करना एससीए की एकमात्र जिम्मेदारी है और निगम एससीए द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर भरोसा कर रहा है। निगम की ऋण नीति के अनुसार, एससीए को अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसका नियमित रूप से अनुपालन नहीं किया जाता है। निगम को कोई ऐसी प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को धन का वितरण ठीक से किया जा रहा है।

कंपनी को जोखिम मूल्यांकन पर पर्याप्त रूप से विचार करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक व्यापक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, जो जोखिम प्रदर्शन करते समय धोखाधड़ी की संभावना के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों में से एक है।

कृते ग्रोवर, लुल्ला एंड मेहता
चार्टेड अकाउंटेंट्स
एफआरएन सं.: 002830N

ह./-
(सीए पंकज बंसल)
पार्टनर
सदस्यता सं.: 502661

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 27.06.2022
यूडीआईएन:22502661ALSUVA3312

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि सौ रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर चालू परिसंपत्ति**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	16,29,890.71	16,61,750.70
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	4	1,087.77	2,180.29
	(ग) वित्तीय परिसंपत्ति			
	(i) ऋण	5	2,25,71,609.61	2,10,06,981.24
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	6	70,743.91	68,267.57
	(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्ति	10	57,334.83	59,706.29
	कुल गैर चालू परिसंपत्ति		**2,43,30,666.83**	**2,27,98,886.09**
2	**चालू परिसंपत्ति**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्ति			
	(i) नकदी और नकदी के समतुल्य	7	8,55,803.78	15,66,066.20
	(ii) उपरोक्त (i) से भिन्न अन्य बैंक शेष	8	1,02,24,163.93	71,11,062.35
	(iii) ऋण	5	1,68,73,286.58	2,03,88,159.90
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	6	3,75,750.89	3,57,951.18
	(ख) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	9	25,332.11	17,667.71
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	10	9,340.31	17,743.92
	कुल चालू परिसंपत्ति		**2,83,63,677.60**	**2,94,58,651.26**
	कुल परिसंपत्ति		**5,26,94,344.43**	**5,22,57,537.35**
II.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	3,99,99,100.00	3,99,99,100.00
	(ख) अन्य इक्विटी	12	96,22,820.45	90,06,754.59
	कुल इक्विटी		**4,96,21,920.45**	**4,90,05,854.59**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) पट्टा संबंधी देयताएं	15	15,175.22	27,106.89
	(ख) प्रावधान	13	1,97,379.10	1,81,283.08
	(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	15	1,635.89	488.77
	कुल गैर चालू देयताएं		**2,14,190.21**	**2,08,878.74**
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) पट्टा संबंधी देयताएं	15	10,980.42	10,689.40
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	27,12,982.40	29,42,833.42
	(ख) अन्य चालू देयताएं	15	39,928.68	29,456.79
	(ग) प्रावधान	13	94,342.27	59,824.41
	कुल चालू देयताएं		**28,58,233.77**	**30,42,804.02**
	कुल इक्विटी एवं देयताएं		**5,26,94,344.43**	**5,22,57,537.35**
III.	**महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और संलग्न नोट संख्या 1 से 40 वित्तीय विवरणिकाओं का अभिन्न हिस्सा हैं।**			

हमारी सम दिनांकित की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
मै. ग्रोवर, लल्ला एवं मेहता चार्टेड अकाउंटेंट्स
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./-
(सीए पंकज बंसल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 502661
एफआरएन : 002830एन

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.06.2022
यूडीआईएन:22502661ALSUVA3312

कृते नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन
के निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके निमित

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03633935

ह./-
(आर.के. मिश्र)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का विवरण

(राशि सौ रुपये में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
I.	प्रचालन से राजस्व	16	10,65,577.55	11,45,473.96
II.	अन्य आय	17	3,99,761.89	5,36,880.18
III.	**कुल आय (I+II)**		**14,65,339.44**	**16,82,354.14**
IV.	**कर्मचारी**			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	18	5,68,540.47	5,59,563.80
	वित्तीय लागत	19	48,171.82	5,373.94
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	20	49,876.33	48,198.71
	अन्य व्यय	21	1,78,678.91	1,47,988.53
	कुल व्यय (IV)		**8,45,267.53**	**7,61,124.98**
V.	**असाधारण मदों और कर पूर्व व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय (III - IV)**		**6,20,071.91**	**9,21,229.16**
VI.	असाधारण मदें		-	-
VII.	**कर पूर्व व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय (V - VI)**		6,20,071.91	9,21,229.16
VIII.	कर व्यय:			
	(1) चालू कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX.	**निरंतर प्रचालन से व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय (VII-VIII)**		**6,20,071.91**	**9,21,229.16**
X.	बंद प्रचालन से व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय		-	**-**
XI.	बंद प्रचालन से कर व्यय		-	**-**
XII.	बंद प्रचालन से व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय (करोपरांत) (X-XI)		-	**-**
XIII.	**अवधि हेतु व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय (IX + XII)**		**6,20,071.91**	**9,21,229.16**
XIV.	**अन्य व्यापक आय**			
	क.(i) वे मदें जिन्हें आय और व्यय लेखा में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	22	(4,006.05)	7,867.36
	(ii) आय और व्यय लेखा में पुनर्वर्गीकृत न की जाने वाली मदों के संबंध मं आय कर		-	-
	ख. (i) वे मदें जिन्हें आय और व्यय लेखा में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आय और व्यय लेखा में पुनर्वर्गीकृत की जाने वाली मदों के संबंध मं आय कर		-	-
XV.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि के लिए व्यय और अन्य व्यापक आय की तुलना में अतिरिक्त आय सहित)**		**6,16,065.86**	**9,29,096.52**
XVI.	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपये में)	23	**15.50**	**23.03**
	(2) डाइल्यूटेड (रुपये में)	23	**15.50**	**23.03**
XVII.	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(बंद प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपये में)		-	-
	(2) डाइल्यूटेड (रुपये में)		-	-
XVIII.	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(निरंतर प्रचालन एवं बंद प्रचालन के लिए)			
	(1) मूल (रुपये में)		**15.50**	**23.03**
	(2) डाइल्यूटेड (रुपये में)		**15.50**	**23.03**
XIX.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और संलग्न नोट संख्या 1 से 40 वित्तीय विवरणिकाओं का अभिन्न हिस्सा हैं।			

हमारी सम दिनांकित की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

मै. ग्रोवर, लल्ला एवं मेहता चार्टेड अकाउंटेंट्स
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./-
(सीए पंकज बंसल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 502661
एफआरएन : 002830एन

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.06.2022
यूडीआईएन:22502661ALSUVA3312

कृते नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन
के निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके निमित

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03633935

ह./-
(आर.के. मिश्र)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन (एसओसीई) का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष **(राशि सौ रुपये में)**

चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्कथित शेष	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
3,99,99,100.00	-	-	-	3,99,99,100.00

31 मार्च, 2022 को समाप्त **(राशि सौ रुपये में)**

पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्कथित शेष	पूर्व वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
3,99,99,100.00	-	-	-	3,99,99,100.00

ख. अन्य इक्विटी

मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष **(राशि सौ रुपये में)**

	शेयर आवेदन धनराशि जिसके सापेक्ष आबंटन नहीं किया गया	आरक्षित निधि एवं अधिशेष		कुल
		सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
अप्रैल 01,2021 की स्थिति के अनुसार शेष	-	90,06,754.59		90,06,754.59
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-
अप्रैल 01,2021 की स्थिति के अनुसार पुन:उल्लिखित शेष	**-**	**90,06,754.59**	**-**	**90,06,754.59**
चालू वर्ष हेतु लाभ	-	-	6,20,071.91	6,20,071.91
चालू वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(4,006.05)	(4,006.05)
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**6,16,065.86**	**6,16,065.86**
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	6,16,065.86	(6,16,065.86)	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-
शेयर आवेदन राशि के सापेक्ष लंबित आवंटन से जारी शेयर	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 की स्थित के अनुसार शेष	**-**	**96,22,820.45**	**-**	**96,22,820.45**

ग. अन्य इक्विटी

मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष **(राशि सौ रुपये में)**

	शेयर आवेदन धनराशि जिसके सापेक्ष आबंटन नहीं किया गया	आरक्षित निधि एवं अधिशेष		कुल
		सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
अप्रैल 01, 2020 की स्थिति के अनुसार शेष	-	80,77,658.07	-	80,77,658.07
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-
अप्रैल 01,2020 की स्थिति के अनुसार पुन:उल्लिखित शेष	**-**	**80,77,658.07**	**-**	**80,77,658.07**
गत वर्ष हेतु लाभ	-	-	9,21,229.16	9,21,229.16
गत वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	7,867.36	7,867.36
गत वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**9,29,096.52**	**9,29,096.52**
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण		9,29,096.52	(9,29,096.52)	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-
शेयर आवेदन राशि के सापेक्ष लंबित आवंटन से जारी शेयर	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 की स्थित के अनुसार शेष	**-**	**90,06,754.59**	**-**	**90,06,754.59**

हमारी सम दिनांकित की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
मै. ग्रोवर, लल्ला एवं मेहता चार्टेड अकाउंटेंट्स
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./-
(सीए पंकज बंसल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 502661
एफआरएन : 002830एन

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.06.2022
यूडीआईएन:22502661ALSUVA3312

कृते नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन
के निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके निमित

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03633935

ह./-
(आर.के. मिश्र)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(राशि सौ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्रचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान की गई निवल नकदी का निवल लाभ में समाशोधन के लिए	**6,20,071.91**	**9,21,229.16**
असाधारण मदों और कर समायोजन से पूर्व व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय:		
पूर्वावधि समायोजन		-
अन्य व्यापक आय	(4,006.05)	7,867.36
मूल्यह्रास	49,876.33	48,198.71
परिसंपत्ति की बिक्री/हानि/विनिमय पर हानि/(लाभ)	(1,589.81)	(4,893.65)
ब्याज आय	(3,75,822.27)	(5,09,356.30)
पट्टा देयता पर ब्याज	-	-
प्रचालनरत परिसंपत्तियों एवं देयताओं में बदलाव से पूर्व प्रचालन लाभ (1)	**2,88,530.11**	**4,63,045.28**
समायोजन:		
ऋण में कमी/(वृद्धि)	19,50,244.95	(39,19,975.89)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(20,276.05)	1,18,003.85
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	8,403.61	55,076.60
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	2,371.46	3,121.88
अन्य चालू वित्तीय देयता में (कमी)/वृद्धि	(2,29,851.02)	(7,06,308.17)
अन्य चालू देयता में (कमी)/वृद्धि	(26,177.28)	(52,174.02)
प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	50,613.88	6,973.28
दीर्घावधि देयता में (कमी)/वृद्धि	-	(6,696.77)
(2)	17,35,329.55	(45,01,979.24)
प्रचालन से सृजित नकदी (1+2)	**20,23,859.66**	**(40,38,933.96)**
प्रदत्त आयकर (प्रतिफल का निवल)	7,664.40	(45,287.00)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी बहिर्वाह	**20,16,195.26**	**(39,93,646.96)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान	5,382.09	7,443.40
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(20,716.11)	(32,838.51)
प्राप्त ब्याज	3,75,822.27	5,09,356.30
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(31,13,101.58)	20,36,668.71
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(27,52,613.33)**	**25,20,629.90**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी का नर्गम		-
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन में वृद्धि		-
पट्टा देयता	26,155.65	37,796.29
पट्टा देयता पर ब्याज	-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**26,155.65**	**37,796.29**
नकदी और नकदी समतुल्य (क+ख+ग) में निवल वृद्धि/(कमी)	(7,10,262.42)	(14,35,220.78)
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी-7 देखें)	15,66,066.20	30,01,286.98
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य	**8,55,803.78**	**15,66,066.20**
नकदी और नकदी समतुल्य का समाशोधन		
तुलन पत्र के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य	**8,55,803.78**	**15,66,066.20**
वर्ष के आखिर में नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी-7 देखें)	**8,55,803.78**	**15,66,066.20**

टिप्पणी-

1. नकदी प्रवाह विवरण भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा नकदी प्रवाह विवरण पर जारी इंड एएस-7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष में उसकी संपुष्टि करने और चालू वर्ष के साथ उनकी तुलना करने के लिए पुनर्वर्गीकृत/पुन: समूहीकृत किया गया है।
3. नकदी प्रवाह विवरण जारी और बंद प्रचालनों से संबंधित संयुक्त नकदी प्रवाह को दर्शाता है।
4. नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकदी और बैंक शेष तथा बैंक में 3 माह का जमा शेष शामिल हैं।

हमारी सम दिनांकित की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
मै. ग्रोवर, लल्ला एवं मेहता चार्टेड अकाउंटेंट्स
के लिए एवं उनकी ओर से
ह./-
(सीए पंकज बंसल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 502661
एफआरएन : 002830एन

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.06.2022
यूडीआईएन:22502661ALSUVA3312

कृते नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन
के निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके निमित

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03633935

ह./-
(आर.के. मिश्र)
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. कंपनी का सिंहावलोकन

नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) भारत में अवस्थित है और 24 जनवरी, 1997 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप) देश भर के दिव्यांणगजनों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य, से इसे शीर्ष निगम के रूप में निगमित किया गया था। यह दिव्याांगजन सशक्तीककरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक शीर्ष निगम है। निगम दिव्यांगजन को मामूली ब्याज दर पर आय का सृजन करने वाली गतिविधियों एवं शिक्षा ऋण (उच्च अध्ययन के लिए) के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है।

निगम को लाभांश और अधिशेष, यदि कोई हो घोषित करने की मनाही है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वापस लिया जाता है। निगम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के तहत पंजीकृत है। कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत होने के कारण इसे अपने नाम से 'लिमिटेड' शब्द निकालने की अनुमति है। निगम सरकारी कंपनी है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है।

निगम का पंजीकृत कार्यालय रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद (हरियाणा)-121007 में स्थित है।

1.1. तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के लिए ये वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, 2016, 2017 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2018के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) मापन का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, बीमांकिक आधार और लाभकारी कारबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित के जो प्रासंगिक इंड-एएस द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापे गये हैं।

(क) परिभाषित हितलाभ योजना और अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी हितलाभ।

(ख) कुछ वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं।

ग) अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण और घोषित आय को प्रभावित करती हैं। आय और व्यय की राशि। ऐसे अनुमानों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित जीवनकाल और कर्मचारी हितलाभ योजना के तहत भविष्य के दायित्व शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्नत हो सकते हैं।

नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन समय-समय पर अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा करता है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्य ता दी जाती है जिसमें ऐसे परिणाम ज्ञात/प्रभावी होते हैं।

घ) सभी वित्तीय सूचना भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गई है और सभी मूल्य निकटतम सैकड़े में दशमलव के बाद दो अंकों में पूर्णांकित किए गये है1, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा कहा गया हो।

1.2. नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके घोषित किया जाता है, जहां कर लगने से पूर्व अधिशेष/(घाटे) को गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के लिए समायोजित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर निगम के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरण के प्रयोजनार्थ, नकदी और नकदी समतुल्य जिसमें हाथ में नकदी, बैंकों में नकदी और बैंकों में सावधि जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल जो मांग पर चुकाया जाता है, शामिल हैं, निगम की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

निगम ने इंड-एएस 7 में संशोधन को अपनाया है, जिसमें संस्थाओं को प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय गतिविधियों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर-नकदी परिवर्तन दोनों परिवर्तन शामिल हैं जो प्रकटीकरण अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्त पोषण की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन पत्र में प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच सामंजस्य के समावेशन का सुझाव देते हैं। इन संशोधनों को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

1.3. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

निगम इंड एएस-115 द्वारा निर्धारित पाँच-चरणों के आधार पर ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को मान्यता देता है:

(i) ग्राहक के साथ संविदाओं की पहचान करना: - संविदा को दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच करारा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व बनाता है और प्रत्येक संविदा के लिए ऐसे मानदंड निर्धारित करता है जो पूरे किए जाने चाहिए।

संविदा में कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान करना: कार्य निष्पादन दायित्व ग्राहक के साथ वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक को हस्तांतरित करने के अनुबंध में वादा होता है।

(ii) लेन-देन की कीमत निर्धारित करना: लेन-देन की कीमत प्रतिफल की वह राशि है, जिसके लिए निगम तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करता है।

(iii) संविदा में कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करना: संविदा के लिए जिसमें एक से अधिक कार्य निष्पादन दायित्व हैं, निगम लेनदेन मूल्य को प्रत्येक कार्य निष्पादन दायित्व के लिए एक राशि में आवंटित करता है जो प्रतिफल की राशि को दर्शाता है जिसकी निगम प्रत्येक कार्य निष्पादन दायित्व को पूरा करने के बदले में हकदार होने की अपेक्षा करता है।

(iv) उस राजस्व को मान्य ता देना जब निगम किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करके कार्य निष्पादन दायित्व को पूरा करता है। परिसंपत्ति को हस्तांतरित की जाती है जब जब ग्राहक उस संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है

- **ऋण पर ब्याज**

क. ऋणों पर ब्याज को ब्याज की प्रभावी दर पर उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

ख. भुगतानों में चूक परिनिर्धारित हर्जाने पर दंडात्मक ब्याज की वसूली पर मान्यता दी जाती है क्योंकि इसकी वसूली का आकलन नहीं किया जा सकता है।

ग. उधार लेने वाली एजेंसियों के पास पड़ी अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज की वसूली होने पर मान्यता दी जाती है।

- **अन्य आय**

सावधि जमा और बैंक जमा पर ब्याज आय को बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

1.4. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा में मूल्यांकित किया जाता है जिसमें (कार्यात्मक मुद्रा) निगम प्रचालन करता है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कार्यात्मक होने के साथ-साथ कंपनी की प्रस्तुति मुद्रा भी है।

1.5. सरकार/अन्य संगठनों से प्राप्त अनुदान/अंशदान।

लेखांकन नीति जैसा कि यह संशोधनों से पहले पढ़ा गया था	वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में संशोधन
क) अनुदान निधियों पर बैंक के ब्याज को उपचय आधार पर आय के रूप में माना जाता है जब तक कि अनुदान निधि के नियम और शर्तें अन्यथा निर्दिष्ट न हों।	पैरा क) हटा दिया गया है। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियां, 2021) के आधार पर हटाया गया है)
ख) अव्ययित अनुदान और उपचित ब्याज ऊपर क को छोड़कर चालू देयताओं के रूप में माना जाता है।	अव्ययित अनुदान और उस पर उपचित ब्याज को आस्थगित कर दिया गया है और चालू देयताओं / प्रावधानों के रूप में माना गया है। (उपरोक्त क के कारण परिवर्तन किए गए हैं।)
ग) परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान को आस्थगित आय के रूप में निर्धारित करते हुए तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा, ऐसी आस्थगित आय को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर आय और व्यय में मान्यता दी जाती है।	आस्थगित आय के रूप में अनुदान निर्धारित करते हुए परिसम्पत्ति से संबंधित अनुदान तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसी आस्थगित आय को परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर आय और व्यय में मान्यता दी जाती है। (कोई परिवर्तन नहीं)

1.6. आयकर

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12(कक) के तहत निगम को उपलब्ध छूट को देखते हुए, आयकर देयता के प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है। इसके परिणामस्वबरूप, आयकर, आस्थगित कर संबंधी पर भारतीय लेखा मानक 12 (इंड एएस -12) के प्रावधान और सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए आयकर गणना प्रकटीकरण मानक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

1.7. सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यह्रास और क्षति से होने वाली हानि यदि कोई हो, को लागत में से घटाकार मूल्यांतकित किया जाता है:

परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जुड़ी लागत।

ii. वस्तुओं को हटाने और हटाने और उस साइट को पुनर्स्थापित करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य जिस पर यह स्थित है, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते जाते हैं।

(ख) मान्यता मानदंड पूरा होने पर प्रतिस्थापन की लागत, बड़े निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत को पूंजीकृत किया जाता है।

(ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को निस्तोरण की स्थिति में या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है, तो इसे मान्यसता नहीं दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान या सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को बिक्री आय और संपत्ति की रखाव राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और आय और व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.8. मूल्यह्रास और परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में ह्रासित मूल्य विधि प्रावधान किया जाता है।

(क) यदि किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी हिस्से की लागत उसकी मूल लागत की तुलना में अधिक महत्व पूर्ण है और उस हिस्सेल का उपयोगी जीवन काल शेष परिसंपत्ति के जीवनकाल से अलग है तो प्रत्येक भाग का अलग-अलग मूल्यह्रास किया जाता है। संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की चालू और तुलनात्मक अवधि के लिए संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

संपत्ति का नाम	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
भवन	60
फर्नीचर और फिक्स्चर	10
कार्यालय उपकरण	05
वाहन	08
एयर कंडीशनर और कूलर	10
कम्प्यूटर	03

(ख) संपत्ति के उपयोग के अधिकार के तहत अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - सीधी रेखा विधि।

(ग) मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित आधार पर अनुमान में परिवर्तन (परिवर्तनों) के प्रभाव के साथ समीक्षा की जाती है।

(घ) संपत्ति के उपयोग के अधिकार के तहत प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संपत्ति के उपयोगी जीवन पर या संपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि से कम होने पर मूल्यह्रास किया जाता है, यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि निगम पट्टे की अवधि का अंत में स्वामित्व प्राप्त करेगा।

1.9. अमूर्त संपत्ति

अमूर्त परिसंपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब यह संकेत हो कि परिसंपत्ति के कारण निकट भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को मिलेंगे और संपत्ति की लागत को विश्वरसनीय ढंग से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण लागत में से संचित परिशोधन और क्षति से होने वाली हानि, यदि होई हो, को घटाकर दर्शाया गया है।

1.10. परिसंपत्ति की क्षति

निगम प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को मूल्यांकन करता है परिसंपत्ति की क्षति के संकेतों का अलकन करता है; यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो निगम संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। कमी को को क्षति से होने वाली हानि के रूप में समझा जाता है और इसे आय और व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.11. वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति:

निगम तुलन-पत्र की प्रत्येक तिथि पर यह आकलन करता है कि क्याय किसी वित्तीय परिसंपत्ति को कोई क्षति हुई है। इंड एएस-109 में ये अपेक्षित है कि अपेक्षित ऋण घाटा (ईसीएल) की आवश्यकता होती है जिसे हानि भत्तेक के माध्यम से मूल्यांमकिन किया जाए।

संविदागत परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तियों के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित ऋण घाटे को 12 महीने की अपेक्षित ऋण घाटे के बराबर या जीवन काल अपेक्षित ऋण घाटों के बराबर राशि पर मूल्यां कित किया जाना चाहिए, यदि वित्तीय परिसंपत्ति का ऋण जोखिम इसके आरंभिक मान्यशता के बाद से व्या पक रूप से खर्च हो चुकी है। ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाना चाहिए।

ईसीएल की क्षति से होने वाली हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को आय और व्यय के विवरण में आय / व्यय के रूप में अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।

1.12. कर्मचारी हितलाभ

(i) परिभाषित हितलाभ योजनाएँ

क. उपदान और छुट्टी नकदीकरण

निगम के पास कर्मचारियों को उपदान के भुगतान के लिए परिभाषित हितलाभ योजना है, जिसके संबंध में फंड प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सौंपा गया है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए निगम छोड़ने पर 15 दिनों के वेतन {अंतिम आहरित वेतन (मूल + महंगाई भत्ता)} की दर से ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार है। दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एनएचएफडीसी ने उपरोक्त उद्देश्य के लिए "एनएचएफडीसी कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट" नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया है।

ख. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा मार्च 2017 तक बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और वित्तीय वर्ष 2017-18 से केपीएसी एंड एसोसिएट्स द्वारा छुट्टी नकदीकरण के लिए निगम की देयता निर्धारित कर रहीा है/ एवं तदनुसार लेखाबहियों में आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है।

ग. परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

(ii) भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, फरीदाबाद (हरियाणा) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत बनाए गए कर्मचारी भविष्य निधि में परिभाषित योगदान के रूप में निगम 12% की दर से अंशदान करता है और इसे आय और व्यय लेखा में दर्शाया जाता है।

(iii) अधिवर्षिता हितलाभ

निगम ने दिनांक 1.1.2017 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए तीसरा वेतन संशोधन लागू किया गया है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी तीसरे वेतन संशोधन के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल और प्रशासनिक मंत्रालय के आवश्यक अनुमोदनानुसार निगम को वेतन (मूल वेतन + आईडीए) का 30% कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति हितलाभ यथा भविष्य निधि, उपदान, पेंशन और सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभों में लगाना होता है। हालाँकि, निगम ने दिनांक 27.08.2020 को आयोजित बोर्ड की 105वीं बैठक में इस संबंध में लिए गए निर्णय की भावना के उपरांत सेवानिवृत्ति उपरांत के चिकित्सा लाभ के लिए कर्मचारियों के वेतन (मूल वेतन + आईडीए) के 3% का प्रावधान करना बंद कर दिया है।

(iv) कार्य निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी)

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII/17 दिनांक 3 अगस्त, 2017 के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ 2017- 18 और उसके बाद से कार्य निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) का प्रावधान किया। पीआरपी मॉडल उन सीपीएसई पर लागू होगा जो समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करते हैं और जिनमें पारिश्रमिक

समिति विद्यमान है। पारिश्रमिक समिति निर्धारित सीमा और दिशानिर्देशों के भीतर पीआरपी के भुगतान पर निर्णय लेगी।

1.13. प्रति शेयर आय

अवधि से संबंधित मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना निवल अधिशेष/(घाटा) को संबंधित वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की बकाया भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित वर्ष के लिए निवल अधिशेष/(घाटा) और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्याए को डायल्यूटिड इक्विटी पूंजीगत शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

1.14. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

निगम की अनुमोदित नीति के अनुसार, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

क) उन अशोध्यर और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है, जो तुलन पत्र तैयार करने की तिथि तक 5 (पांच) वर्षों से अधिक के लिए बकाया है और जो सरकारी गारंटी / आदेश / आश्वासन आदि द्वारा प्रतिभूत नहीं है।

ख) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के मामले में, अशोध्य और संदिग्ध ऋण (ऋणों) के लिए तक प्रावधान किया जाता है, जब कोई राशि तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार, अतिदेय राशि की सीमा तक, तीन वर्ष से अधिक अवधि से अतिदेय हो जाती है, ऐसी प्रतिभूति के सापेक्ष निगम की नीति में यथा उपबंधित प्रतिभूत नहीं है/हैं। इस प्रयोजन के लिए, प्रतिभूति का मूल्य ऋण राशि के 25% तक सीमित होगा, जहां एनजीओ द्वारा यथास्थिति सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रतिभूति के रूप में प्रदान की जाती है और/या ऋण राशि का 40%, जहां संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

ग) प्रावधान ऋण (मूलधन/ब्याज उपरोक्त उल्लिखित अवधि से बकाया है) के 100% की सीमा तक सृजित किया गया है और उपरोक्ताजनुसार प्रतिभूत नहीं है।

1.15 अ. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति

क) देयताओं से संबंधित प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जिन्हें अनुमानों की स्वी)कार्य मात्रा में मापा जा सकता है:

(i) निगम का पिछली घटना के परिणामस्वरूप चालू दायित्व है;

(ii) दायित्वों के निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ देने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह अपेक्षित हो; तथा

(iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समीक्षा की जा सके।

प्रावधानों को छूट

जहां धनराशि के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है वहां प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने करने में अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है:

(i) पिछली घटना से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभावित नहीं है कि दायित्व का निपटाने करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या

(ii) वर्तमान दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; या

(iii) एक संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर दूर तक न हो। जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभावित होता है वहां आकस्मिक परिसंपत्ति का का प्रकटीकरण किया जाता है।

1.17. वित्तीय दस्तावेज: -

क) प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय दस्ताकवेजों को इसके उचित मूल्य में लेनदेन लागतों पर जो सीधे वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या जारी करने से सीधे तौर पर जुड़े हैं को जोड़ या घटाकर मान्यदता दी गई है।

ख) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

परिशोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:

(i) वित्तीय संपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखी गई है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्रित करने के लिए वित्तीय परिसंपत्ति को रखना है; तथा

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान है।

वित्तीय परिसंपत्ति का मूल्यांकन परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति में से क्षति, यदि कोई हो को घटाकर किया जाता है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय आय में दर्शाया गया है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हों तो एक 'ऋण दस्ताावेज' को एफवीटीओसीआई पर वर्गीकृत किया जाता है:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय संपत्तियों को बेचने दोनों के द्वारा हासिल किया जाता है, एवं
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई को दर्शाता है।

एफवीटीओसीआई वर्ग में शामिल ऋण दस्तावेजों का आरंभ में और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य उत्तार चढ़ाव को अन्य व्यापक आय में मान्यथता दी जाती है। हालांकि, निगम आय व व्यय विवरण में ब्याज आय, क्षति से हुई हानि और विपयर्य और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि में जागरूकता देता है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, पूर्व में ओसीआई में मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से 'आय और व्यय खाते' में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके मान्यखता दी जाती है।

आय और व्यय के माध्यम से उचित मूल्य पर

एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय संपत्ति, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, निगम वित्तीय संपत्ति को नामित करने का चुनाव कर सकता है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता है, जैसा कि एफवीटीपीएल में है, अगर ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। एफवीटीपीएल में निगम ने किसी भी वित्तीय संपत्ति को नामित नहीं किया है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल वित्तीय संपत्तियों को आय और व्यय विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताएं

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर अग्रेनीत किया गया।

एफवीटीपीएल में वित्तीय देयताएं

कॉर्पोरेशन ने एफवीटीपीएल में कोई वित्तीय देनदारी निर्दिष्ट नहीं की है। .

ग) मान्यतता न देना

वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्ति के एक समूह का हिस्सा) को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या जब उन वित्तीय संपसंपत्ति को हस्तांतरित किया जाता है और संपत्ति के संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को भी पर्याप्त रूप से हस्तांतरित कर दिया जाता है।

वित्तीय दायित्व

किसी वित्तीय देयता को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब देयता के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर बदला किया है, या मौजूदा देयता की शर्तों में काफी बदलाव किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता को मान्यता न देना और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है और संबंधित अग्रेनित राशियों में अंतर को आय और व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.18. उचित मूल्य मापन

निगम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर वित्तीय दस्तावेजों को मापता है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में एक परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। किसी परिसंपत्ति का बेचने या देयताओं के हस्तांलतरण करने में लगाये गये अनुमान पर आधारित उचित मूल्यि मापन तब होता है जब या तो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार हो, या
- प्रमुख बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार हो।

प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार निगम के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी आस्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागी आस्ति या दायित्व का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार सहभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। निगम मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं। प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करना और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करना। संपत्ति और देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसे निम्नानुसार वर्णित किया गया है, जो कि निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

स्तर -1: समान संपत्तियों या देयताओं के लिए बाजार में उद्दत (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर-2 : ऐसी मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य है।

स्तर-3 : ऐसी मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अवलोकन योग्य नहीं है।

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए जिन्हें आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यरता दी गई है, रिपोर्टिंग अवधि के आखिर में निगम यह निर्धारित करता है कि वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं।

रिपोर्टिंग तिथि पर, निगम परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करता है, जिन्हें लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनर्माप या पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। इस विश्लेषण के लिए, अनुबंधों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन गणना में जानकारी को स्वीकार करके निगम नवीनतम मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुट की पुष्टि करता है।

निगम प्रासंगिक बाहरी स्रोतों के साथ प्रत्येक संपत्ति और देयता के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन उचित है या नहीं। उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, निगम ने संपत्ति या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों के आधार पर संपत्ति और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं और उचित मूल्य पदानुक्रम का स्तरों भी निर्धारित किया गया है जैसा कि ऊपर वर्णित है।

1.19. पट्टा

निगम ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इंड एएस 116 लागू किया है और इसलिए तुलनात्मक जानकारी को दोबारा नहीं बताया गया है और इंड एएस 17 के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी पट्टा आरंभ होने की तारीख पर एक राइट-ऑफ-यूज़ एसेट और लीज देनदारी को मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को आरंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे की देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और विघटित करने और हटाने की लागत का अनुमान शामिल होता है। अंतर्निहित संपत्ति या अंतर्निहित संपत्ति या साइट जिस पर यह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने के लिए प्राप्त किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन को कम करना।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति को बाद में उपयोग की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत की शुरुआत की तारीख से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति और उपकरणों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग के अधिकार संपत्ति को समय-समय पर हानि नुकसान, यदि कोई हो, से कम किया जाता है और पट्टा देयता के कुछ पुन: मापन के लिए समायोजित किया जाता है। पट्टा देयता को आरंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, लीज़ में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो निगम की वृद्धिशील उधार दर। आम तौर पर, निगम अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग छूट दर के रूप में करता है।

पट्टा देयता के माप में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जिसमें इन फिक्स्ड भुगतान शामिल है;
- वेरिएबल लीज़ भुगतान जो इंडेक्स या दर पर निर्भर करते हैं, प्रारंभ में प्रारंभ तिथि पर इंडेक्स या दर का उपयोग करके मापा जाता है।
- अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि; तथा

एक खरीद विकल्प के तहत प्रयोग मूल्य वह है जो कि निगम द्वारा यथोचित रूप से प्रयोग करने के लिए निश्चित है, एक वैकल्पिक नवीनीकरण अवधि में पट्टा भुगतान यदि निगम एक विस्तार विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है, और पट्टे की जल्दी समाप्ति के लिए दंड जब तक कि निगम जल्दी समापन करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित नहीं है।

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके पट्टे की देयता को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसे फिर से मापा जाता है जब सूचकांक या दर में बदलाव से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टे के भुगतान में कोई बदलाव होता है, अगर अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली राशि के निगम के अनुमान में कोई बदलाव होता है, या यदि निगम बदलता है इसका मूल्यांकन कि क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा।

जब पट्टे की देनदारी को इस तरह से फिर से मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार की संपत्ति की रखाव राशि के लिए एक समान समायोजन किया जाता है, या लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की अग्रेनित राशि है घटाकर शून्य कर दिया गया है।

निगम वित्तीय स्थिति के विवरण में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' में निवेश संपत्ति और 'ऋण और उधार' में लीज देयताओं की परिभाषा को पूरा नहीं करने वाली उपयोग की संपत्ति प्रस्तुत करता है।

अल्पातवधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टे -

निगम ने 12 महीने की पट्टा अवधि वाली भू संपदा के अल्पावधि पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार की संपत्तियों और पट्टे की देयताओं को मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया है। निगम इन पट्टों से जुड़े पट्टे भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देता है।

इंड एएस 17 के तहत

तुलनात्मक अवधि में, एक पट्टेदार के रूप में निगम ने उन पट्टों को वर्गीकृत किया जो वित्त पट्टों के रूप में स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक हस्तांतरित करते हैं। जब यह मामला था, तो पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति को शुरू में उनके उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि पर मापा गया था। न्यूनतम लीज भुगतान, लीज अवधि से अधिक के भुगतान थे, जो किसी भी आकस्मिक किराए को छोड़कर, पट्टेदार को करने की आवश्यकता थी।

इसके उपरांत, उस परिसंपत्ति पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार लेखाबद्ध किया गया था।

(i) प्रचालन पट्टा

ऐसे पट्टों को प्रचालन पट्टे के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है जहां पट्टे की अवधि के दौरान तकरीबन सभी जोखिम और लाभ प्रभावी रूप से पट्टे पट्टेदार के होते है। प्रचालन पट्टा के भुगतान को आय और व्यय के विवरण में एक सीधी रेखा के आधार पर लीज़ अवधि के आधार पर एक व्यय के रूप में मान्य ता दी जाती है। सिवाय इसके कि पट्टा भुगतान अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप, अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए बनाए गये हों।

(ii) वित्तीय पट्टा

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पट्टा जहां पट्टेदार ने स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्तऔ रूप से हस्तांपतरित कर दिया है, उन्हें वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय पट्टों को पट्टे की शुरुआत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य या न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो, पर पूंजीकृत किया जाता है। संबंधित किराया दायित्वों, वित्त प्रभारों का निवल, उधार या अन्य वित्तीय देयताओं में उपयुक्त के रूप में शामिल हैं। प्रत्येक पट्टा भुगतान देयता और वित्त लागत के बीच आवंटित किया जाता है। वित्त लागत को पट्टे की अवधि के दौरान आय या व्यय पर प्रभारित किया जाता है, जब तक कि वे सीधे योग्य संपत्तियों के लिए जिम्मेदार न हों, इस मामले में उन्हें उधार लेने की लागत पर नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराये को उस अवधि में व्यय के रूप

में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए गए हैं। संपत्ति के उपयोगी जीवन पर पट्टे पर दी गई संपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में

प्रचालन पट्टों से पट्टा आय, जहां निगम एक पट्टेदार है, को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि प्राप्तियां सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ने के अनुमानित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि की भरपाई कर रहे हैं। संबंधित पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया जाता है।

पट्टे की प्रकृति में व्यवस्था

निगम ऐसे करारों का निष्पादन करता है, जिसमें लेनदेन या संबंधित लेनदेन की श्रृंखला शामिल होती है जो पट्टे का कानूनी रूप नहीं लेती है लेकिन भुगतान या भुगतान की श्रृंखला के बदले संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार बताती है। ऐसी व्यवस्था के मामले में, निगम इंड एएस 116 - पट्टों की आवश्यकताओं को व्यवस्था के पट्टा तत्व पर लागू करता है। इंड एएस 116 के तहत आवश्यकताओं को लागू करने के प्रयोजन के लिए - पट्टे, भुगतान और व्यवस्था के लिए आवश्यक अन्य विचार व्यवस्था की शुरुआत में पट्टे के लिए और अन्य तत्वों के लिए अलग किए गए हैं।

1.20. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को संज्ञान में लिया जाता है।

1.21. लेखांकन नीतियां जो वर्तमान में निगम के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, का प्रकटीकरण नहीं किया गया है। जब ऐसी लेखांकन नीतियां प्रासंगिक हो जाती हैं, तो उसका प्रकटीकरण कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-3
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण
क. स्वाधिकृत

(राशि सौ रुपये में)

विवरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	एयर कंडीशनर और कूलर	कार्यालय स्थल		कुल
						भूमि	भवन	
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	1,10,679.27	7,937.53	4,412.00	10,664.03	10,777.85	1,327,449.31	281,976.80	17,53,896.79
परिवर्धन	397.71	24,960.05	438.96	7,041.79	-	-	-	32,838.51
निस्ताधरण	(0.44)	(7,937.51)	(1.07)	(0.16)	(0.08)	-	-	(7,939.26)
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 की स्थित के अनुसार अंतिम रखाव राशि	**1,11,076.54**	**24,960.07**	**4,849.89**	**17,705.66**	**10,777.77**	**1,327,449.31**	**281,976.80**	**17,78,796.04**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	63,604.25	4,642.31	2,889.15	7,266.06	6,325.21	-	38,808.02	1,23,535.00
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	12,159.48	2,562.39	644.30	5,122.70	1,122.29	-	11,843.21	33,454.37
निस्तारण /समायोजन	-	(5,454.27)	0.00	0.00	0.00	-	-	(5,454.27)
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**75,763.73**	**1,750.43**	**3,533.45**	**12,388.76**	**7,447.50**	**-**	**50,651.23**	**1,51,535.10**
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निवल रखाव राशि	**35,312.81**	**23,209.64**	**1,316.44**	**5,316.90**	**3,330.27**	**13,27,449.31**	**2,31,325.57**	**16,27,260.94**
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	1,11,076.54	24,960.07	4,849.89	17,705.66	10,777.77	13,27,449.31	2,81,976.80	17,78,796.04
परिवर्धन	2,438.62	-	2,945.29	12,055.20	-	-	-	17,439.11
निस्ताधरण	(1,177.04)	-	(1,252.00)	(3,371.58)	(668.75)	-	-	(6,469.37)
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्थित के अनुसार अंतिम रखाव राशि	**1,12,338.12**	**24,960.07**	**6,543.18**	**26,389.28**	**10,109.02**	**13,27,449.31**	**2,81,976.80**	**17,89,765.78**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	75,763.73	1,750.43	3,533.45	12,388.76	7,447.50	-	50,651.23	1,51,535.10
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	9,355.13	7,248.37	1,124.19	6,664.82	815.50	-	11,265.56	36,473.57
निस्तारण/समायोजन	(981.10)	-	(1,189.40)	(2,832.44)	(635.31)	-	-	(5,638.25)
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**84,137.76**	**8,998.80**	**3,468.24**	**16,221.14**	**7,627.69**	**-**	**61,916.79**	**1,82,370.42**
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च, 2022 की स्थिति के निवल रखाव राशि	**28,200.36**	**15,961.27**	**3,074.94**	**10,168.14**	**2,481.33**	**13,27,449.31**	**2,20,060.01**	**16,07,395.36**

ख) अनुदान सहायता निधि (छात्रवृत्ति योजना के तहत –न्यास निधि)

(राशि सौ रुपये में)

विवरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	एयर कंडीशनर और कूलर	कार्यालय स्थल		कुल
						भूमि	भवन	
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	370.52	-	636.89	1,629.22	279.19	-	-	**2,915.82**
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
निस्ताधरण	-	-	-	-	(279.19)	-	-	**(279.19)**
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2021 की स्थित के अनुसार अंतिम रखाव राशि	**370.52**	**-**	**636.89**	**1,629.22**	**-**	**-**	**-**	**2,636.63**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	219.75	-	487.52	1,477.04	180.42	-	-	**2,364.73**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	39.05	-	-	70.15	34.02	-	-	**143.22**
निस्तारण	-	-	-	-	(214.44)	-	-	(214.44)
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**258.80**	**-**	**487.52**	**1,547.19**	**-**	**-**	**-**	**2,293.51**
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**111.72**	**-**	**149.37**	**82.03**	**-**	**-**	**-**	**343.12**
1 अप्रैल, 2021 2021 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	370.52	-	636.89	1,629.22	-	-	-	**2,636.63**
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
निस्तारण	-	-	-	-	-	-	-	**-**
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2022 की स्थित के अनुसार अंतिम रखाव राशि	**370.52**	**-**	**636.89**	**1,629.22**	**-**	**-**	**-**	**2,636.63**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल, 2021-2021 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	258.80	-	487.52	1,547.19	-	-	-	**2,293.51**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	28.93	-	-	0.57	-	-	-	**29.50**
निस्तारण	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2022 को अंतिम संचित मूल्यह्रास	**287.73**	**-**	**487.52**	**1,547.76**	**-**	**-**	**-**	**2,323.01**
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निवल रखाव राशि	**82.79**	**-**	**149.37**	**81.46**	**-**	**-**	**-**	**313.62**

ग) अनुदान सहायता निधि (सीएसआर योजनाएं)

(राशि सौ रुपये में)

विवरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	एयर कंडीशनर और कूलर	कार्यालय स्थल		कुल
						भूमि	भवन	
1 अप्रैल, 2020 2021 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	284.80	-	299.37	490.82	-	-	-	**1,074.99**
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
निस्तारण	-	-	-	-	-	-	-	**-**
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2021 की स्थित के अनुसार अंतिम रखाव राशि	**284.80**	**-**	**299.37**	**490.82**	**-**	**-**	**-**	**1,074.99**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल, 2020 2021 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	169.01	-	241.51	457.77	-	-	-	**868.29**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	30.09	-	26.41	4.55	-	-	-	**61.05**
निस्तारण	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2021 2021 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**199.10**	**-**	**267.92**	**462.32**	**-**	**-**	**-**	**929.34**
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निवल रखाव राशि	**85.70**	**-**	**31.45**	**28.50**	**-**	**-**	**-**	**145.65**
1 अप्रैल, 2021 2021 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	284.80	-	299.37	490.82	-	-	-	**1,074.99**
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
निस्तारण	-	-	(111.72)	(333.36)	-	-	-	**(445.08)**
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2022 की स्थित के अनुसार अंतिम रखाव राशि	**284.80**	**-**	**187.65**	**157.46**	**-**	**-**	**-**	**629.91**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	199.10	-	267.92	462.32	-	-	-	**929.34**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	22.19	-	14.17	-	-	-	-	**36.36**
निस्तारण	-	-	105.02	315.90	-	-	-	**420.92**
31 मार्च, 2022 2021 की स्थिति के अनुसार2021 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**221.29**	**-**	**177.07**	**146.42**	**-**	**-**	**-**	**544.78**
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निवल रखाव राशि	**63.51**	**-**	**10.58**	**11.04**	**-**	**-**	**-**	**85.13**

घ) पट्टाकृत (उपयोग का अधिकार) परिसंपत्ति

(राशि सौ रुपये में)

विवरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	एयर कंडीशनर और कूलर	कार्यालय स्थल		कुल
						भूमि	भवन	
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	-	-	-	-	-	-	**55,605.37**	**55,605.37**
वर्ष के दौरान इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता न देना	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2021 की स्थित के अनुसार अंतिम रखाव राशि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,605.37**	**55,605.37**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	-	-	-	-	**-**	**-**	**10,802.19**	**10,802.19**
वर्ष के दौरान इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता दिया जाना	-	-	-	-	-	-	**10,802.19**	**10,802.19**
वर्ष के दौरान इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता न दिया जाना	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,604.38**	**21,604.38**
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निवल रखाव राशि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,000.99**	**34,000.99**
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	-	-	-	-	-	-	**55,605.37**	**55,605.37**
वर्ष के दौरान इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता दिया जाना	-	-	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष के दौरान इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता न दिया जाना	-	-	-	-	-	-	12,549.05	**12,549.05**
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निवल रखाव राशि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,056.32**	**43,056.32**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,604.38**	**21,604.38**
वर्ष के दौरान इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता दिया जाना	-	-	-	-	-	-	10,939.01	**10,939.01**
वर्ष के दौरान इंड एएस 116 के अनुसार मान्यता न दिया जाना	-	-	-	-	-	-	9,612.03	
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,931.36**	**22,931.36**
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निवल रखाव राशि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,124.96**	**20,124.96**

ड.) सिपडा अनुदान (परिसंपत्ति) **(राशि सौ रुपये में)**

विवरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	एयर कंडीशनर और कूलर	कार्यालय स्थल		कुल
						भूमि	भवन	
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	-	-	-	-	-	-	-	**-**
परिवर्धन	-	-	-	2,900.00	-	-	-	**2,900.00**
निस्तारण	-	-	-	-	-	-	-	**-**
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अंतिम रखाव राशि	**-**	**-**	**-**	**2,900.00**	**-**	**-**	**-**	**2,900.00**
संचित मूल्यह्रास								
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	**-**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	-	-		928.37	-	-	-	**928.37**
निस्तारण	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**-**	**-**	**-**	**928.37**	**-**	**-**	**-**	**928.37**
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निवल रखाव राशि	**-**	**-**	**-**	**1,971.63**	**-**	**-**	**-**	**1,971.63**
31.03.22 की स्थिति के अनुसार योग (क+ख+ग+घ+ड.)	**28,346.66**	**15,961.27**	**3,234.89**	**12,232.28**	**2,481.33**	**13,27,449.31**	**2,40,184.97**	**16,29,890.71**
31.03.21 की स्थिति के अनुसार योग (क+ख+ग+घ)	**35,510.23**	**23,209.64**	**1,497.26**	**5,427.43**	**3,330.27**	**13,27,449.31**	**2,65,326.56**	**16,61,750.70**
31.03.20 की स्थिति के अनुसार योग (क+ख+ग+घ)	**47,341.58**	**3,295.22**	**1,730.08**	**3,583.20**	**4,551.41**	**13,27,449.31**	**2,87,971.96**	**16,75,922.76**

टिप्पणी: 3.1 मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार अवलेखित मूल्य पद्धति (डब्ल्यूडीवी) पर किया गया है।

टिप्पणी: 3.2 सहायता अनुदान (न्यास निधि, सिपडा और सीएसआर निधि) से अनुमत निधियों में से खरीदे गए उपकरणों/परिसंपत्तियों की पहचान की गई है और इसलिए इसे निगम की लेखा बहियों में दर्शाया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि ये संपत्ति, संयंत्र और उपकरण निगम के लिए अनुदान के सापेक्ष अधिग्रहित किए गए हैं। निगम ने इसके लिए कोई व्यय नहीं किया है, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए सहायता अनुदान को देयता के रूप में दर्शाया गया है और इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के बराबर राशि को स्थायी परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान में से विविध आय लेखा में विनियोजित किया गया है

टिप्पणी: 3.3 वर्ष के दौरान निगम ने 31 मार्च, 2022 को उज्जैन में पट्टा वाले संपत्ति में से एक संपत्ति को खाली कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 2,937.02 रुपये (सौ में पढें) की परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार और पट्टा देयता में 3,857.70 रुपये (सौ में पढें) को मान्यता नहीं दी गई है।

टिप्पणी :- 4

अन्य अमूर्त परिसंपत्ति **(राशि सौ रुपये में)**

विवरण	**कंप्यूटर सॉफ्टवेयर**	**योग**
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	9,826.22	9,826.22
परिवर्धन		-
निस्तारण	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च, 2021 की स्थित के अनुसार अंतिम रखाव राशि	**9,826.22**	**9,826.22**
संचित मूल्यह्रास		
1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	3,908.05	3,908.05
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	3,737.88	3,737.88
निस्तारण	-	-
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**7,645.93**	**7,645.93**
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निवल रखाव राशि	**2,180.29**	**2,180.29**
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार सकल रखाव राशि	9,826.22	9,826.22
परिवर्धन	377.00	377.00
निस्तारण	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार स्थित के अनुसार अंतिम रखाव राशि	**10,203.22**	**10,203.22**
संचित मूल्यह्रास		
1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	7,645.93	7,645.93
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	1,469.52	1,469.52
निस्तारण	-	-
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार अंतिम संचित मूल्यह्रास	**9,115.45**	**9,115.45**
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निवल रखाव राशि	**1,087.77**	**1,087.77**

टिप्पणी: 5

वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

ऋणों के गैर-वर्तमान हिस्से को 'गैर- चालू वित्तीय परिसंपत्ति - ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ऋणों के वर्तमान हिस्से को ' चालू वित्तीय परिसपंत्ति - ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(राशि सौ रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
		गैर- चालू	चालू	योग	गैर- चालू	चालू	योग
(1) ऋण							
(क)	संबंधित पक्षों को ऋण (एनएचएफडीसी फाउंडेशन)	8,800.65	7,333.85	16,134.50	-	-	-
(ख)	अन्य ऋण (एससीए/ एनजीओ/पीएसयू/ आरआरबी/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां/ प्रत्यक्ष वित्त/कर्मचारी)	2,25,62,808.96	1,68,65,952.73	3,94,28,761.69	2,10,06,981.24	2,03,88,159.90	4,13,95,141.14
		2,25,71,609.61	**1,68,73,286.58**	**3,94,44,896.19**	2,10,06,981.24	2,03,88,159.90	4,13,95,141.14
(1) (एससीए/एनजीओ/पीएसयू/आरआरबी/कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां/प्रत्यक्ष वित्त) को ऋण							
	(5.1) प्रतिभूत - अच्छा माना गया	1,18,70,533.35	1,54,10,518.09	2,72,81,051.44	1,00,04,205.72	1,82,58,480.47	2,82,62,686.19
	(5.2) अप्रतिभूत - अच्छा माना गया	1,05,90,473.83	14,26,157.36	1,20,16,631.19	1,08,90,747.52	20,97,254.72	1,29,88,002.24
	(5.2 क) घटाएं: ऋण हेतु स्वीकृति						
	(5.3) ऋण जोखिम में महतवपर्ण वृद्धि		82,518.12	82,518.12		83,813.64	83,813.64
	(5.2 ख) घटाएं: ऋण हेतु स्वीकृति		(82,518.12)	(82,518.12)		(83,813.64)	(83,813.64)
	(5.4) ऋण प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा क्षयित						
		2,24,61,007.18	1,68,36,675.45	3,92,97,682.63	2,08,94,953.24	2,03,55,735.19	4,12,50,688.43

विवरण		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
		गैर- चालू	चालू	योग	गैर- चालू	चालू	योग
(2)	**कर्मचारियों को ऋण (निदेशकों से भिन्न)**						
	उपचित ऋण और ब्याज (परिशोधित लागत)						
	अप्रतिभूत - अच्छा माना गया	1,10,602.43	36,611.13	1,47,213.56	1,12,028.00	32,424.71	1,44,452.71
	योग	**2,25,71,609.61**	**1,68,73,286.58**	**3,94,44,896.19**	**2,10,06,981.24**	**2,03,88,159.90**	**4,13,95,141.14**

टिप्पणी: 5.1

ऋण और अग्रिम - (प्रतिभूत-अच्छा माना गया) में शामिल हैं;

i) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को दिए गए ऋण प्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किए गये हैं और सरकार की गारंटी, आदेश और आश्वासन की सीमा तक अच्छा माने गये हैं।

ii) पूर्ववर्ती माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत दिए गए ऋण प्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं और निगम के पास प्रस्तुत की गई प्रतिभूति की सीमा तक अच्छे माने गये हैं।

iii) शेष सूक्ष्म वित्त योजना (वीएमवाई) के तहत दिए गए ऋण प्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं और उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी/सावधि जमा रसीदों की सीमा तक अच्छे माने गये हैं।

iv) वयांगजनों को सीधे दिए गए ऋण प्रतिभूत होते हैं और निगम के पास ऋण से सृजित संपत्ति के दृष्टिबंधन की सीमा तक अच्छा माने गये हैं।

v) बैंकिंग चैनल यानी पीएसबी और आरआरबी के माध्यम से दिए गए ऋण प्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं और अच्छे माने गये हैं।

टिप्पणी: 5.2 प्रबंधन की राय में सभी चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों की प्राप्ति पर एक मूल्य लगाया गया है, जो व्यापार के सामान्य कार्य में कम से कम उस राशि के बराबर होगा, जिस पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शागया है।

टिप्पणी: 5.3 अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) को निगम द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार मान्यता दी गई है। एनपीए के लिए 100% प्रावधान किया गया है जो कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के तहत परिलक्षित भी हुआ है।

टिप्पणी: 5.4 दिव्यांगजनों के लाभ के लिए निगम ने 31 मार्च, 2022 तक 1,352.19 करोड़ (संचयी) जारी किए हैं। उक्त राशि के सापेक्ष 58 करोड़ रुपये चार महीने से अधिक की अवधि (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) से संबंधित नहीं है। 1,294.91 करोड़ रुपये की शेष राशि के सापेक्ष निगम ने 1,198.43 करोड़ रुपये के संबंध में उपयोगिता एवं रिफंड (रिफंड) का ब्यौरा प्राप्त कर लिया है। कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों से 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 35.51 करोड़ रुपये की उपयोगिता और रिफंड (रिफंड) का ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

टिप्पणी: 5.5 बोर्ड की 107वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयानुसार, कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों द्वारा भुगतान की देय तिथि से 15 दिनों के उपरांत निगम की बकाया राशि को अतिदेय माना गया है। तदनुसार 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 83.76 करोड़ रुपये मूल बकाया है और 1.91 करोड़ रुपये का ब्याज बकाया है।

टिप्पणी: 6

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(राशि सौ रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
		गैर- चालू	चालू	योग	गैर- चालू	चालू	योग
प्रतिभूति जमा		63,305.00		63,305.00	63,705.00		63,705.00
कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि			92.65	92.65		0.75	0.75
वसूली योग्य राशि :-							0.00
	क. एमएसजेई		8,126.22	8,126.22		327.10	327.10
	ख. यूआईडीएआई			0.00		197.99	197.99
	ग. एनएचएफडीसी फाउंडेशन		1,037.85	1,037.85		6,331.50	6,331.50
	घ. डीटीटीडीसी-दिली हाट		10,949.95	10,949.95		10,949.95	10,949.95
प्राप्य ब्याज:							
सावधि जमा पर उपचिज ब्याज किंतु देय नहीं			1,03,223.48	1,03,223.48		31,490.31	31,490.31
एससीएएलई, एनजीओ, पीएसयू, आरआरबी और अन्य कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों से प्राप्य ब्याज			2,37,328.97	2,37,328.97		2,86,593.91	2,86,593.91
उपचिज ब्याज किंतु देय नहीं - शिक्षा ऋण		7,438.91		7,438.91	4,562.57		4,562.57
उपचिज ब्याज किंतु देय नहीं							
	घटाएं: ऋण पर प्राप्य ब्याज के लिए अनुमति		(1,214.44)	(1,214.44)		(703.57)	(703.57)
प्रतिभूति जमा पर प्राप्य ब्याज			9,953.49	9,953.49		9,527.64	9,527.64
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत, अच्छा माना गया)			7,538.54	7,538.54		14,521.43	14,521.43
	घटाएं: व्यय के लिए अनुमति		(1,285.82)	(1,285.82)		(1,285.82)	(1,285.82)
	योग	**70,743.91**	**3,75,750.89**	**4,46,494.80**	**68,267.57**	**3,57,951.18**	**4,26,218.75**

टिप्पणी: 6.1 निगम द्वारा पट्टे पर लिए गए रेड क्रॉस भवन, फरीदाबाद के परिसर के लिए मैसर्स इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, फरीदाबाद को 4,500.00 रुपये "प्रतिभूति जमा" के रूप में दिया गया है। मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड को 55,805.00 अनुरक्षण "प्रतिभूति जमा" के रूप में दिया गया है। इन दोनों प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज को "प्रतिभूति जमा पर प्राप्य ब्याज" के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

टिप्पणी: 6.2 डीटीटीडीसी, दिल्ली हाट से वसूली योग्य राशि डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई द्वारा दिनांक 01.06.2019 से अभ्यर्पित किए गये स्टालों से संबंधित है। चूंकि ये स्टॉल पहले ही अभ्यर्पित कर दिए गए हैं, अत: निगम को 10,949.95 रुपये वापस मिलने हैं।

टिप्पणी - 7

नकदी और नकदी के समतुल्य

(राशि सौ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
(क) बैंक में शेष		
बचत खातों में	8,55,803.78	15,65,716.18
(ख) हाथ में नकदी	-	350.02
(ग) 3 माह कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि		
एनएचएफडीसी निधि में	-	-
योग	**8,55,803.78**	**15,66,066.20**

टिप्पणी - 8

नकदी और नकदी के समतुल्य से भिन्न बैंक शेष

(राशि सौ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
3 माह और उससे अधिक किंतु 12 माह से अन्यून मूल परिपक्वता वाले जमा खाते		
एनएचएफडीसी निधि में	94,54,999.79	48,99,999.91
अभिनिर्धारित निधि		
क) सावधि जमा		
न्यास निधि में	-	-
सिपड़ा निधि में	-	-
सीएसआर निधि में	-	-
अधिवर्षिता हितलाभ निधि में	58,671.71	55,396.81
ख) अनुदान निधि में बैंक शेष		
न्यास निधि में	19,126.85	11,24,259.78
सिपड़ा निधि में	64,338.00	7,64,766.51
सीएसआर निधि में	6,27,009.81	2,66,619.21
अधिवर्षिता हितलाभ निधि में	17.77	20.13
योग	**1,02,24,163.93**	**71,11,062.35**

टिप्पणी 8.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निगम ने अनुदान निधि शेष को एनएचएफडीसी निधि में अंतरित कर दिया है, चूंकि अनुदान राशि का समाशोधन का कार्य चल रहा है।

टिप्पणी: 9

चालू कर परिसंपत्ति (निवल)

(राशि सौ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
आयकर (रिफंड) प्राप्य पतिफल	25,332.11	17,667.71
	25,332.11	**17,667.71**

टिप्पणी: 10

अन्य चालू एवं गैर चालू संपत्ति

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
	गैर चालू	कुल	कुल	गैर चालू	कुल	कुल
पूर्व प्रदत्त व्यय		909.62	909.62		866.25	866.25
स्टाफ को अग्रदाय		-	-		7.92	7.92
अन्य					-	-
पक्षकारों से प्राप्य सीएसआर अनुदान		-	-		6,426.58	6,426.58
स्टाफ को अग्रिम		-	-		2,230.32	2,230.32
उचित मूल्य समायोजन लेखा (टिप्पणी संख्या-10.1 देखें)	57,334.83	8430.69	65,765.52	59,706.29	8,212.85	67,919.14
योग	**57,334.83**	**9,340.31**	**66,675.14**	**59,706.29**	**17,743.92**	**77,450.21**

नोट 10.1. उचित मूल्य समायोजन लेखा स्टाफ ऋण और अग्रिम या वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और दिए गए ऋण के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से की राशि का दर्शाते हैं।

टिप्पणी: 11

शेयर पूंजी **(राशि सैकड़ा में)**

विवरण		31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
(a)	प्राधिकृत 1,000 रुपये के बराबर मूल्य के इक्विटी शेयर वोटिंग अधिकार के साथ 49,95,000 इक्विटी शेयर	4,99,50,000.00	4,99,50,000.00
(b)	निर्गमित 1,000 रुपये के बराबर मूल्य के इक्विटी शेयर वोटिंग अधिकार के साथ पूर्णतया प्रदत्त 39,99,910 इक्विटी शेयर (1,000/- रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर)	3,99,99,100.00	3,99,99,100.00
(c)	अभिदत्त एवं पूर्णतया प्रदत्त 1,000 रुपये के बराबर मूल्य के इक्विटी शेयर **वोटिंग अधिकार के साथ पूर्णतया प्रदत्त 39,99,910 इक्विटी शेयर 1,000/- रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर**	**3,99,99,100.00**	**3,99,99,100.00**

टिप्पणी:- 11.1

वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाशोधन

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	(शेयरों की संख्या सैकड़ा में)	(राशि सैकड़ा में)	(शेयरों की संख्या सैकड़ा में)	(राशि सैकड़ा में)
वर्ष के आरंभ में निर्गमित/अभिदत्त एवं प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	**39,999.10**	**3,99,99,100.00**	**39,999.10**	**3,99,99,100.00**
जोड़ें: वर्ष के दौरान निर्गमित शेयर				
वर्ष के अंत में निर्गमित/अभिदत्त एवं प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी	**39,999.10**	**3,99,99,100.00**	**39,999.10**	**3,99,99,100.00**
इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध	-	-	-	-

निगम के पास 1,000 प्रति शेयर रुपये के बराबर मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का केवल एक संवर्ग है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। निगम कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है; अधिशेष का कोई हिस्सा लाभांश के रूप में घोषित नहीं किया गया है और निगम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे अधिशेष को वापस उपयोग में लिया जाता है।

टिप्पणी: 11.2

कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	(शेयरों की संख्या सैकड़ा में)	धारिता का %	(शेयरों की संख्या सैकड़ा में)	धारिता का %
इक्विटी शेयर				
सभी शेयर (1 शेयर को छोड़कर) भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा धारित हैं।	39,999.09	100%	39,999.09	100%
	39,999.09	100%	39,999.09	100%

टिप्पणी: 11.3

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

विवरण	प्रवर्तक का नाम	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		2021-22 के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
		(शेयरों की संख्या सैकड़ा में)	धारिता का %	(शेयरों की संख्या सैकड़ा में)	धारिता का %	
इक्विटी शेयर	महामहिम राष्ट्रपति	39,999.09	100%	39,999.09	100%	शून्य
	डीडीजी-डीईपीडब्ल्यूडी	0.01	0%	0.01	0%	शून्य
		39,999.10	100%	39,999.10	100%	

टिप्पणी: 12

अन्य इक्विटी

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
सामान्य आरक्षित निधि	96,22,820.45	90,06,754.59
प्रतिधारित आय	-	-
योग	**96,22,820.45**	**90,06,754.59**

टिप्पणी: 12.1 सामान्य आरक्षित निधि

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	**90,06,754.59**	**80,77,658.07**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से अंतरित	6,16,065.86	9,29,096.52
अंतिम शेष	**96,22,820.45**	**90,06,754.59**

सामान्य आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्य

टिप्पणी: 12.1 क. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधि दर्शाती है, जिसमें अधिशेष का हिस्सा सामान्य आरक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है। उक्त अधिनियम के अनुसार, किसी भी राशि का सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण निगम के विवेक पर किया जाता है।

टिप्पणी: 12.2

प्रतिधारित आय

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	-	-
जोड़ें: आय और व्यय के विवरण से अंतरित अवधि के दौरान लाभ	6,20,071.91	9,21,229.16
जोड़ें: परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)	(4,006.05)	7,867.36
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	6,16,065.86	9,29,096.52
अंतिम शेष	-	-

कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी होने के कारण; अधिशेष का कोई हिस्सा लाभांश के रूप में घोषित नहीं किया जाता है और निगम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे अधिशेष को वापस गिरवी रखा जाता है।

टिप्पणी: 12.3

शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	-	-
अंतिम शेष	-	**-**

टिप्पणी: - 13

प्रावधान

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
	गैर-चालू	चालू	कुल	गैर-चालू	चालू	कुल
क) कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान:						
(i) सेवानिवृत्ति के उपरांत के हितलाभों के लिए प्रावधान (चिकित्सा लाभ)	53,881.08		53,881.08	49,398.95	-	49,398.95
(ii) अन्य प्रावधान	1,43,498.02	1,670.32	1,45,168.34	1,31,884.13	2,189.27	1,34,073.40
ख) अन्य प्रावधान						
(i) एससीए/आरआरबी/पीएसबी को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान		65,864.18	65,864.18	-	28,295.58	28,295.58
(ii) पीआरपी के लिए प्रावधान		26,807.77	26,807.77	-	29,339.56	29,339.56
योग (क+ख)	**1,97,379.10**	**94,342.27**	**2,91,721.37**	**1,81,283.08**	**59,824.41**	**2,41,107.49**

टिप्पणी 13.1

प्रावधानों का विवरण

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	उपयोग/भुगतान समायोजन/वर्ष 2021-22 के दौरान	31 मार्च, 2022 तक
(i) सेवानिवृत्ति के उपरांत के हितलाभों के लिए प्रावधान (चिकित्सा लाभ)	49,398.95	4,816.66	334.53	53,881.08
(ii) अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान (निवल) (छुट्टी नकदीकरण)	1,34,073.40	21,831.89	10,736.95	1,45,168.34
(iii) एससीए/आरआरबी/पीएसबी को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	28,295.58	42,476.36	4,907.76	65,864.18
(iv) पीआरपी के लिए प्रावधान	29,339.56	14,174.26	14,013.90	29,499.92
योग	**2,41,107.49**	**83,299.17**	**29,993.14**	**2,94,413.52**

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष 2020-21 के दौरान उपयोग/ भुगतान	को 31 मार्च, 2021
(i) सेवानिवृत्ति के उपरांत के हितलाभों के लिए प्रावधान (चिकित्सा लाभ)	49,774.72	-	375.77	49,398.95
(ii) अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान (निवल) (छुट्टी नकदीकरण)	1,30,463.72	24,642.04	21,032.36	1,34,073.40
(iii) एससीए/आरआरबी/पीएसबी को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	34,055.24	28,295.58	34,055.24	28,295.58
(iv) सीएसआर के लिए प्रावधान	5,826.63	13,137.59	18,964.22	-
(v) पीआरपी के लिए प्रावधान	14,013.90	15,325.66	-	29,339.56
योग	**2,34,134.21**	**81,400.87**	**74,427.59**	**2,41,107.49**

1. छुट्टी नकदीकरण के लिए बीमांकिक मूल्यांकन मैसर्स केपीएसी एंड एसोसिएट्स के माध्यम से किया गया था।

2. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए तीसरे वेतन संशोधन को निदेशक मंडल और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 1.1.2017 से निगम में लागू किया गया है। तदनुसार, निगम को कर्मचारियों के मूल वेतन और आईडीए के 30% तक अधिवर्षिता हितलाभ (भविष्य निधि, उपदान, पेंशन और सेवानिवृत्ति के उपरांत के चिकित्सा लाभों में नियोक्ता का अंशदान) प्रदान करना अपेक्षित है। हालांकि दिनांक 27.08.2020 को आयोजित बैठक में बोर्ड के निर्णयानुसार वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पीएफ में अंशदान ईपीएफओ में किया जाता है और उपदान और पेंशन में अंशदान का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम करता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत के चिकित्सा लाभ में अंशदान आज तक किसी भी एजेंसी/फंड मैनेजर को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

3. **कार्य निष्पादन संबंधी वेतन:** पीआरपी के संबंध में लेखा बहियों में लोक उद्यम विभाग, (डीपीई), भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

4. **एससीए/पीएसबी/आरआरबी के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान:** निगम कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को समय पर एनएचएफडीसी की बकाया राशि चुकाने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस संबंध में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति तैयार की है। तदनुसार, उन एजेंसियों को प्रोत्साहन देने के लिए 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 44,697.70/- रुपये (31 मार्च 2021 को 29,730.66/-) प्रावधान किया गया है जो इसके पात्र हैं।

5. **सीएसआर के लिए प्रावधान:** वित्तीय वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 13,137.59/- रुपये) के लिए गत 3 वर्षों के औसत अधिशेष का 2% होने के कारण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर के लिए 17,960.07/- (सैकड़ा में) का प्रावधान किया गया है।

(राशि सैकड़ा में)

	विवरण	2021-22	2020-21
(i)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	17,960.07	13,112.63
(ii)	किए गए व्यय की राशि	17,960.07	13,112.63
(iii)	वर्ष के अंत में कमी	-	-
(iv)	गत वर्षों की कुल कमी	-	-
(v)	कमी का कारण	-	-
(vi)	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	कोविड राहत और स्वास्थ्य सेवा गतिविधियाँ	कोविड 19 के बाद आजीविका हेतु सहायता
(vii)	प्रासंगिक लेखाकरण मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण, उदाहरणार्थ कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास में अंशदान	15,210.07	16,464.22
(viii)	जहां एक संविदात्मक दायित्व में शामिल होने के कारण हुई देनदारी के संबंध में प्रावधान किया गया है, वर्ष के दौरान प्रावधान में उतार-चढ़ाव अलग से दिखाया जाएगा।	शून्य	शून्य

टिप्पणी: 14

अन्य वित्तीय देयताएं **(राशि सैकड़ा में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
अन्य देय (पक्षकार)	39,449.05	26,379.48
अन्य देय (स्टाफ)	11,868.30	34,107.26
अन्य देय - सीएमडी	-	131.20
पक्षकारों की प्रतिभूति जमा	150.00	150.00
सहायता अनुदान		
सीएसआर सहायता अनुदान	6,33,377.03	6,85,494.24
छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि)	11,80,243.08	11,61,495.30
सिपडा अनुदान	8,47,894.94	10,33,875.94
एलईडी टीवी के लिए सहायता अनुदान	-	1,200.00
योग	**27,12,982.40**	**29,42,833.42**

नोटः- 15

अन्य देयताएं

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
	गैर चालू	चालू	कुल	गैर चालू	चालू	कुल
सांविधिक देयता						
ईपीएफ देय		6,479.50	6,479.50		5,858.21	5,858.21
टीडीएस देय		13,082.63	13,082.63		11,416.57	11,416.57
पेंशन देय		425.00	425.00		425.00	425.00
जीएसटी देय		941.01	941.01		157.21	157.21
अन्य						
एनएचएफडीसी सामूहिक उपदान योजना		19,000.54	19,000.54		11,599.80	11,599.80
स्थायी परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान (न्यास निधि)	313.62		313.62	343.12		343.12
स्थायी परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान (सीएसआर निधि)	109.29		109.29	145.65		145.65
स्थायी परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान (एलईडी टीवी)	1,212.98		1,212.98			
पट्टा संबंधी देयता – इंड एएस	15,175.22	10,980.42	26,155.65	27,106.89	10,689.40	37,796.29
योग	**16,811.11**	**50,909.10**	**67,720.22**	**27,595.66**	**40,146.19**	**67,741.85**

नोट: 16

प्रचालन से राजस्व

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
क) ऋण पर ब्याज		
ऋण पर ब्याज - एससीए	8,18,410.02	7,87,134.43
ऋण पर ब्याज - पीएसबी	7,888.52	7,686.34
ऋण पर ब्याज - आरआरबी	34,048.04	63,273.52
ऋण पर ब्याज - सीधा वित्तपोषण	10,235.38	3,302.96
सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएस) पर ब्याज	1,57,722.07	1,05,092.64
ख) दंडात्मक ब्याज	172.53	10,304.51
ग) कार्यान्वयन आय	16,636.34	35,771.95
घ) जॉब-आउटरीच	19,680.00	1,20,352.00
ड.) प्रतिलिखित प्रावधान/देयताएं	784.65	12,555.61
योग	**10,65,577.55**	**11,45,473.96**

(i) ऋणों पर ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पर बीमांकिक आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(ii) पूर्व के वर्षों में किए गए अतिरिक्त प्रावधान निम्न तालिकानुसार प्रतिलिखित किए गये है:

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
अप्रतिभूत अतिदेय हेतु प्रावधान ऋण		-
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान जिसे बट्टे खाते में डाला गया	784.65	3,356.27
अतिरिक्त देयताएं जिसे बट्टे खाते में डाला गया		9,199.34
	784.65	**12,555.61**

टिप्पणी:- 17

अन्य आय

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
क) ब्याज आय		
बैंक जमा पर ब्याज	3,44,973.22	4,92,356.94
बचत बैंक जमा पर ब्याज	30,849.05	16,999.36
कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम पर ब्याज	10,267.55	7,825.18
प्रतिभूति पर ब्याज	2,968.76	2,911.75
ख) अन्य गैर प्रचालन आय		
स्थायी परिसंपत्तियों के लिए अनुदान निधि का परिशोधन	432.58	269.02
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1,589.81	4,893.65
आय कर रिफंड पर ब्याज	965.61	2,655.21
विविध आय	7,014.45	7,826.57
बट्टे खाते में डाली गई देयताएं	700.86	1,142.50
योग	**3,99,761.89**	**5,36,880.18**

(ii) पूर्व के वर्षों में किए गए अतिरिक्त प्रावधान निम्न तालिकानुसार प्रतिलिखित किए गये है:

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	1 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
बट्टे खाते में डाली गई अतिरिक्त देयताएं	700.86	1,142.50
	700.86	**1,142.50**

टिप्पणी : 18

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
क) वेतन एवं मजदूरी		
वेतन और भत्ते- सीएमडी	43,578.28	39,708.60
वेतन और भत्ते- स्टॉफ	4,20,628.88	4,12,112.76
ख) भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान		
उपदान	12,990.02	13,763.04
भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान	35,747.09	34,806.63
छुट्टी वेतन	20,385.49	24,642.04
अधिवर्षिता हितलाभ योजना	28,339.98	28,071.31
ग) उचित मूल्य समायोजन खाता- कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	(4,611.38)	(8,866.24)
घ) कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान	11,482.11	15,325.66
योग	**5,68,540.47**	**5,59,563.80**

टिप्पणी : 19

वित्तीय लागत

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
अनुदान निधि पर ब्याज	42,917.69	-
पट्टा संबंधी देयता पर ब्याज लागत	5,254.13	5,373.94
योग	**48,171.82**	**5,373.94**

टिप्पणी : 20

मूल्यह्रास और परिशोधन लागत

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
मूर्त परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास (टिप्पणी संख्या 3 देखें)	37,467.80	33,658.64
अमूर्त परिसंपत्ति पर परिशोधन (टिप्पणी संख्या 4.1 देखें)	1,469.52	3,737.88
संपत्ति के उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास (टिप्पणी संख्या 3 घ देखें)	10,939.01	10,802.19
योग	**49,876.33**	**48,198.71**

टिप्पणी :- 21

अन्य व्यय

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
एएमसी शुल्क	618.66	823.67
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक (विवरण के लिए टिप्पणी संख्या (i) देखें)	3,540.00	3,717.00
आंतरिक लेखा परीक्षक शुल्क	2,938.20	1,770.00
सीएसआर अंशदान	17,960.07	13,137.59
बिजली शुल्क	8,869.81	6,617.76
वाहनों के लिए ईंधन शुल्क	2,884.96	4,794.53
कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी को प्रोत्साहन	44,697.70	29,730.66
बीमा शुल्क	234.01	485.47
पट्टा किराया	8,400.00	8,400.00
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	7,427.49	7,097.91
विविध व्यय (विवरण के लिए टिप्पणी संख्या (iii) देखें)	21,866.49	12,422.40
मानदेय और बैठक शुल्क	930.00	620.00
कार्यालय रखरखाव व्यय	30.28	17,443.19
आउटसोर्सिंग व्यय	13,241.56	5,795.50
मुद्रण और स्टेशनरी व्यय	3,930.99	1,705.04
प्रचार व्यय (विवरण के लिए टिप्पणी संख्या (ii) देखें)	9,156.03	10,086.25
दरें और कर	1,493.13	6,885.04
मरम्मत एवं रखरखाव	3,223.09	4,009.00
टेलीफोन खर्च	6,014.34	6,009.54
यात्रा खर्च	13,810.06	2,505.18
वाहन चालन और किराए पर लेने का शुल्क	7,412.04	3,932.80
योग	**1,78,678.91**	**1,47,988.53**

(i) (i) लेखा परीक्षकों को भुगतान

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
लेखा परीक्षाशुल्क		
क) सांविधिक लेखापरीक्षा	2,950.00	2,950.00
ख) कराधान मामले	590.00	590.00
ग) कंपनी कानून मामले	-	-
घ) प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
च) व्यय की प्रतिपूर्ति	-	177.00
योग	**3,540.00**	**3,717.00**

(ii) प्रचार व्यय

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
विज्ञापन व्यय	697.16	1,687.37
जागरूकता निर्माण/प्रचार व्यय	2,823.69	7,541.56
प्रदर्शनी/सामाजिक विकास व्यय/रोजगार मेला	5,635.18	816.96
कार्यशाला/सम्मेलन/संगोष्ठी व्यय	-	40.36
योग	**9,156.03**	**10,086.25**

(iii) विविध व्यय

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
बैठक संबंधी व्यय	7,004.49	1,933.35
सदस्यता शुल्क	1,232.99	1,152.47
एआईएस भत्ते की प्रतिपूर्ति	1,152.00	1,152.00
लेखापरीक्षा व्यय – सामूहिक उपदान न्यास	-	118.00
बैंक प्रभार	68.62	135.19
पुस्तक और पत्रिकाओं पर व्यय	137.39	403.95
परिवहन प्रतिपूर्ति	429.78	215.36
पंजीकरण / फाइलिंग शुल्क	118.00	106.00
छात्रवृत्ति-प्रशिक्षु	1,164.20	586.34
अतिथि/आगंतुक मनोरंजन व्यय	719.10	375.23
टीडीएस पर ब्याज	355.28	-
एलटीसी शुल्क	-	1,208.64
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	6,472.00	4,254.64
प्रशिक्षण ऍक्स्प.-कर्मचारी	2,360.00	29.40
डाक व्यय	652.64	751.83
योग	**21,866.49**	**12,422.40**

टिप्पणी: 22

अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

इक्विटी में प्रत्येक प्रकार की आरक्षित निधि द्वारा ओसीआई में परिवर्तन नीचे अलग-अलग दर्शाया गया है: -

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		
उपदान	(4,006.05)	7,867.36
योग	**(4,006.05)**	**7,867.36**

टिप्पणी: 23

प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
निरंतर प्रचालन से		
मूल ईपीएस	15.50	23.03
डायल्यूटेड ईपीएस	15.50	23.03
बंद प्रचालन से		
मूल ईपीएस	0.00	0.00
डायल्यूटेड ईपीएस	0.00	0.00
निरंतर एवं बंद प्रचालन से		
मूल ईपीएस	15.50	23.03
डायल्यूटेड ईपीएस	15.50	23.03

23.1 प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या:-

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ:		
निरंतर प्रचालन	6,20,071.91	9,21,229.16
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय	6,20,071.91	9,21,229.16
प्रति शेयर मूल आय के प्रयोजनार्थ शेयरों की भारित औसत संख्या	39,999.10	39,999.10

23.2 डायल्यूटेड प्रति शेयर आय

प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना में प्रयुक्त ईक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या:-

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े	31 मार्च, 2021 को समाप्त गत रिपोर्टिंग वर्ष के आंकड़े
कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ:		
निरंतर प्रचालन	6,20,071.91	9,21,229.16
निरंतर संचालन से प्रति शेयर डायल्यूटेड आय में कमी की गणना में प्रयुक्त आय	**6,20,071.91**	**9,21,229.16**
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या	39,999.10	39,999.10
डायल्यूशन का प्रभाव:		
शेयर आवेदन धनराशि जिनका अभी आबंटन नहीं हुआ है		
प्रति शेयर मूल आय के प्रयोजनार्थ शेयरों की भारित औसत संख्या	**39,999.10**	**39,999.10**

नोट: 24 आकस्मिक देयता

आकस्मिक मद:

i) आकस्मिक देयताएं:

क) वर्ष के दौरान स्टाफ द्वारा अन्य कर्मचारियों पर लागू 6 वें वेतन आयोग के अनुसार जो डीआरसी परियोजना से समान रूप से रखे गए थे (डीआरसी परियोजना से एनएचएफडीसी में उनके कार्य ग्रहण करने के बाद से) दिनांक 23.02.2007 से अपने वेतन के पुनर्निर्धारण और अपने वेतन पुनर्निर्धारण के बकायों के भुगतान के लिए दिनांक 01.09.2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है। कंपनी ने उनकी मांग का विरोध किया है और सुनवाई 29.07.2022 को निश्चित की गई है।

नोट-25

लेखाकरण नीति में परिवर्तन का प्रभाव

(राशि सैकड़ा में)

नीति संख्या	लेखाकरण नीति	अभ्युक्ति	लाभ पर प्रभाव
2.5 (क)	अनुदान निधियों पर बैंक के ब्याज को उपचय आधार पर आय के रूप में माना जाता है जब तक कि अनुदान निधि के नियम और शर्तें अन्यथा निर्दिष्ट न करंक	पैरा क) हटा दिया गया है। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियां, 2021) के आधार पर हटाया गया है)	रुपया 29,121.35 (गिरावट)
2.5 ख)	अव्ययित अनुदान और उपचित ब्याज ऊपर क को छोड़कर चालू देयताओं के रूप में माना जाता है।	अव्ययित अनुदान और उस पर उपचित ब्याज को आस्थगित कर दिया गया है और चालू देयताओं /प्रावधानों के रूप में माना गया है। (उपरोक्त क के कारण परिवर्तन किए गए हैं।)	कोई प्रभाव नहीं
2.5 ग)	परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान को आस्थगित आय के रूप में निर्धारित करते हुए तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा, ऐसी आस्थगित आय को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर आय और व्यय में मान्यता दी जाती है।	आस्थगित आय के रूप में अनुदान निर्धारित करते हुए परिसम्पत्ति से संबंधित अनुदान तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसी आस्थगित आय को परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर आय और व्यय में मान्यता दी जाती है। (कोई परिवर्तन नहीं)	कोई प्रभाव नहीं

टिप्पणी : 26 इंड एएस -20 के तहत प्रकटीकरण

सीएसआर सहायता अनुदान

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	6,85,494.24	5,48,511.49
जोड़ें: वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्धन	92,338.03	2,83,747.41
योग	**7,77,832.27**	**8,32,258.90**
घटाएं:		
क) निधि योजना के अनुसार व्यय की गई राशि (निवल)	1,15,333.89	1,46,764.66
ख) अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज (वित्तीय वर्ष)	29,121.35	-
वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष	**6,33,377.03**	**6,85,494.24**

छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) **(राशि सैकड़ा में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष		
अनुदान निधि	6,40,257.08	6,92,438.21
अनुदान निधियों पर अर्जित ब्याज (पूर्व वर्ष)	5,21,238.22	4,58,880.72
योग	**11,61,495.30**	**11,51,318.93**
जोड़ें : क) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ख) अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज (वित्तीय वर्ष)	32,914.72	62,357.50
योग	**11,94,410.02**	**12,13,676.43**
घटाएं:		
क) छात्रवृत्ति पुरस्कारों के लिए वितरित/उपयोग की गई राशि (निवल)	2,961.00	37,781.18
ख) प्रशासनिक व्यय के लिए खर्च की गई राशि	11,205.94	14,399.95
वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष		
अनुदान निधि	6,26,090.14	6,40,257.08
अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज	5,54,152.94	5,21,238.22
योग	**11,80,243.08**	**11,61,495.30**

सिपडा अनुदान **(राशि सैकड़ा में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष		
अनुदान निधि	7,63,736.80	13,66,805.77
अनुदान निधियों पर अर्जित ब्याज (पूर्व वर्ष)	2,70,139.14	2,13,807.75
योग	**10,33,875.94**	**15,80,613.52**
जोड़ें : क) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ख) अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज (वित्तीय वर्ष)	35,973.29	56,331.39
योग	**10,69,849.23**	**16,36,944.91**
घटाएं:		
वर्ष के दौरान रिफंड पर ब्याज	1,25,000.00	
क) सिपडा के लिए वितरित/प्रयुक्त राशि (निवल)	96954.29	6,03,068.97
वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम शेष		
अनुदान निधि	5,41,782.51	7,63,736.80
अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज	3,06,112.43	2,70,139.14
योग	**8,47,894.94**	**10,33,875.94**

टिप्पणी संख्या 27- डीटीटीडीसी-दिल्ली हाट से वसूली योग्य राशि

दिल्ली हाट, पीतमपुरा में तीन स्टालों के अधिग्रहण के लिए दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) को 31 मार्च, 2009 को 34,375.00/- रुपये का भुगतान किया गया था। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच 9 जून, 2010 को इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पट्टे की अवधि 17 जून, 2023 अर्थात 12 वर्ष 8 माह 17 दिन तक थी। डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई ने उक्त स्टॉल दिनांक 01.06.2019 से अभ्यर्पित कर दिये थे। निगम ने 10,949.95 रुपये वसूली योग्य के रूप में दर्शाया है।

टिप्पणी संख्या 28

कर्मचारी हितलाभ योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

निगम कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि अंशदान करता है। योजनाओं के तहत, निगम को लाभों को वित्तपोषित करने के लिए पेरोल लागतों के एक निर्दिष्ट प्रतिशत का योगदान करना आवश्यक है। निगम ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 28,339.98/- रुपये (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 28,071.31/- रुपये) को आय व व्यय विवरण में अधिवर्षिता हितलाभ पेंशन निधि में मान्यता दी। निगम द्वारा इन योजनाओं में अंशदान डीपीई द्वारा जारी वेतन संशोधन (तृतीय वेतन संशोधन) दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ

निगम अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित कर्मचारी हितलाभ योजनाएं पेश करता है:

i. उपदान
ii. छुट्टी नकदीकरण
iii. नियोजन अधिवर्षिता के उपरांत हितलाभ

निम्न तालिका परिभाषित लाभ योजनाओं की वित्तपोषित स्थिति और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि को निर्धारित करती है:

अर्जित छुट्टी

परिसंपत्ति और देयता (तुलन पत्र की स्थिति)

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
दायित्व का वर्तमान मूल्य	99,329.48	1,01,799.25
योजना आस्तियों का उचित मूल्य		
अतिरिक्त (घाटा)	(99,329.48)	(1,01,799.25)
परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो		
निवल परिसंपत्ति / (देयता)	(99,329.48)	(1,01,799.25)

आय विवरण में माना गया व्यय **(राशि सैकड़ा में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,01,799.25	98,102.29
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	99,329.48	1,01,799.25
हितलाभ भुगतान	1,592.58	21,695.58
वास्तविक प्रतिफल या योजनागत परिसंपत्ति		
अधिग्रहण/समायोजन		
अंतरण		
आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	(877.19)	25,392.54

कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य का विभाजन

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
चालू देयता (अल्पावधि)	1,366.35	2,037.80
गैर- चालू देयता (दीर्घावधि)	97,963.13	99,761.45
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	99,329.48	1,01,799.25

जनसांख्यिकी धारणाएं

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
मृत्यु दर	100% आईएएलएम 2012-14	100% आईएएलएम 2012-14

बीमांकिक धारणाएं

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.25%	6.75%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	6.00%	6.00%

अर्ध वेतन छुट्टी

परिसंपत्ति और देयता (तुलन पत्र की स्थिति)

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
दायित्व का वर्तमान मूल्य	52,873.61	31,610.93
योजना आस्तियों का उचित मूल्य		
अतिरिक्त (घाटा)	(52,873.61)	(31,610.93)
परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो		
निवल परिसंपत्ति / (देयता)	(52,873.61)	(31,610.93)

आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	31,610.93	32,361.43
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	52,873.61	31,610.93
हितलाभ भुगतान		
वास्तविक प्रतिफल या योजनागत परिसंपत्ति		
अधिग्रहण/समायोजन		
आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	21,262.68	(750.50)

कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य का विभाजन

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
चालू देयता (अल्पावधि)	303.97	151.47
गैर- चालू देयता (दीर्घावधि)	52,569.64	31,459.46
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	52,873.61	31,610.93

जनसांख्यिकी धारणाएं

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
मृत्यु दर	100% आईएएलएम 2012-14	100% आईएएलएम 2012-14

बीमांकिक धारणाएं

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.25%	6.75%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	6.00%	6.00%

उपदान

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,47,499.86	1,46,711.43
वर्तमान सेवा लागत	10,812.35	10,425.95
ब्याज व्यय या लागत	9,949.20	9,896.01
पुनर्माप (या बीमांकिक) (लाभ)/हानि		
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन		
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन	(8,902.78)	
अनुभव भिन्नता (यानी वास्तविक अनुभव बनाम धारणाएं)	5,342.37	(306.39)
अन्य		
विगत सेवा लागत		
विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव		
प्रदत्त हितलाभ		(19,227.14)
अंतरण		
अधिग्रहण/समायोजन		
व्यापार संयोजन या निपटान का प्रभाव		
दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**1,64,701.00**	**1,47,499.86**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभ में योजनागत परिसंपत्ति का उचित मूल्य	**1,15,215.29**	**97,238.06**
निवेश आय	7,771.53	6,558.92
नियोक्ता का अंशदान		23,084.48
कर्मचारी का अंशदान		
प्रदत्त हितलाभ		(19,227.14)
निवल ब्याज व्यय में मान्यता प्राप्त राशि को छोड़कर, योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	(7,566.46)	7,560.97
अधिग्रहण/समायोजन		
में स्थानांतरण		
अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	**1,15,420.36**	**1,15,215.29**

आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्तमान सेवा लागत	10,812.35	10,425.95
विगत सेवा लागत		
निपटान पर हानि/(लाभ)		
निवल परिभाषित हितलाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज लागत / (आय)	2,177.67	3,337.09
आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**12,990.02**	**13,763.04**

अन्य व्यापक आय

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
बीमांकिक (लाभ) / हानि		
- जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन		0
- वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन	(8,902.78)	-
अनुभव भिन्नता (यानी वास्तविक अनुभव बनाम धारणाएं)	5,342.37	(306.39)
- अन्य		0
निवल ब्याज व्यय में मान्यता प्राप्त राशि को छोड़कर, योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	7,566.46	(7,560.97)
परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा के प्रभाव में परिवर्तन के कारण उत्पन्न पुनर्माप (या बीमांकिक) (लाभ)/हानि		
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त परिभाषित हितलाभ लागत के घटक	**4,006.05**	**(7,867.36)**

परिसंपत्ति और देयता (तुलन पत्र की स्थिति) **(राशि सैकड़ा में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,64,701.00	1,47,499.86
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,15,420.36	1,15,215.29
अतिरिक्त (घाटा)	**(49,280.64)**	**(32,284.57)**
परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो		
निवल परिसंपत्ति / (देयता)	**(49,280.64)**	**(32,284.57)**

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त व्यय **(राशि सैकड़ा में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
आय विवरण में	12,990.02	13,763.04
अन्य व्यापक आय में	4,006.05	(7,867.36)
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**16,996.07**	**5,895.68**

कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य का विभाजन

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
चालू देयता (अल्पावधि)	3,537.27	2,982.99
गैर- चालू देयता (दीर्घावधि)	1,61,163.73	1,44,516.87
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1,64,701.00**	**1,47,499.86**

जनसांख्यिकी धारणाएं

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
मृत्यु दर (आईएएलएम 2006-08)	100% of आईएएलएम 2012-14	100% of आईएएलएम 2012-14
बीमांकिक अनुमान		
छूट की दर	7.25%	6.75%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
निकासी दर	1% से 3% अवधी के अनुसार	

रोजगारपरांत कुल चिकित्सा लाभ / अधिवर्षिता हितलाभ **(राशि सैकड़ा में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के दौरान परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन		
वर्ष के आरंभ में बीडीओ का वर्तमान मूल्य	2,53,010.81	2,24,939.50
वर्तमान सेवा लागत	28,339.98	28,071.31
विगत सेवा लागत		
प्रदत्त हितलाभ		
वर्ष के अंत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	**2,81,350.79**	**2,53,010.81**

टिप्पणी : 29

संबंधित पक्षकार प्रकीटकरण

i. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

(a) श्री राजन सहगल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी)
(b) श्री डी आर सरीन, निदेशक (31.12.2021 तक)
(c) श्री संजय पांडे
(d) डॉ. प्रियंका चौधरी
(e) श्री किशोर बाबुराव सुर्वाड़े
(f) श्री मितेश सिन्हा
(g) डॉ. अलका शर्मा (05.02.2021 से)
(h) डॉ. जवाहरलाल जोंग्लुजू (07.01.2022)
(i) डॉ. प्रियशील हाडा (07.01.2022)
(j) श्री आर.के. मिश्र, कंपनी सचिव

ii. महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

एनएचएफडीसी फाउंडेशन

iii. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार

श्रीमती इंदु सहगल

29.1 प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का पारिश्रमिक:

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेन-देन की प्रकृति और मात्रा:

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	सीएमडी	सीएस	सीएमडी	सीएस
(क) अल्पावधि हितलाभ	35,659.36	31,364.02	31,997.64	27,862.60
(ख) नियोजनपरांत हितलाभ	7,918.92	2,144.78	7,710.96	1,615.87
(ग) अन्य दीर्घावधि हितलाभ	-	-	-	-
(घ) निष्कासन हितलाभ	-	-	-	-
(ड.) शेयर आधारित भुगतान	-	-	-	-
	43,578.28	**33,508.80**	**39,708.60**	**29,478.47**

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
	डॉ. पी.एस. हाडा	डॉ. प्रियंका चौधरी	डॉ. जवाहरलाल जोंग्लुजू	डॉ. प्रियंका चौधरी
बैठक शुल्क	40.00	40.00	40.00	80.00
	40.00	**40.00**	**40.00**	**80.00**

संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण:

(राशि सैकड़ा में)

लेनदेन की प्रकृति	संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
पक्षकार की ओर से किए गए भुगतान	एनएचएफडीसी फाउंडेशन	महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले प्रमुख प्रबंधन कर्मी	1037.85	6,331.50
सिपडा योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु अधोसंरचना की व्यवस्था हेतु अग्रिम भुगतान			-	51,810.00
टैक्सी किराया शुल्क के लिए भुगतान			3960.95	3,276.00
कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के रूप में निगम का सीएसआर अंशदान जारी करना			15,210.07	16,464.22
पट्टा किराया का भुगतान	श्रीमती इंदु सहगल	प्रमुख प्रबंधन कर्मी के रिश्तेदार	8,400.00	8,400.00
प्रतिभूति जमा			1,400.00	1,400.00

प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋण या अग्रिम

(राशि सैकड़ा में)

उधारकर्ता का प्रकार	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	कुल ऋणों और ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	कुल ऋणों और ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों का प्रतिशत
प्रवर्तक				
निदेशक				
केएमपी	5,239.83	0.01%	6,050.29	0.01%
संबंधित पक्षकार (एनएचएफडीसी फाउंडेशन)	16,139.50	0.04%	-	-

29.2 सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन

ऊपर बताए गए लेन-देन के अलावा, कंपनी का अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ भी लेन-देन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: -

सरकार का नाम: भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से (100% पूंजी अंशदान)

कुछ महत्वपूर्ण लेन-देन:-

(राशि सैकड़ा में)

पक्षकार	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य योजनाएँ	379.70	1,200.00
		379.70	**1,200.00**

टिप्पणी: 30

वर्तमान व्यापार देय **(राशि सैकड़ा में)**

सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की बकाया राशि	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से भिन्न अन्य लेनदारों की बकाया राशि	-	-
अन्य	-	-
बिल न किया गया बकाया	-	-
योग	**-**	**-**

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार **(राशि सैकड़ा में)**

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई			-	-	-	-
(ii) अन्य		-	-	-	-	-
योग (ii)		-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई		-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया- अन्य		-	-	-	-	-
योग (i) + (ii) + (iii) + (iv)		-	-	-	-	-
जोडें: बिल न किया गया बकाया						
योग						

31 मार्च, 202 की स्थिति के अनुसार

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई		-	-	-	-	-
(ii) अन्य		-	-	-	-	-
योग (ii)		-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया-एमएसएमई		-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया- अन्य		-	-	-	-	-
योग (i) + (ii) + (iii) + (iv)		-	-	-	-	-
जोडें: बिल न किया गया बकाया						
योग						

टिप्पणी : 31

पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस तरह से प्रबंधित करना है ताकि उनकी जारी रहने की क्षमता को सुनिश्चित और सुरक्षित रखा जा सके ताकि कंपनी सभी हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान करना जारी रख सके।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय प्रसंविदाओं की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है। उधार के प्रति इसकी कोई देनदारी नहीं है। कंपनी आंतरिक संसाधनों के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

टिप्पणी : 32

उचित मूल्य माप

(i) श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों की रखाव राशि का मूल्य इस प्रकार है:

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधत लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधत लागत
वित्तीय परिसंपत्ति						
(i) नकदी और नकदी के समतुल्य			8,55,803.78	-	-	15,66,066.20
(ii) अन्य बैंक शेष			1,02,24,163.93	-	-	71,11,062.35
(iii) प्रतिभूति जमा			63,305.00	-	-	63,705.00
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति			3,83,189.80	-	-	3,62,513.75
(v) ऋण			3,92,97,682.63	-	-	4,12,50,688.43
(vi) स्टॉफ को ऋण एवं अग्रिम			1,47,213.56	-	-	1,44,452.71
कुल वित्तीय परिसंपत्ति			**5,09,71,358.70**	**-**	**-**	**5,04,98,488.44**
वित्तीय देयताएं						
(i) अन्य वित्तीय देयताएं			27,12,982.40	-	-	29,42,833.42
कुल वित्तीय देयताएं			**27,12,982.40**	**-**	**-**	**29,42,833.42**

(ii) वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य जो उचित मूल्य पर मापा जाता है

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
	रखाव मूल्य	उचित मूल्य	रखाव मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्ति				
स्टॉफ को ऋण एवं अग्रिम	1,47,213.56	1,47,213.56	1,44,452.71	1,44,452.71
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	1,47,213.56	1,47,213.56	1,44,452.71	1,44,452.71

i) नकदी और नकदी समतुल्य रखाव राशि, अन्य बैंक शेष, प्रतिभूति जमा, अन्य प्राप्य और देय राशियों को उनके उचित मूल्यों के समान ही माना जाता है, चूंकि यह अल्पकालिक प्रकृति का होता है।

ii) कर्मचारियों को ऋण" के उचित मूल्य की गणना वर्तमान बाजार दर का उपयोग करते हुए छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम सहित अप्राप्य इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, उनकी रखाव राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1- तदनुरूपी परिसंपत्तियों या देयतायों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्त मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 के भीतर शामिल उद्त कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी व्युत्पन्न रूप की कीमतों) के लिए देखे जा सकते हैं।

स्तर 3 - परिसंपत्ति या देयतायों के लिए इनपुट जो देखने योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (अदृश्य इनपुट)

निम्नलिखित तालिका परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य माप पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है:-

31-03-2022 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम **(राशि सैकड़ा में)**

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 23	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
स्टाफ को ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2022	-		1,47,213.56	1,47,213.56
		-		**1,47,213.56**	**1,47,213.56**

31-03-2021 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(राशि सैकड़ा में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 23	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
स्टाफ को ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2021	-		1,44,452.71	1,44,452.71
		-		**1,44,452.71**	**1,44,452.71**

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में अनुदान और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्त देना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में एससीए/अन्य संस्थाओं को सावधि/सूक्ष्म वित्त ऋण शामिल हैं जो सीधे इसकी इक्विटी से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। इन वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमत होता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:-

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण वित्तीय दस्तावेजों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय दस्तावेजों में ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम जोखिम है कि बाजार ब्याज दर में बदलाव के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी ब्याज दर जोखिम में निवेश नहीं किया है।

ग) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय नुकसान का जोखिम है, यदि वित्तीय दस्तावेज का कोई प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है और मुख्य रूप से कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य उधारकर्ताओं से प्राप्त कंपनी के ऋण से उत्पन्न होता है। कंपनी को कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों और अन्य उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों की वित्तीय गतिविधियों से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। कंपनी संपत्ति की प्रारंभिक पहचान पर डिफ़ॉल्ट की संभावना पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तिथि के अनुसार डिफ़ॉल्ट के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार परिसंपत्ति पर होने वाले डिफ़ॉल्ट के जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक भविष्योन्मुखी सूचना पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल किए गए हैं।

- दायित्व का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के मूल्य में या तीसरे पक्ष की गारंटी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

  समूह में उधारकर्ताओं (कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों) के भुगतान की स्थिति में परिवर्तन और उधारकर्ता (कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों) के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सहित उधारकर्ता (कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों) के अपेक्षित प्रदर्शन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

सामान्य तौर पर, यह माना जाता है कि यदि भुगतान 1 वर्ष से अधिक समयांतराल से देय हैं, तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में काफी वृद्धि हुई है।

वित्तीय परिसंपत्ति पर एक चूक तब होती है जब प्रतिपक्ष देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है।

वित्तीय दस्तावेज और नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास शेष राशि से क्रेडिट जोखिम को कंपनी की नीति के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। अधिशेष निधियों का निवेश प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर किया जाता है।

घ) चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है। कंपनी पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी के साथ-साथ वित्तीय संपत्तियों/देयताओं की परिपक्वताओं का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं का प्रबंधन/रखरखाव करती है।

टिप्पणी :- 33

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों की अपेक्षित ऋण हानियों के लिए अनुमति (राशि सैकड़ा में)

विवरण		परिसंपत्ति का समूह	चूक की अनुमानित सकल रखाव राशि	चूक की अपेक्षित संभावना	अपेक्षित ऋण हानि	निवल क्षति प्रावधान की रखाव राशि
हानि की अनुमति जीवन-समय की अपेक्षित ऋण हानि पर मापी जाती है।	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	-	-	-	-
		ऋण पर ब्याज	-	-	-	-
	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए ऋण जोखिम काफी बढ़ गया है और क्रेडिट रूप से	ऋण	82,518.12	100%	82,518.12	-
		ऋण पर ब्याज	1,214.44	100%	1,214.44	
			83,732.56		**83,732.56**	**-**
						-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों की अपेक्षित ऋण हानियों के लिए अनुमति (राशि सैकड़ा में)

विवरण		परिसंपत्ति का समूह	चूक की अनुमानित सकल रखाव राशि	चूक की अपेक्षित संभावना	अपेक्षित ऋण हानि	निवल क्षति प्रावधान की रखाव राशि
हानि की अनुमति जीवन-समय की अपेक्षित ऋण हानि पर मापी जाती है।	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	-	100%	-	-
		ऋण पर ब्याज	-	-	-	-
	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए ऋण जोखिम काफी बढ़ गया है और क्रेडिट रूप से	ऋण	83,813.64	100%	83,813.64	-
		ऋण पर ब्याज	703.57	100%	703.57	
			84,517.21		**84,517.21**	**-**

ऋणों की अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

क) निगम की अनुमोदित नीति के अनुसार, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

i. उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है, जो तुलन पत्र तैया करने की तिथि तक 5 (पांच) वर्षों से अधिक के लिए बकाया है और जो सरकारी गारंटी / आदेश / आश्वासन आदि द्वारा प्रतिभूत नहीं है।

ii. गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के मामले में, अशोध्य और संदिग्ध ऋण (ऋणों) के लिए तक प्रावधान किया जाता है, जब कोई राशि तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार, अतिदेय राशि की सीमा तक, तीन वर्ष से अधिक अवधि से अतिदेय हो जाती है, ऐसी प्रतिभूति के सापेक्ष निगम की नीति में यथा उपबंधित प्रतिभूत नहीं है/हैं। इस प्रयोजन के लिए, प्रतिभूति का मूल्य ऋण राशि के 25% तक सीमित होगा, जहां एनजीओ द्वारा यथास्थिति सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रतिभूति के रूप में प्रदान की जाती है और/या ऋण राशि का 40%, जहां संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

iii. प्रावधान ऋण (मूलधन/ब्याज उपरोक्त उल्लिखित अवधि से बकाया है) के 100% की सीमा तक सृजित किया गया है और उपरोक्तानुसार प्रतिभूत नहीं है।

टिप्पणी : 34

अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

निम्नलिखित भविष्य के संबंध में प्रमुख धारणाएं हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के अनुमान के प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) अमूर्त वस्तुओं का उपयोगी जीवन

जैसा कि टिप्पणी 2.8 में यथाउल्लिखित, कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है।

उपरोक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव बाद के वित्तीय वर्षों में परिशोधन व्यय को प्रभावित कर सकता है।

ख) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों द्वारा मापा जाता है। जहां भी संभव हो, इन विधियों के लिए इनपुट देखने योग्य बाजारों से लिए गए हैं। लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ हद तक विवेक की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे निविष्टियों के विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। आगे के प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 29 देखें।

टिप्पणी: 35

प्रचालन खंड रिपोर्टिंग

निगम के पास केवल एक व्यावसायिक खंड और एक भौगोलिक खंड है, क्योंकि यह दिव्यांगजनों के लाभ के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। अत:, इंड-एएस के अनुसार इस खंड की सूचना का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 36

(राशि सैकड़ा में)

अनुपात का प्रकटीकरण:	2021-22		2020-21		गत वर्ष से वृद्धि/ गिरावट
चालू अनुपात:		992.35%		968%	0.24
चालू परिसंपत्ति	2,83,63,677.60		2,94,58,651.26		
चालू देयताएं	28,58,233.77		30,42,804.02		
कर्ज-इक्विटी अनुपात:		6.19%		6.21%	0.00
कुल देयताएं	30,72,423.98		30,42,804.02		
कुल शेयर धारक इक्विटी	4,96,21,920.45		4,90,05,854.59		
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात		NA		NA	
प्रचालन आय					
अल्पावधि ऋण और दीर्घावधि कर्ज का वर्तमान हिस्सा					
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल:		1.24%		1.90%	-0.01
निवल आय/अधिशेष	6,16,065.86		9,29,096.52		
शेयरधारक इक्विटी	4,96,21,920.45		4,90,05,854.59		
मालसूची टर्नओवर अनुपात:		NA		NA	NA
बेचे गए वस्तु की लागत	-				
इसी अवधि के लिए औसत मालसूची	-				
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात:		NA		NA	NA
निवल बिक्री	-				
औसत लेखा प्राप्य	-				
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात:		NA		NA	NA
देय राशि के लिए दिवसों की औसत संख्या	-				
दिवसों की औसत संख्या यानी 365	-				
निवल पूंजीगत टर्नओवर अनुपात:		2.15%		2.34%	0.00
प्रचालन से कुल बिक्री/राजस्व	10,65,577.55		11,45,473.96		
शेयरधारक की इक्विटी	4,96,21,920.45		4,90,05,854.59		
निवल लाभ/अधिशेष अनुपात:		58.19%		80.42%	-0.22
राजस्व-लागत	6,20,071.91		9,21,229.16		
राजस्व	10,65,577.55		11,45,473.96		
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल अनुपात:		1.24%		1.89%	-0.01
ब्याज एवं कर पूर्व आय	6,16,065.86		9,29,096.52		
नियोजित पूंजी (कुल परिसंपत्ति – चालू देयता)	4,98,36,110.66		4,92,14,733.33		
निवेश पर प्रतिफल:		1.24%		1.89%	-0.01
निवल आय / अधिशेष	6,16,065.86		9,29,096.52		
निवेश की लागत (कुल परिसंपत्ति- चालू देयता)	4,98,36,110.66		4,92,14,733.33		

टिप्पणी :- 37

ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

कंपनी ने लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे की अपेक्षानुसार इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" प्रणाली अपनाई है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।

टिप्पणी : 38

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत छूट

निगम को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III ख के उपबधों और भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीएनबीआर(पीडी)सीओ.352/03.10.001/2018-19 दिनांक 16.08.2018 के अन्य विनियामक अपेक्षाओं तथा विवेकपूर्ण मानदंडों/निदेशों से छूट प्राप्त है। कंपनी ने इंड एएस के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

टिप्पणी :-39

जहां भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप करने के लिए पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी :- 40

वित्तीय विवरण का अनुमोदन

ये वित्तीय विवरण 27/06/2022 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हैं।

हमारी सम दिनांकित की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
मै. ग्रोवर, लल्ला एवं मेहता चार्टेड अकाउंटेंट्स
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./-
(सीए पंकज बंसल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 502661
एफआरएन : 002830एन

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 27.06.2022
यूडीआईएन:22502661ALSUVA3312

कृते नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन
के निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके निमित

ह./-
(राजन सहगल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03633935

ह./-
(आर.के. मिश्र)
कंपनी सचिव

प्रपत्र सं. एमजीटी -11

प्रौक्सी फार्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन	:	U74140HR1997NPL033466
कंपनी का नाम	:	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एंड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन
पंजीकृत कार्यालय	:	रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद-121007 (हरियाणा)
सदस्य (सदस्यों) का नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ईमेल	:	
फोलियों सं; /क्लाइंट आईडी	:	
डीपी आईडी	:	

मैं/हम, उपरोक्त नामित कंपनी के शेयरों के सदस्य होने के नाते, एतत् द्वारा नियुक्त करता हूं/करते हैं

1.	नाम	:	.....
	पता	:	.....
	ईमेल	:	.....
	हस्ताक्षर	:	....., या इनके ना होने पर
2.	नाम	:	.....
	पता	:	.....
	ईमेल	:	.....
	हस्ताक्षर	:	....., या इनके ना होने पर
3.	नाम	:	.....
	पता	:	.....
	ईमेल	:	.....
	हस्ताक्षर	:	.....

मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और मतदान करने के लिए (मतदान पर) मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से .....में.....के दिन आयोजित होने वाली कंपनी की वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में एवं ऐसे संकल्प जो नीचे दर्शाये गये हैं के संबंध में तत्संबंधी स्थगन पर

संकल्प सं.

1 .....

2 .....

3 .....

रेवेन्यू स्टेम्प लगाएं

इस.....दिवस.....तारीख.....2022 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर

टिप्पणी : प्रभावी होने वाले इस प्रॉक्सी फॉर्म को विधिवत भरें और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा करें।

3 जुलाई, 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से इच्छुक दिव्यांगजन हेतु ऋण मेला आयोजित किया गया।

5वें नार्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक-2021 का वर्चुअल उदघाटन करते हुए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार जी। इस कार्यक्रम में निगम द्वारा भी भागीदारी की गई।

एनएसके, कन्नौज में चलाई जा रही ट्रेनिंग का दृश्य

अच्छेजा, गौतम बुद्ध नगर(उत्तर प्रदेश) स्थित एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र (NSK) के निरीक्षण के क्षण।

पंडित दीनदयालउपाध्याय जी की 105वीं जयंती पर आईपीएचए नई दिल्ली में दिव्यांगजन हेतु आयोजित जॉब फेयर में निगम की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया।

गोरखपुर के सांसद माननीय रविकिशन शुक्ला जी निगम के स्टाल का निरीक्षण करते हुए।

टीकमगढ़ में एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र के उद्घाटन के दौरान माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार जी को एनएसके के बारे में बताते हुए सीएमडी, एनएचफडीसी

दिनांक 02.10.2021 को सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा अच्छेजा, गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) स्थित एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र (NSK) का निरीक्षण किया गया।

चंडीगढ़ लोन मेला (दिनांक 26.03.202) के दौरान दिव्यांग लाभार्थियों को चैक का वितरण करते निगम के अधिकारी ।

दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों का निरीक्षण करते माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार जी

एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र (NSK) में उपस्थित दिव्यांग प्रशिक्षु।

राजभाषा माह-2021 के दौरान आयोजित कार्यक्रम का दृश्य

NOTICE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of NATIONAL HANDICAPPED FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION will be held on Friday, the 23rd Day of September, 2022 at 4.00 P.M. at India Habitat Centre, Habitat World, Lodhi Road, New Delhi-110003 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt Boards' Report, Audited Financial Statements for the financial year ended on 31st March, 2022 along with the reports of Auditors thereon and Comments of the Comptroller & Auditor General of India.

2. To fix the remuneration of M/s. Grover, Lalla & Mehta, Chartered Accountants, Statutory Auditors appointed by Comptroller & Auditor General of India and in this connection to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as an **Ordinary Resolution**.

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 142 (1) and other applicable provisions (if any) of the Companies Act, 2013 the Corporation hereby approves an amount of Rs.2,50,000/-(Rupees Two Lakh and Fifty Thousand Only) plus GST (at the applicable rate) as audit fee to be paid to M/s. Grover, Lalla & Mehta, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Corporation for the financial year 2021-22 as appointed by the Comptroller & Auditor General of India".

   "FURTHER RESOLVED THAT the travelling and incidental expenses incurred by the Statutory Auditors in connection with the audit shall be reimbursed by the Corporation in accordance with the terms of appointment issued by C. & A.G. of India."

By Order of the Board of Directors
For National Handicapped Finance
and Development Corporation

Sd/-
(R. K. Mishra)
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 23rd September, 2022

Note:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote on a poll. Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the company not less than 48 hours before the time for holding the meeting. A blank proxy is enclosed.

2. In terms of Rule 19(1) of Companies (Management and Administration) Rules 2014 a member of a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (corresponding to section 25 of Companies Act, 1956) shall not be entitled to appoint any other person as his/her proxy unless such other person is also a member of such company.

CHAIRMAN'S STATEMENT

25TH ANNUAL GENERAL MEETING

Gentlemen,

I present the 25th Annual Report of National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) on behalf of the Board of Directors.

The financial year witnessed the second wave of the COVID-19 pandemic. We have been able to address the difficult time through our discipline, resolve and safety measures. NHFDC has also contributed to the fight against the pandemic through its CSR initiatives. Employees of the Corporation continued to serve Persons with Disabilities (PwDs), while taking due care of safety measures.

1. Performance and Achievements

Amidst the challenges posed by the pandemic, the Corporation has been able to release loan amounting to Rs. 112.75 Cr. during the financial year 2021-22 for the benefit of 16,713 Persons with Disabilities. Till 31st March, 2022, the Corporation released loans of Rs.1347.37 Cr. for the benefit of over 2.18 Lakh PwDs.

Skill training is one of the important means towards empowerment of PwDs and the pandemic posed challenges in imparting skill training.

The overall performance of the Corporation for the financial year 2021-22 was rated as ' Very Good' by Department of Public Enterprises (DPE), GoI in respect of MoU targets. Going by the self-evaluation, the Corporation expects to maintain 'Very Good' rating for the financial year 2021-22.

2. Important decisions taken for simplification of schemes/Guidelines

During the financial year 2021-22, the Corporation had taken certain important decisions, which are as follows:-

i) Rate of interest on education loan has been reduced to 4% p.a.

ii) The repayment period under education loan shall be coterminous with the repayment period sanctioned by the Implementing agency.

iii) Waiving the interest in the event of death of PwD beneficiary during the loan tenure, w.e.f. the date of death of the beneficiary.

3. Corporate Governance

The Corporation has adopted the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises, Government of India. Transparency, integrity and accountability in affairs of the Corporation are vital for effective functioning and we are committed to these principles.

4. Future Outlook

I am aware of huge mandate and expectations of the stakeholders from the Corporation. Considering the number of PwDs yet to be covered under NHFDC schemes, the Corporation attempts to activity engage with the channel partners for expanding credit outreach. The Corporation does not have any issue concerning availability of funds for the benefit of PwDs. The Corporation reviews its schemes/ Guidelines in order to simplify the same to cater to the needs of all kinds of PwDs. I am optimistic that with the support and guidance of the Board, the Government and employees; it would be possible to effectively address the needs of PwDs in the country.

5. Acknowledgments

I take this opportunity to express my appreciation for the valuable support and guidance given by the members of the Board from time to time. I would also like to place on record my sincere gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, State Governments/ UT Administrations, State Channelising Agencies (SCAs), Regional Rural Banks (RRBs), Public Sector Banks (PSBs), Sector Skill Councils (SSCs), other concerned Government Agencies, officials of the C.&A.G. of India and Department of Public Enterprises.

I am confident that the Corporation would continue to serve Divyangjan and extend the coverage in future with the guidance of the Board, valuable inputs of our esteemed stakeholders, commitment and support of employees of the Corporation.

With best wishes,

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Date: 23rd September, 2022
Place: New Delhi

BOARD'S REPORT

Dear Members,

Your Directors are pleased to present the 25th Annual Report on operations of your Corporation together with the audited financial statements for the period from 1st April, 2021 to 31st March, 2022 along with Auditors' report thereon.

1.1. INCORPORATION

National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) was promoted by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India on 24th January, 1997. The Company is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 as a Company not for profit. It is wholly owned by Government of India. The Company is managed by Board of Directors nominated by Government of India.

1.2. MAIN OBJECTS OF THE CORPORATION

The main objectives of the Corporation are:

1. To promote economic developmental activities for the benefit of the handicapped persons.
2. To promote self-employment and other ventures for the benefit/ economic rehabilitation of the handicapped persons.
3. To assist, subject to such income and/or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, the handicapped individuals or groups of handicapped individuals by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects.
4. To grant concessional finance in selected cases for the handicapped persons in the country in collaboration with Government Ministries/ Deptts. at State level to the extent of the budgetary assistance granted by the Government of India to the company.
5. To extend loans to the handicapped for pursuing general/ professional/ technical education for training at graduate and higher levels.
6. To assist in the upgradation of technical and entrepreneurial skills of handicapped persons for proper and efficient management of production units.
7. To set up training, quality control, process development, technology, common facility centres and other infrastructural activities for the proper rehabilitation/ upliftment of the handicapped persons in support of their economic pursuits.
8. To assist the State level organisations to deal with the development of the handicapped persons by way of providing financial assistance and in obtaining commercial funding or by way of refinancing.
9. To work as an apex institution on the lines of National Scheduled Castes & Scheduled Tribes Finance and Development Corporation for channelising the funds through State Finance Corporations for the Handicapped or through corresponding Corporations authorised by State Govts./Boards set up by Union Government/State Government/ Union Territory Administrations and Voluntary Organisations. The NHFDC will receive proposals for financial assistance through above mentioned

organisations and sanction loans and margin money to the beneficiaries for disbursement through these organisations. The NHFDC will also coordinate and monitor the schemes/ programmes implemented through authorised State Finance & Development Corporations/Boards/UT Administration and NGOs, financed by the Corporation.

10. To assist self-employed individuals/group of individuals or registered factories/ companies/co-operatives of disabled persons in marketing their finished goods and assist in procurement of raw materials.

1.3. REGISTERED OFFICE

The Registered Office of the Corporation is at Red Cross Bhavan, Sector -12, Faridabad, Haryana-121007.

1.4. CORPORATE OFFICE

The Corporate Office of the Corporation is at Unit-11 & 12, F-79 & 80, Ground Floor, DLF Prime Tower, Okhla Phase-1, New Delhi-110020.

1.5. SHARE CAPITAL

As on 31st March, 2022, the Authorized share capital of the Corporation was Rs.499.50 Crores. The paid-up share capital of the Corporation as at 31st March, 2022 was Rs. 399.99 Crores divided into 39,99,910 nos. of equity shares of Rs. 1,000/- each (fully paid-up). The entire equity of the Corporation is held by Government of India.

1.6. EQUITY SUPPORT FROM GOVERNMENT OF INDIA

During the financial year 2021-22, the Corporation did not receive any Equity support from Government.

1.7. ELIGIBILITY CRITERIA FOR ASSISTANCE FROM CORPORATION

The Eligibility criterions for financial assistance from the Corporation are as under:

Any person with disability who fulfills the following criteria is eligible to apply for financial assistance under NHFDC scheme –

a) Any Indian citizen with 40% or more disability (Disability as defined in R.P.W.D. Act, 2016 as amended from time to time).

b) Age above 18 years. However, in case of persons with mental retardation, the eligible age would be above 14 years. The age criteria would not be required for educational loans.

1.8. SCHEMES OF THE CORPORATION

The Corporation has framed various schemes involving credit based as well as non-credit based activities for the benefit of Persons with Disabilities (PwDs). Salient features of schemes of the Corporation are as under:

1.8.1. CREDIT/LOAN BASED ACTIVITIES

NHFDC offers loan assistance at concessional rate of interest loans on convenient terms to all eligible Indian Citizens meeting the eligibility criteria. Details of loan assistance, interest rate and repayment period under various schemes are as under:

Sl. No.	Scheme	Max. loan (Rs. in lakhs)	Interest rate payable by Beneficiary	Maximum Loan Repayment Period
1.	Divyangjan Swablamban Yojana (DSY)	50.00	5-9% p.a. #	10 years
2.	Vishesh Microfinance Yojana (VMY) Loan @ Rs. 60,000/- per Member (Through PwD SHG's etc.) for any purpose.	Rs. 60,000/- per PwDs	12.50% p.a.	3 years

 # For Education Loan : Rate of interest will be 4% p.a. A rebate of 1% in interest rate is allowed to women with disabilities/persons with disabilities other than OH in self-employment loans (not for Education Loan) upto Rs.50,000/- under Divyangjan Swablamban Yojana . The rebate is borne by NHFDC.

1.8.2. IMPLEMENTING AGENCIES

Funds of the Corporation are channelized through various agencies which are as under;

a) State Channelizing Agencies (SCAs)

State Channelizing Agencies (SCAs) are nominated by concerned State/UT Government for implementation of NHFDC schemes for the benefits of Persons with Disabilities (PwDs) in respective State/UT. These Agencies play a key role in implementation of schemes of the Corporation for the benefit of the target group in the State/U.T.

Loans under Vishesh Microfinance Yojana are chanelised through NBFC- MFI, Section-8-MFI, NGO-MFI, SHG Federations, State Channelising Agencies, Cluster Level Federations, State Government Missions and other State level organizations.

The list of State Channelizing Agencies of the Corporation in different States/ UTs as well as agencies implementing Vishesh Microfinance Yojana (VMY) is at **Annexure-A**.

b) Public Sector Banks / Regional Rural Banks / Other Implementing Agencies

Funds are also channelized through Public Sector Banks/Regional Rural Banks/ Other Implementing Agencies, with which NHFDC has entered into agreement for extending financial assistance to Persons with Disabilities. Particulars of these implementing agencies is at **Annexure-B.**

1.8.3. FUNCTIONING OF IMPLEMENTING AGENCIES

The contributions of the implementing agencies in disbursement of loans to the target group under schemes of the Corporation vary widely. The off-take of loan depends on various key factors like, repayment of dues, utilization of loan, availability of Government Guarantee cushion etc.

The Corporation follows up on issues concerning above key factors with the State Government Authorities and the concerned Implementing Agency from time to time so that the flow of funds for the benefit of the target group is maintained. To speed up the lending process, the Corporation notionally allocates funds to the Implementing Agencies for being used for DSY. Upto 50% of the allocate funds are released to the Implementing Agency on its request, as advance funding. The Corporation notionally allocate funds to

the implementing agencies and released 50% of the funds to the implementing agencies, as per their request, as Advance funding so as to speed up the lending process.

The performance/contribution of the implementing agencies in disbursement of loan during the financial year under report, notional allocation made for these agencies are at **Annexure-C.**

The Corporation follows up with the implementing agencies for utilization details in respect of the loans released. The percentage of funds utilised by different agencies, i.e., the actual funds disbursed to the end beneficiaries is at **Annexure-D.**

1.8.4. NON CREDIT BASED ACTIVITIES

NHFDC sources grants from various corners in order to provide educational, skilling and marketing connect to its stake holders. The Corporation also chips in to some extent from its own funds in supporting some of the activities indicated below.

1.8.4.1. SOURCING OF FUNDS FROM VARIOUS SOURCES FOR SKILL & ENTREPRENERIAL DEVELOPMENT OF PwDS

In order to expand its outreach in the mammoth task of skilling of PwDs for job market (employment / self vocation), the Corporation has been sourcing funds under CSR programme of other CPSEs as well as under SIPDA Scheme of DEPwD for imparting Skill Training to PwDs.

Skill training is imparted to the target group through Micro Skilling Centre (Swavalamban Kendras), NHFDC Centre at NCSCDA, Delhi (earlier VRCH) and at Smart Centres of reputed Organisations.

Till date, the Corporation has organised Skill trainings in **31** States/ UTs covering **89731** Persons with Disabilities. During the financial year 2021-22, Skill development training was sanctioned in **03 States** covering **486** Persons with Disabilities.

Details of skill trainings sanctioned/organized for the benefit of PwDs during the financial year 2021-22 is at **Annexure-E.**

1.8.4.3. SKILL TRAINING CENTRES

Skill up-gradation is essential for successful running of an organization/ vocation in the competitive market conditions. Hence, special emphasis is attached to skill training of the target group.

In order to ensure Quality Skill training of PwDs, the Corporation provided loan assistance to enterprising PwDs for setting up Skill Training Centre on pilot project basis. Such centres can also be utilized for various other economic activities. As on 31st Mach, 2022, the Corporation has extended loan assistance for establishment of 19 such centres covering 18 districts.

During the year under report, loan has been extended for five (5) such Micro Skilling Centers (Swavalamban Kendras) were established at Dausa (Distt-Bharatpur - Rajasthan), Dantevara and Balod (Chhattisgarh), Tikamgarh (Madhya Pradesh), Rudrapur (Uttarakhand).

1.8.4.4. AWARENESS CREATION & MARKETING SUPPORT

a) Awareness Creation – Expenditure thereof

Awareness about schemes of the Corporation amongst the PwDs is of utmost importance. The Corporation effectively uses social media platform for Awareness creation about its schemes for PwDs. The Corporation participates in various events organized by the Administrative Ministry, NGOs etc. and disseminates information about its schemes.

Further, the Corporation provides grants support to implementing agencies to encourage awareness creation at local level. An amount upto Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) or 0.10% of the amount disbursed by the implementing agency in the immediately preceding financial year, whichever is higher, is provided by the Corporation to the implementing Agencies per year for meeting the expenditure towards awareness creation.

b) Marketing Support : Facilitating participation in Trade Fairs, etc.

The Corporation assists self-employed Persons with Disabilities in marketing their finished goods in various exhibitions like; Surajkund Mela, IITF, Dilli Haat etc.

In addition, the Corporation has taken the initiative to support the PwD entrepreneurs in the form of aggregation of their products/services and using existing online platform to market the same. Thus, some of the products made by PwDs are now available on leading e-marketing platforms.

1.8.4.5. HANDHOLDING SUPPORT TO PwDs THROUGH 'VISHESH UDYAMI MITRAS'

The Corporation aims at bridging the gap between the Persons with Disabilities and the source of financial assistance. The main objective of the Scheme is to provide assistance to the needy disabled persons in form of information, support, guidance for procedural/ documentation formalities required for availing concessional credit under NHFDC schemes through State Channelizing Agencies/ Regional Rural Banks by various Institutions/ Agencies individuals i.e. **'Vishesh Udyami Mitras'** for setting up and running of the enterprise.

2. DEVELOPMENTS DURING FINANCIAL YEAR

Corporation had taken certain important decisions, which are summarized as follows:

i) Reduction in rate of interest for Education loan

Rate of interest on education loan has been reduced to 4% p.a.

ii) Repayment period under education loan

The repayment period under Education loan shall be coterminous with the repayment period sanctioned by the Implementing agency.

iii) Relief in case of Death of Beneficiary (PwD) during the currency of loan

The Corporation has decided to waive off the interest (NHFDC par) in the event of death of beneficiary (PwD) during the loan tenure. The waiver of interest would be allowed with effect from date of death of the beneficiary.

3. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the conservation of energy, technology absorption, foreign earnings and outgo.

4. PARTICULARS OF EMPLOYEES

During the Financial Year 2021-22, no employee of your company received remuneration in excess of the limits prescribed under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

5. ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 134(3)(a) and Section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Return of the Company as on March 31, 2022 is available on the Company's website at the link http://www.nhfdc.nic.in/ about-nhfdc/Annual%20Return.

6. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Board of Directors state that:

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and;

e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

7. AUDITORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22

M/s. Grover, Lalla & Mehta, Chartered Accountants, New Delhi had been appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the financial year 2021-22 by Comptroller and Auditor General of India vide letter No. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, HANDIF(1)/462 dated 19.08.2021.

The Statutory Auditors have audited the financial statements of the Company for the financial year 2021-22. Management's replies on observations/ qualifications in the report of statutory auditors are annexed to this report at **Annexure-F**.

8. CONTRACT OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES

During the year under reference, the Corporation did not enter into any related party transaction within the meaning of Section 188 of the Companies Act, 2013.

9. EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES, SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES

a) The information pertaining to representation of Persons with Disabilities in the employment of the Corporation as at 31.3.2022 is at **Annexure-G** to this report.

b) The information pertaining to representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes in the corporation as at 31.3.2022 is at **Annexure-H** to this report.

10. DISCLOSURE REGARDING MAINTENANCE OF COST RECORDS

Maintenance of cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company.

11. APPOINTMENT/RESIGNATION OF DIRECTORS OR KEY MANAGERIAL PERSONNEL DURING THE YEAR.

Particulars of appointments/resignation etc. in Directorship or Key Managerial Personnel during the financial year 2021-22 were as under;

Sl. No	Name	Designation	Nature of Change	Notification / order of Government, if any
1.	Dr. Jawaharlal Zongluzu	Director	Appointed as Director w.e.f. 7th January, 2022	DEPwD, M/o SJ&E, GoI Notification No. 3-7/2004-DD-IV-A (Sch) dated 26th November, 2021.
2.	Dr. Priya Sheel Hada	Director		
3.	Shri D.R. Sarin	Director	Ceased to be Director w.e.f. 1st January, 2022	DEPwD, M/o SJ&E, GoI O.M. No. Z-11017/52/2020-DD-1 dated 3rd Dec., 2021.

12. DEPOSITS

During the financial year under consideration, the Corporation has not accepted any deposits from the Public.

13. MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

Management Discussion and analysis regarding disability sector and operations of the Corporation is at **Annexure-I.**

14. BOARD MEETINGS

Four (4) meetings of Board of Directors of the Corporation were held during the financial year 2021-22. The intervening gap between any two meetings was within the period prescribed by the Companies Act, 2013.

15. HUMAN RESOURCES

A) MANPOWER

As at 31st March, 2022, there were 35 employees against sanctioned strength of 39**.** Employees of the Corporation at different levels as on 31.03.2022 were as under:

Employee Group	Sanctioned Post	Filled post	Vacant
A	14	13	01
B	03	01	02
C	22	21	01
Total	**39**	**35**	**04**

B) RECRUITMENTS & ATTRITIONS

During the year under report, one employee left the Corporation on 22nd November, 2021 and no employee has been recruited by the Corporation.

C) INFORMATION PURSUANT TO THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has followed the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Rules made thereunder.

The Corporation has constituted 'Internal Complaints Committee' pursuant to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Further, it is informed that no case of harassment of women at workplace was reported during the period under report.

16. RAJBHASHA IMPLEMENTATION

The Corporation encourages the use of Rajabhasha in office works. Hindi Mah (Month) was celebrated in the Corporation in September, 2021 and various competitions were organized during the Month.

During the year under report, many documents/letters of your Corporation were translated into Hindi. Quarterly meetings of Official Language Implementation Committee of your Corporation had been held and the progress made in the use of Rajbhasha was reviewed at these meetings.

All printed materials about the schemes of the Corporation for the benefit of Persons with Disabilities were published in Hindi. The website of the Corporation (www.nhfdc.nic.in) is maintained both in Hindi and English.

17. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Directors of your Corporation believes in transparency, accountability and integrity in respect of affairs of the Corporation. The Corporation has adopted the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE).

The Corporation has received a certificate issued by an independent firm of Company Secretaries in respect of compliance of Guidelines of Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprises. The same is at **Annexure-J.**

18. ACHIEVEMENT IN RESPECT OF MOU 2020-21 TARGETS

The overall achievement of the Corporation against MoU 2020-21 targets was rated as '**Very Good**' in the scale of five (Excellent, Very Good, Fair and Poor).

19. VIGILANCE AWARENESS WEEK

NHFDC organized the Vigilance Awareness Week from 26th October to 1st November, 2021. The theme of the week was "Independent India @75 : Self Reliance with Integrity".

20. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

The Corporation is registered as a Company under Section 25 of the Companies Act, 1956 (corresponding to provisions of Section 8 of Companies Act, 2013) and working as an Apex Corporation for empowerment of Persons with Disabilities (PwDs) in the country.

The Corporation has been instrumental in implementing CSR projects/ funds of other CPSEs. A report on CSR grants by the Corporation is at **Annexure-K.**

21. FINANCIALS AT A GLANCE

Important financial parameters of the Corporation for financial year 2021-22 are as under;

Sl.	Particulars	Amount (Rs. Crores)
i)	Income from Operations	10.65
ii)	Other Income	4.00
iii)	Total Income	14.65
iv)	Total expenses	8.45
v)	Surplus	6.20

22. BOARD COMPOSITION AND DIRECTORS

The affairs of the Corporation are managed by the Board of Directors. The Board composition of the Corporation as on 31st March, 2022 is at **Annexure–L.**

The right to fill any vacancy in the office of a Director caused by retirement, removal, resignation, death or otherwise vests with the President of India.

23. ANNUAL GENERAL MEETINGS OF THE CORPORATION

Particulars of last 3 (three) Annual General Meetings of the Corporation are at **Annexure–M**.

24. ATTENDANCE OF DIRECTORS AT BOARD MEETING

The particulars regarding attendance of Directors at Board meetings held during the financial year 2021-22 is as follows:

Sl. No.	Name of Director	No. of Board Meeting held during the tenure (in 2021-22)	No. of Board Meeting attended
1.	Shri Rajan Sehgal	4	4
2.	Shri Sanjay Pandey	4	3
3	Shri Kishor Baburao Surwade	4	3
4.	Shri D. R. Sarin	3	1
5.	Dr. Alka Sharma	4	2
6.	Shri Mitesh Sinha	4	4
7.	Dr. Priyanka Chaudhry	4	-
8.	Dr. Jawaharlal Zongluzu	1	1
9.	Dr. Priya Sheel Hada	1	1

25. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Corporation intends to make its website rich in content/information so that the information is disseminated to general public.

The Corporation believes in transparency in its workings. The Corporation takes a liberal view while dealing with RTI application and wherever application is received without any application fee or other defect(s), the Corporation educates the applicant for making the application properly so that information can be furnished to him.

Also, particulars of applications received, rejected, responded, appeals made etc. are updated on the website of the Corporation www.nhfdc.nic.in pursuant to DOPT O.M. No. 4/10/2011-IR dated 18.5.2011.

The Corporation also uploads information pertaining to RTI applications in specified format with CIC website www.cic.gov.in on quarterly basis. Particulars of RTI applications received during 2021-22 are at **Annexure-N.**

26. FEEDBACK MECHANISM

The Corporation solicits queries from the target group and the General public on matters concerning various schemes and has made provisions for the same in its website. In this process, the Corporation would identify major issues, information requirement of the general public and the target group and take the same into account for continuous improvement in its operations.

27. ACKNOWLEDGMENTS

Your Directors would like to place on record their gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.

Your Directors sincerely appreciate the significant contribution made by the Directors on the Board and also the Directors who completed their terms during the financial year under review.

Your Directors would also like to place on record their appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employees at all level to ensure that the Company continues to grow and excel.

We are also grateful to the Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Department of Public Enterprises, State Governments/ UT Administrations, State Channelising Agencies (SCAs), Regional Rural Banks (RRBs), Public Sector Banks (PSBs), Sector Skill Councils (SSCs) and other concerned Government Agencies for their support and cooperation in achieving the objective of the Corporation. We are also thankful to the Auditors, Bankers and all others who have extended their support to the Corporation.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Date : 23 September, 2022
Place : New Delhi

Annexure - 'A'

STATE CHANNELISING AGENCIES OF THE CORPORATION

Sl.	State/UT	State Channelising Agency
1.	Andaman and Nicobar Islands (General Loan Agreement is yet to be executed)	Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd., Vikas Bhawan, Post Box No.180 Port Blair, A&N – 744101
2.	Andhra Pradesh	Andhra Pradesh Differently Abled & Senior Citizens Assistance Corporation, D. No-74-14-2, 1st Floor, Raja Narendra Building, Krishna Nagar, Yanamalakuduru Road, Vijayawada-520007(A.P.)
3.	Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh State Co-operative Apex Bank Ltd. P.O. & T. Naharlagun "D" Sector, District: Papum Pare, Arunachal Pradesh-791110
4.	Assam	The Assam Cooperative Apex Bank Ltd., Pan Bazar, Guwahati-781001.
5.	Bihar	Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation, 4th Floor, Sone Bhawan, Birchand Patel Marg, Patna-800001(Bihar)
6.	Chandigarh	Chandigarh Child & Women Development Corporation Limited, Town Hall Building, 3rd Floor, Sector-17C, Chandigarh-160017
7.	Chhattisgarh	Chhattisgarh Nishakat-Jan Vitt Avam Vikas Nigam An Undertaking of Social Welfare Deptt., Old DRDA Bhawan, Collectorate Parisar, Raipur -492001 (Chhattisgarh)
8.	Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu (General Loan Agreement is yet to be executed)	Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu SC/ST, OBC and Minorities Financial and Development Corporation Limited., 2nd Floor, Right Wing, P.W.D. Complex, Dadra & Nagar Haveli, SILVASSA-396230
9.	Delhi	Delhi SC/ST/OBC, Minorities, Handicapped Financial & Development Corporation Ltd. Ambedkar Bhavan, Institutional Area, Sector-XVI, Rohini, New Delhi-110085
10.	Goa	Goa State Scheduled Castes and OBCs Finance and Development Corporation Ltd., 4th Floor, Patto Centre, Near Kadamba Bus Stand, Panaji – 403001 (Goa).
11.	Gujarat	Gujarat State Handicapped (Divyang) Finance and Development Corporation, 6th,Block No-1, Wing-1, Karmayogi Bhawan, Gandhinagar, Gujarat
12.	Haryana	Haryana Backward Classes & Economically Weaker Section Kalyan Nigam Ltd., S.C.O. No. 813-14, Sec-22A, Chandigarh-160022.
13.	Himachal Pradesh	H.P. Minorities Finance & Development Corporation, S.D.A. Complex, Block No. 38, 1st Floor, Kasumpti, Shimla – 171009.

Sl.	State/UT	State Channelising Agency
14.	Jammu & Kashmir	Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation Ltd., SDA Colony, Bemina, Srinagar - 190018 (from May to October) 615-A, Gandhi Nagar, Jammu-180012 (from November to April)
		J&K SC, ST, OBC Development Corporation Ltd., Exchange Road, Near Red Cross, Dharamnath Trust, Council, Srinagar - 190001 (from May to October) 715-A, Last Mode, Gandhi Nagar, Jammu -180004 (from November to April)
15.	Jharkhand	Jharkhand State Tribal Co-operative Development Corporation Ltd., Balihar Road, Morabadi, Ranchi –834004
16.	Karnataka	Dept. for the Empowerment of Differently Abled and Senior Citizens, Podium Block, Vishveswaraiah Tower, Dr. Ambedkar Road, Bangalore-560001
17.	Kerala	Kerala State Handicapped Persons Welfare Corporation Ltd., T.C. 17/230(1) Juvenile Home Compound, Poojappura, Thiruvananthapuram – 695012.
18.	Lakshadweep	Lakshadweep Khadi and Village Industries Board, Kavaratti – 682555, Union Territory of Lakshadweep.
19.	Madhya Pradesh	M.P. Pichra Varg Tatha Alpsankhayak Vitta Aivam Vikas Nigam, Rajiv Gandhi Bhawan, 1st Floor, 35, Shyamla Hills, Bhopal –462002.
		Madhya Pradesh Rajya Sahkari Anusuchit Jati Vitta Aivam Vikas Nigam Ltd., Rajiv Gandhi Bhawan, 35, Shyamla Hills, Bhopal – 462002.
		Madhya Pradesh AdivasiVittEvamVikas Nigam, 35, Shyamla Hills, Rajiv Gandhi Bhawan, Bhopal –462002.
		Madhya Pradesh Viklang Kalyan Avam Vikas Samiti, 1250, Tulsi Nagar, Bhopal – 462003
20.	Maharashtra	Maharashtra State Handicapped Finance & Development Corporation Ltd., Room No. 74, Maharashtra Housing Board Building, Ground Floor, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai, Maharashtra – 400051
21.	Manipur (General Loan Agreement is yet to be executed)	The Manipur State Co-operative Bank Ltd, Imphal Assembly Road , Imphal West Manipur 795001.
22.	Meghalaya	The Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd, Mahatma Gandhi Road, Shillong – 793001.
23.	Mizoram	Mizoram Rural Bank, Head Office, B-5, BabuTilla, Zarkawt, Aizwal, Mizoram-796001
24.	Nagaland	Department of Social Security & Welfare, Nagaland Civil Secretariat, Government of Nagaland, Kohima–797001.

Sl.	State/UT	State Channelising Agency
25.	Odisha	Social Security & Empowerment of Persons with Disability Department, SIDR Building, Capital Hospital Campus Unit-6, Bhubaneshwar-751001
26.	Puducherry	Puducherry Corporation for Development of Women and Differently Abled Persons Ltd., No. 30, Second Cross, Ponnagar, Reddiar Palayam, Puducherry- 605010
27.	Punjab	Punjab SC Land Finance & Development Corpn. SCO No. 101-103, Sector-17C, Chandigarh-160017
28.	Rajasthan	Rajasthan S.C. & S.T. Finance & Development Co-operative Corporation Ltd, Nehru Sahakar Bhawan, Central Block, IIIrd Floor, Bhawani Singh Marg, Jaipur – 382001
29.	Sikkim	Sikkim SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd., Sonam Tshering Marg, Gangtok, Sikkim – 737101
30.	Tripura	Tripura Scheduled Caste Co-operative Development Corporation Ltd, P.O. Lake Chowmuhani, Krishna Nagar, Agartala, West Tripura – 799001
31.	Tamil Nadu	Tamil Nadu State Apex Cooperative Bank Limited, No. 4 (Old No. 233), Netaji Subash Chandra Bose Road, Chennai – 600001.(T.N.)
32.	Uttarakhand	Uttarakhand Bahuudeshiye Vitta Evam Vikas Nigam Ltd., Directorate Tribal Welfare Campus, Saheed Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand

OTHER AGENCIES : LOAN UNDER VISHESH MICROFINANCE YOJANA (VMY)

1.	Andhra Pradesh	Stree Nidhi Credit Co-operative Federation, 2nd Floor, NTR Administrative Block, RTC Complex, Vijayawada, Andhra Pradesh – 520013
2.	Telangana	Stree Nidhi Credit Co-operative Federation, 4th Floor, 401 & 402, My Home Sarovar Plaza, 5-9-22/B, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad, Telangana - 500004
3.	Delhi	NHFDC Foundation, Unit No. 11 & 12, Ground Floor, DLF Prime Tower, Okhla Phase-1, New Delhi - 110020

Sd/-

(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure-'B'

PUBLIC SECTOR BANKS/REGIONAL RURAL BANKS CHANNELIZING FUNDS OF THE CORPORATION

Sl. No.	Name & Address of RRBs/ PSBs
1.	Assam Gramin Vikash Bank, G.S. Road. Bhangagarh, Guwahati-781005 Assam
2.	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, H. No.2-5-8/1, Ram Nagar, Hanmakonda – 506001, Warangal (City & Dist.), Telangana State.
3.	Baroda Gujarat Gramin Bank, 3rd / 4th Floor, Suraj Plaza – 1, Sayajiganj, Vadodara – 390005, Gujarat
4.	Saurashtra Gramin Bank, Wing-2, 1st Floor, LIC Jeevan Prakash Building, Tagore Road, Rajkot – 360001, Gujarat
5.	Sarva Haryana Gramin Bank SHGB House, Plot No. 1, Sector 3, Rohtak-124001, Haryana
6.	Jharkhand Rajya Gramin Bank, Head Office: Market Place, 3rd Floor Zila Parishad Bhawan Ranchi – 834001 (Jharkhand)
7.	Kerala Gramin Bank, Credit Wing, Head Office, KGB Tower, AK Road, Malappuram, Kerala-676505
8.	Madhyanchal Gramin Bank, Poddar Colony, In front of Girl's Polytechnic College Hostel, Tili Road, Sagar-470002, Madhya Pradesh
9.	Madhya Pradesh Gramin Bank, Head Office:- C-21, Business Park, C-21 Square, Opp. Hotel Radission Blue, MR-10, Indore-452001, Madhya Pradesh
10.	Vidharbha Konkan Gramin Bank, Head Office -2nd and 3rd Floor, "Chandraprastha", Plot No. 6, Deendayal Nagar, Ring Road, Nagpur-440022
11.	Maharashtra Gramin Bank, Head Office, Plot No: 42, Gut No: 33, Golwadi Village, Growth Centre, Waluj Mahanagar IV, CIDCO, Aurangabad (Maharastra) - 431010
12.	Punjab Gramin Bank, Head Office, Jalandhar Road, Kapurthala, Punjab
13.	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur (U.P.)- 273018
14.	Tripura Gramin Bank, Airport Road, Abhaynagar, Agartala – 799005,Tripura
15.	Aryavart Bank, A-2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow -226010
16.	Prathama U.P. Gramin Bank, Prathama Bhawan, Ram Ganga Vihar Phase-II, Post Box No. 446, Moradabad-244001
17.	Uttarakhand Gramin Bank, 18 New Road, Dehradun – 248001
18.	IDBI Bank, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400005.
19.	Punjab National Bank, Wing- B, 4th Floor, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
20.	Bank of Baroda, Baroda Corporate Centre, Plot No - C-26, G - Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051
21.	Union Bank of India, Union Bank Bhawan,239,Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point Mumbai-400021,Mahrashtra
22.	North Eastern Development Finance Corporation Limited. "NEDFi House", G. S. Road, Dispur, Guwahati-781006, Assam

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure-'C'

Agency wise Loan Off-take during Financial Year 2021-22

(Amount in Rs. Crore)

Sl. No.	Name of SCAs/ State	Notional Allocation	Loan Off-take
1.	Andhra Pradesh Differently Abled & Senior Citizens Assistance Corporation, Andhra Pradesh	4.21	NIL
2.	Andaman and Nicobar Islands Integrated Dev. Corpn., Andaman and Nicobar	0.20	NIL
3.	Assam Cooperative Apex Bank, Assam	6.55	NIL
4.	Arunachal Pradesh Co-operative Apex Bank, Arunachal Pradesh	0.36	NIL
5.	Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation, Bihar	8.04	NIL
6.	Chandigarh Child & Women Development Corporation Limited, Chandigarh	0.20	0.02
7.	Chattisgarh Nishaktjan Vitta Aivam Vikas Nigam, Chattisgarh	8.28	2.05
8.	Delhi SC/ST/OBC, Minorities, Handicapped Financial & Development Corporation Ltd., Delhi	0.81	NIL
9.	Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu SC/ST, OBC and Minorities Financial and Development Corporation Limited. Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu	0.40	NIL
10.	Goa State Scheduled Caste and OBC Finance Development Corporation Limited, Goa	0.20	NIL
11.	Gujarat Minorities Finance & Development Corporation Limited, Gujarat	3.77	NIL
12.	Gujarat State Handicapped (Divyang) Finance and Development Corporation	3.77	3.77
13.	Haryana Backward Classes & Economically Weaker Section Kalyan Nigam, Haryana	13.09	13.09
14.	H.P. Minorities Finance & Development Corporation, Himachal Pradesh	4.00	5.00
15.	J&K State Women's Development Corporation, Jammu & Kashmir	5.00	5.00
16.	J&K SC, ST, OBC Development Corporation Ltd, Jammu & Kashmir	4.75	2.37
17.	Jharkhand Tribal Development Corporation, Jharkhand	2.66	1.00
18.	Department for the Empowerment of Differently Abled & Senior Citizen, Karnataka	4.57	NIL
19.	Kerala State Handicapped Persons Welfare Corporation Ltd., Kerala	45.04	22.52
20.	Lakshadweep Khadi and Village Industries Board, Lakshadweep	0.40	NIL

Sl. No.	Name of SCAs/ State	Notional Allocation	Loan Off-take
21.	M.P. Pichra Varg & Alpsankhayak Vitt Evam Vikas Nigam, Madhya Pradesh	1.34.	NIL
22.	M.P. Rajya Sahkari Anusuchit Jati Vitta Aivam Vikas Nigam, Madhya Pradesh	1.34	NIL
23.	M.P. Adivasi Vitt Evam Vikas Nigam, Madhya Pradesh	1.34	NIL
24.	M.P. Handicapped Welfare & Development Society, Madhya Pradesh	1.34	NIL
25.	Maharashtra State Handicapped Finance & Dev. Corpn., Maharashtra	10.23	NIL
26.	Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd, Meghalaya	0.70	0.50
27.	Manipur State Cooperative Bank(MSCB)	0.74	NIL
28.	Mizoram Rural Bank, Mizoram	0.21	0.21
29.	Department of Social Security & Welfare, Nagaland	0.40	NIL
30.	Mahila Vikas Samabaya Nigam, Orissa	4.29	NIL
31.	Pondicherry Corporation for Development of Women and Handicapped Persons Ltd., Pondicherry	0.20	NIL
32.	Punjab SC Land Finance & Development Corpn., Punjab	2.26	0.50
33.	Rajasthan S.C. & S.T. Finance & Development Cooperative Corporation, Rajasthan	10.15	12.00
34.	Sikkim SC, Tribes & OBC Development Corporation Ltd., Sikkim	1.00	0.50
35.	Tripura Scheduled Caste Co-operative Development Corporation Ltd, Tripura	1.00	NIL
36.	Tamil Nadu State Apex Cooperative Bank Limited, Tamil Nadu	30.00	30.00
37.	Uttarkhand Bahuudeshiye Vitta Aivam Vikas Nigam, Uttaranchal	0.64	NIL
38.	West Bengal Women Development Undertaking, West Bengal	6.96	NIL
	Regional Rural Banks (RRBs)		
1.	Assam Gram Vikas Bank	4.73	NIL
2.	Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank	7.55	NIL
3.	Baroda Gujarat Gramin Bank	4.88	NIL
4.	Saurashtra Gramin Bank	2.59	NIL
5.	Sarva Haryana Gramin Bank, Haryana	5.42	NIL
6.	Jharkhand Rajya Gramin Bank, Jharkhand	4.43	NIL
7.	Kerala Gramin Bank	6.34	NIL
8.	Madhya Pradesh Gramin Bank	8.66	0.70
9.	Madhyaanchal Gramin Bank	4.54	NIL
10.	Vidharbha Konkan Gramin Bank	3.56	NIL
11.	Maharashtra Gramin Bank	3.91	NIL
12.	Punjab Gramin Bank	4.19	0.44
13.	Aryavart Bank	13.67	0.98
14.	Baroda UP Bank	19.83	0.66
15.	Prathma UP Gramin Bank	7.06	NIL
16.	Uttarakhand Gramin Bank	2.86	NIL

Sl. No.	Public Sector Banks (PSBs)	Notional Allocation	Loan Off-take
1.	Bank of Baroda	5.00	Nil
2.	IDBI Bank	5.00	0.30
3.	Punjab National Bank	5.00	0.10
Direct Funding (Pilot Projects)			
1.	Direct Funding	-	0.83
Loan under Vishesh Microfinance Yojana (VMY)			
1.	Stree Nidhi Credit Co-operative Federation, Andhra Pradesh	-	Nil
2.	Stree Nidhi Credit Co-operative Federation, Telangana	-	10.00
3.	NHFDC Foundation, Delhi	-	0.16
	Total		**112.75**

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure-'D'

UTILIZATION OF LOANS BY IMPLEMENTING AGENCIES
(Cumulative upto 31.03.2022)

Sl.	SCAs/PSBs/ RRBs	Utilization %
1.	Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Finance & Development Corporation, Delhi	95.52
2.	Gujarat Minorities Finance & Development Corporation (GMFDC), Gujarat	99.90
3.	Haryana B. C. & Economically Weaker Section Kalyan Nigam (HBCEWSKN), Haryana	99.41
4.	Jammu & Kashmir SCs, STs, OBs Development Corporation (JKSCSTOBC), Jammu & Kashmir	88.73
5.	Jharkhand State Tribal Co-operative Development Corporation (JSTCDC), Jharkhand	98.08
6.	Kerala State Handicapped Persons Welfare Corporation (KSHPWC), Kerala	84.34
7.	Lakshadweep Khadi & Village Industries Board (LKVIB), Lakshadweep	98.14
8.	Mizoram Rural Bank (MRB), Mizoram	91.47
9.	Punjab SC Lands Finance & Development Corporation, Punjab	97.84
10.	Rajasthan S.C. & S.T. Development Coop. Corporation (RSCSTDCC), Rajasthan	79.43
11.	Sikkim SC, ST and Other Backward Classes Development Corporation Ltd., Sikkim	96.64
12.	Tripura Scheduled Caste Co-operative Dev. Corporation Ltd. (TSCC-OPDC), Tripura	70.11
13.	Kerala Gramin Bank,(KGB),Kerala	86.64
14.	Stree Nidhi Credit Cooperative Federation Ltd., Andhra Pradesh	100.00
15.	Stree Nidhi Credit Cooperative Federation Ltd., Telangana	100.00
16.	NHFDC Foundation, Delhi	51.04
Total		**96.30**

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure-'E'

SKILL & EDP TRAINING SANCTIONED/ ORGANISED DURING 2021-22

Sl.	State	Trade Name	No. of Trainees
1.	Haryana	CRM Domestic Non-Voice	12
		Retail Sales Associates	104
2.	Madhya Pradesh	Retail Sales Associates	87
3.	Uttar Pradesh	Domestic Data Entry Operator	72
		Self Employed Tailor	90
		Retail Sales Associates	121
		Total	**486**

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure-'F'

MANAGEMENT'S REPLIES ON KEY AUDIT MATTERS IN THE REPORT OF AUDITORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22

Para 4	Key audit matters by Auditor	Explanation/Comments of Management
i.	We have observed that corporation has sent year-end balance confirmation letters to SCAs, RRBs and other Implementing Agencies for the year 2021-22. Out of which some of implementing agencies are yet to confirm their balances. Moreover, there was an unidentified difference of Rs.50.19 lakhs in the balances confirmed by some of the Implementing Agencies, impact, if any, cannot be verified.	NHFDC requests all implementing agencies to share balance confirmation as on year end. The same are received and updated in records. Difference/ mismatch in balances pertains to a few implementing agencies and have been already identified. Records of NHFDC are being shared with implementing agencies for necessary corrections/ reconciliation. Corporation reconciles differences of balances with implementing agencies on regular basis.
ii.	The Corporation receives CSR grants as an implementing agency, from various Public Sector undertaking. The Corporation is maintaining only single account for CSR grants received. Project wise and party wise CSR grant is not maintained. In the absence of such details, we are unable to verify/ comment on the party wise utilization /non-utilization. As on 31.03.2022 there are unreconciled/ unutilized CSR funds amounting to Rs. 633.38 lakhs, which cannot be verified.	The Corporation furnishes utilization certificate(s) to concerned Donor organization/ other CPSEs from time to time in respect of Grant funds received by it. As far as the matter of internal reconciliation of the CSR Grant accounts between the program division and the finance division is concerned, accounts of 24 donor organisations out of total 25 such donors have been reconciled. Further, a firm of Chartered Accountants has been appointed to prepare party wise/ grant wise accounts in Tally in respect of entire grant funds. In addition to the above, an independent firm of Chartered Accountants has already been assigned the responsibility to audit the party wise/grant wise accounts (to be prepared, as stated above).
iii.	The Corporation has received grant from Government of India under the project for skill development for Divyangjans under the National Action Plan under SIPDA. As required under the terms and conditions of Grant, Statement of Accounts of the Project comprising receipt and payment statement, income and expenditure statement and Balance Sheet is not being prepared and thus not provided to us for verification. The Corporation is not maintaining scheme wise account/ details of these grants. In the absence of such details, we are unable to verify / comment on the scheme wise utilisation / non-utilisation of these grants received. As on 31.03.2022, there was an unreconciled / unutilized SIPDA grant fund amounting to Rs. 847.89 lakhs, which cannot be verified.	

Para 4	Key audit matters by Auditor	Explanation/Comments of Management
iv.	Inter-department reconciliation is pending of advance fund with implementing agencies, where Utilisation Certificates (UC) of advance fund have been received but no adjustments in Loan Ledgers have been made. Necessary adjustments in Loan/ Interest needs to be effected, impact, if any, cannot be verified.	The Corporation started raising demands through loan accounting software since F.Y. 2019-20. Some issues concerning rate of interest in respect of ledger folios are likely to have cropped up in the process of migration from manual to computerised system. The observation of Auditors is noted. Necessary actions are being carried out in this regard.

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure-'G'

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY AS ON 31.03.2022

Group	Number of Employee					DIRECT RECRUITMENT									PROMOTION								
						No. of Vacancies reserved				No. of Appointments Made during the year 1.4.2021 to 31.3.2022					No. of Vacancies Made				No. of Appointment Made				
	Total	VH	HH	OH	MR/ MD	VH	HH	OH	MR/ MD	Total	VH	HH	OH	MR/ MD	VH	HH	OH	MR/ MD	Total	VH	HH	OH	MR/ MD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	13	--	1	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C	21	--	1	1	--	--	*1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Total	35	--	2	1	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note:

(i) VH stands for Visually Handicapped (Persons suffering from blindness or low vision).

(ii) HH stands for Hearing Handicapped (Persons suffering from hearing impairment).

(iii) OH stands for Orthopedically Handicapped (Persons suffering from locomotor Disability or Cerebral Palsy).

(iv) MR stands for Mentally Retarded and MD stands for Multiple Disability.

* Post reserved for HH category has been filled by candidate belonging to HH category against U/R category.

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure-'H'

REPRESENTATION OF SCs, STs, AND OBCs AS ON 31.03.2022

Group	Number of employees				Number of Appointment made during the previous Financial year (01.04.2021 - 31.03.2022)									
					By Direct Recruitment				By Promotion			By other Methods		
	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A	13	01	--	03*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Group B	01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Group C	21	03#	01	05*		--	--		--	--	--	--	--	--
Total	**35**	**04**	**01**	**08**	**--**	**--**	**--**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Note:

(i) SCs stands for Scheduled Castes.

(ii) STs stands for Scheduled Tribes.

(iii) OBCs stands for Other Backward Classes.

One employee in group C belonging to SC category have been recruited in U/R category.

* One employee in each group A & C belonging to OBC category has been recruited in U/R category.

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure-'I'

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. DISABILITY SECTOR

India is one of the signatories to United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Hence, Government of India is committed to positively address the issues concerning the Persons with Disabilities (PwDs) in the country.

Government of India has created a separate Department, i.e., Department for Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) in 2012. Further, 'The Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016' has been enacted replacing the earlier PwD Act, 1995. The RPwD Rules, 2017 have also been notified on 15th June, 2017.

As per Census 2011 data, the total number of Persons with Disabilities (PwDs) in the country was 2.68 Cr. However, considering the expansion in the category of disabilities, the number is likely to go up manifold.

2. ROLE OF NHFDC

As an apex Corporation in the country for the benefit of Persons with Disabilities (PwDs), NHFDC intends to empower the PwDs, so that the target group assimilates into the main stream of the society. Since incorporation, the Corporation has been focusing on financial empowerment and skill & EDP training of PwDs. Upto 31.03.2022, the Corporation has extended over Rs.1,347 Crores of concessional credit for the benefit of more than 2.18 lakh Persons with Disabilities.

3. FUTURE OUTLOOK

The Corporation has been extending major part of financial assistance for the benefit of Persons with Disabilities (PwDs) through the State Channelising Agencies and Banks (with whom agreement has been entered into). Considering the number of PwDs yet to be covered under NHFDC schemes, the corporation attempts to actively engage with the channel partners for expanding credit outreach. In addition, corporation is attempting to zero on new channel partners so as to cover nooks and corners of the country.

The Corporation reviews its guidelines for Credit as well as Non-Credit based schemes/ activities in order to simplify the same to cater to the needs of all kinds of PwDs.

The Corporation does not have any issue concerning availability of funds for the benefit of PwDs. It has been entrusted with implementation of CSR program of many CPSEs for skill & EDP training of PwDs. The Corporation is hopeful of such assistance in future also. The Corporation is looking forward to impart training to more number of PwDs in future.

4. STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITIES AND THREATS

The SWOT analysis in respect of the corporation is as under:

- **STRENGTH**

  a. <u>Unique organization of its own</u>

  The Corporation is the Apex organization under Government of India for the benefit of all categories of PwDs.

b. Channel Finance System (SCAs, PSBs and RRBs)

The Corporation can extend its outreach through State Channelising Agencies, Public Sector Banks and Regional Rural Banks and other organizations/agencies. Thus, the Corporation can effectively address the needs of PwDs throughout the country.

c. Government Guarantee support and Loaning under CGTMSE Scheme reduces the risk associated with the credit advanced.

The Corporation extends financial assistance to SCAs nominated by respective State/ U.T. Governments. The State Government Guarantees for repayment of NHFDC dues. Thus, the credit risks for the Corporation are minimized. Also, the Corporation extends assistance to PSBs/RRBs under Credit Guarantee Scheme of CGTMSE, wherever feasible. Under this scheme, the beneficiaries are provided financial assistance without any collateral security. Further, the bank is assured of repayment of dues from CGTMSE in the event of default by the borrower. Hence, the credit risk is minimal.

- **WEAKNESS**

a. Majority of States are not forthcoming to provide Government Guarantee.

It has been observed that States are not forthcoming to furnish adequate Guarantee for loans to SCAs, especially after the FRBM Act. This is affecting the flow of funds through SCAs for the benefit of PwDs.

b. Weak infrastructure of SCAs.

The SCAs work at ground level in implementation of NHFDC schemes in the State. However, most of the SCAs lack adequate manpower and infrastructure for effective implementation of the schemes.

c. No leverage over the SCAs for compliance of NHFDC mandate.

The SCAs are under the administrative control of concerned State Government. In many cases, the SCA is reposed with the responsibility of implementing NHFDC schemes as additional responsibility. As NHFDC doesn't have any control over the SCA, effective implementation of the schemes is affected.

- **OPPORTUNITIES**

a. There is large unreached population of the PwDs in the productive age.

With increase in coverage to more categories of Persons with Disabilities as per the new Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ; the Corporation has got good opportunity to extend assistance to a relatively larger population as compared to earlier.

b. Reservation of 5% seats in all professional/technical courses.

There is increase in reservations for the PwDs in all professional/technical courses from 3% to 5% as per the provisions of the new Act. Thus, there is growth prospects for education loan for PwDs.

- **THREATS**

a. Unable to reach a significant number of target group.

Even though the Corporation is operating since 1997, only a minuscule part of the target group have been covered under NHFDC schemes till date. Unless the Corporation extends its outreach and cover sizeable number of PwDs, its relevance may be in question.

b. Effect of loan waiver by various State/ U.T. Governments.

In some of the States/UTs loans released for weaker sections of the society have been waived off in the past. This has given rise to expectation in the minds of PwDs that loan assistance extended by this Corporation may also be waived off in future and there have been deliberate default in respect of repayment of NHFDC dues.

5. FINANCIAL PERFORMANCE : COMPARATIVE FINANCIAL STATUS

Financial performances of the Corporation during the financial year 2021-22 as compared to preceding financial year 2020-21 are as under;

(Amount in Rs.Crore)

Particulars	For the F.Y. ended 31st March	
	2021	2022
Income from Operations	11.46	10.65
Other Income	5.36	4.00
Total Income	**16.82**	**14.65**
Employee Benefits Expenses	5.60	5.68
Finance Cost	0.00	0.48
Other Expenses	1.53	1.79
Depreciation	0.48	0.50
Total Expenses	**7.61**	**8.45**
Surplus (Before Adj. for Other Comprehensive Income)	**9.21**	**6.20**
Comprehensive Income	0.08	-0.04
Surplus(After Adj. for Comprehensive Income)	**9.29**	**6.16**

6. OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE CORPORATION

Main operation of the Corporation is to extend financial assistance for the benefit of Persons with Disabilities (Divyangjan) at nominal rate of interest for their economic empowerment.

6.1 RELEASE OF LOANS

Loan assistance extended and coverage of beneficiaries during the financial year 2021-22 with comparable achievements for the preceding financial year 2020-21 are as under;

Financial Year	2020-21	2021-22
Amt. Disbursed (in Rs. Crores)	133.62	112.75
No. of Beneficiaries Assisted*	20,946	16713

*(including estimated no. of beneficiaries against advance funds on average loan basis)

6.2 STATEWISE DISTRIBUTION OF LOAN

The performance of the Corporation is largely dependent on performances of implementing agencies. State wise distribution of loans during the financial year 2021-22 with comparative details for the previous financial year 2020-21 are at **Annexure-I-1.**

6.3 SCHEME-WISE PERFORMANCE

A) Scheme/Sector wise distribution of loans released during the Financial Year 2021-22

The scheme-wise performance of the Corporation in respect of disbursement of loan during the financial year 2021-22 under report is as under:

Sl. No.	Schemes/Sector	Physical Beneficiaries*		Financial Amount Released	
		Nos.	%	Amt. (Rs. Cr.)	%
i)	Trading / Sales Activity	7,726	46.23	59.92	53.14
ii)	Service Sector Activity	3,025	18.10	22.07	19.57
iii)	Agricultural (Allied) Activity	754	4.51	5.65	5.01
iv)	Agricultural Activity	463	2.77	5.39	4.78
v)	Small Business Activity (Manufacturing / Production)	169	1.01	1.31	1.16
vi)	Purchase of Vehicle for Commercial hiring	1,002	6.00	8.03	7.12
vii)	Education Loan	7	0.04	0.22	0.20
viii)	Vishesh Micro Finance Yojana	3,567	21.34	10.16	9.01
	Total	**16713**	**100**	**112.75**	**100**

***** includes estimated number of beneficiaries (on average basis) against advance funds released.

B) Scheme/sector wise distribution of loans released upto 31st March, 2022 (Cumulative)

The sector-wise disbursement of loan released upto 31st March, 2022 is as under:

Sl. No.	Schemes/Sector	Physical Beneficiaries*		Financial Amount Released	
		Nos.	%	Amt. (Rs. Cr.)	%
i)	Trading / Sales Activity	1,06,145	48.62	629.77	46.74
ii)	Service Sector Activity	44,823	20.53	286.95	21.30
iii)	Agricultural (Allied) Activity	35,332	16.18	181.71	13.49
iv)	Agricultural Activity	3,679	1.69	48.72	3.62
v)	Small Business Activity (Manufacturing/ Production)	3,599	1.65	25.30	1.88
vi)	Vehicle Loan	5,359	2.45	99.68	7.40
vii)	Education Loan	279	0.13	9.81	0.73
viii)	Micro Credit Scheme	4,182	1.92	5.27	0.39
ix)	Vishesh Micro Finance Yojana	14,913	6.83	60.16	4.46
	Total	2,18,311	100	**1,347.37**	100

***** includes estimated number of beneficiaries (on average basis) against advance funds released.

The above trend does not indicate specific focus of the Corporation for any particular sector/ activity. Infact, the Beneficiary is free to make his own choice of project /venture which he wants to set up. The corporation does not in any way influence the decision of the beneficiary.

6.4. DISABILITY- WISE DISTRIBUTION OF LOAN

The Corporation aims at serving all categories of persons with disabilities. The above trend indicates that major part of the loan off-take is for the benefit of OH category amongst the target group. The Corporation intends to extend coverage to all categories of PwDs. Taking into account lower off-take of financial assistance by other categories of PwDs, the Corporation has provided additional 0.5% rebate in rate of interest for Persons with Disabilities (Other than those belonging to OH Category).

A) Disability category –wise distribution of loans released during the Financial Year 2021-22

Particulars of distribution of loan during the year 2021-22 amongst different categories of Persons with Disabilities is as under:

Disability Type	Physical (No. of Beneficiaries)*		Financial (Amount released)	
	Nos.	%	(Rs. in Cr.)	%
Orthopedically Handicapped	13382	80.07	88.02	78.06
Mentally Retarded	1229	7.35	9.63	8.54
Visually Impaired	797	4.77	5.39	4.78
Hearing Impaired	1305	7.81	9.72	8.62
Total	**16713**	**100**	**112.76**	**100**

***** includes estimated number of beneficiaries (on average basis) against advance funds released.

B) Disability category –wise distribution of loans released upto 31st March, 2022

Particulars of distribution of loan amongst different categories of Persons with Disabilities upto 31st March, 2022 (Cumulative) is as under:

Disability Type	Physical (No. of Beneficiaries)*		Financial (Amount released)	
	Nos.	%	(Rs. in Cr.)	%
Orthopedically Handicapped	1,86,278	85.33	1,144.01	84.91
Mentally Retarded	7,231	3.31	45.36	3.37
Visually Impaired	12,553	5.75	82.98	6.16
Hearing Impaired	12,249	5.61	75.02	5.57
Total	**2,18,311**	100	**1,347.37**	100

6.5. GENDER WISE DISTRIBUTION OF LOAN

The Corporation encourages women with disabilities to empower themselves through financial assistance under its schemes. With this objective, the corporation allows a rebate of 1% in interest to women with disabilities/persons with disabilities other than OH in self-employment loans of upto Rs.50,000/-.

A) Gender-wise Loan Distribution during the Financial Year

During the Financial Year 2021-22, gender-wise distribution of loan assistance by the Corporation is as under:

Gender	Physical (No. of Beneficiaries)		Financial (Amt. Released)	
	Nos.	%	Amt. (Rs. Cr.)	%
Male	9170	54.87	71.89	63.76
Female	7543	45.13	40.86	36.24
Total	**16713**	**100**	**112.75**	**100**

B) Gender-wise Distribution of Loan released upto 31st March, 2022

Particulars of distribution of loan amongst different categories of Persons with Disabilities upto 31st March, 2022 (Cumulative) is as under:

Gender	Physical (No. of Beneficiaries)		Financial (Amt. Released)	
	Nos.	%	Amt. (Rs. Cr.)	%
Male	1,63,196	74.75	1,027.13	76.23
Female	55,115	25.25	320.24	23.77
Total	**2,18,311**	100	**1,347.37**	**100**

6.6. AMOUNT-WISE DISTRIBUTION OF LOAN

Under schemes of the Corporation, the income generating activity/venture and investment in such ventures are solely as per choice of the beneficiary. Still, it has been observed that majority of loans have been released for projects involving lesser cost.

The classification of loans released to beneficiaries till 31.3.2022 (cumulative), based on loan amount is as under;

Sl. No.	Loan Range	No. of Beneficiaries	Amount Disbursed (Amt. in Rs. Cr.)	Share in terms of Beneficiary number (in %)	Share of Amt. of loan Released (in %)
1	Upto Rs. 50,000/-	1,39,697	546.23	63.99	40.54
2	Above Rs. 50,000/- and upto Rs. 5.0 lakh	73,791	728.88	33.80	54.10
3	Above Rs. 5.0 lakh	4,823	72.26	2.21	5.36
Total		**2,18,311**	**1347.37**	**100**	**100**

6.7. TOP THREE STATES IN TERMS OF LOAN OFF-TAKE DURING 2021-22

The Corporation has been pursuing with its Channelizing Agencies for increasing the coverage of target group in their respective states under schemes of the Corporation.

The top three states in terms of loan off-take from the Corporation during the year 2021-22 are as under:

S. No.	Name of State	Amount of Loan (in Rs. Crore)
1.	Tamil Nadu	30.00
2.	Kerala	22.63
3.	Haryana	13.11

6.8. TOP THREE STATES IN TERMS OF BENEFICIARY COVERAGE DURING 2021-22

The Corporation aims at extending coverage of beneficiaries under its schemes for achievement of its objectives. Top three states in terms of coverage of beneficiaries under schemes of the Corporation during the financial year 2021-22 is as under:

S.No.	Name of State	No. of Beneficiaries
1.	Tamil Nadu	6000
2.	Kerala	2254
3.	Haryana	1309

7. PROGRESSIVE ACHIEVEMENTS

The Corporation has shown progressive achievement on various fronts over the past years. These are as under:

7.1. RELEASE OF LOANS OVER THE PAST 10 YEARS

Achievement of the Corporation in terms of release of loan assistance for the benefit of Persons with Disabilities over the past 10 years is as under;

Amount Released (Rs. Cr) – Financial year wise

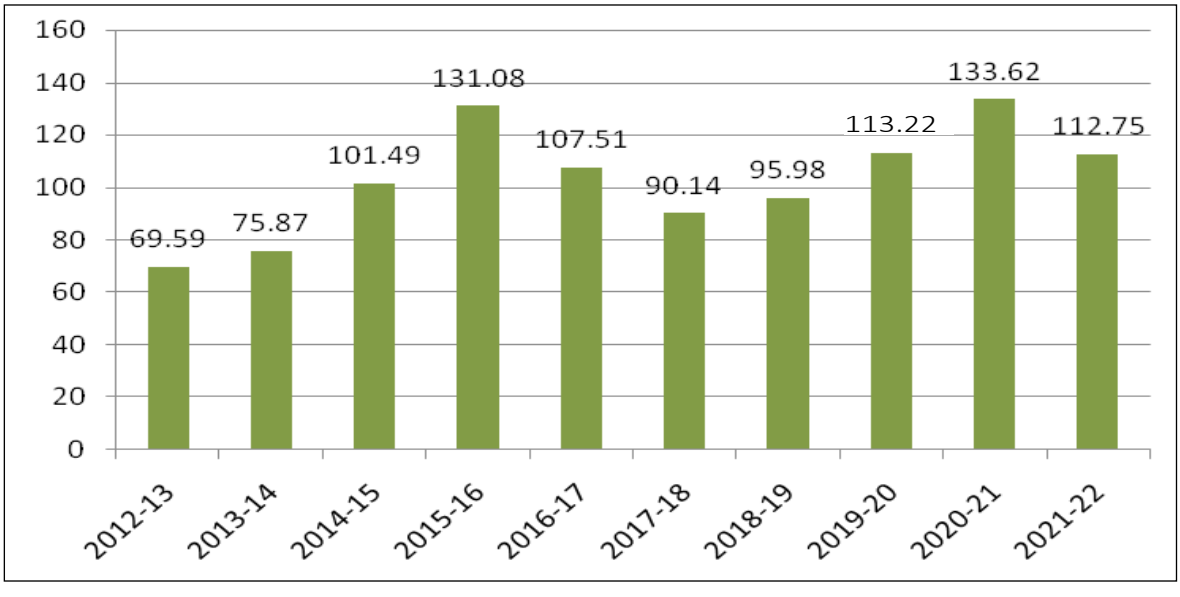

7.2. COVERAGE OF BENEFICIARIES OVER THE LAST 10 YEARS

Achievement of the Corporation in terms of coverage of persons with Disabilities over the last 10 years, under various schemes is as under;

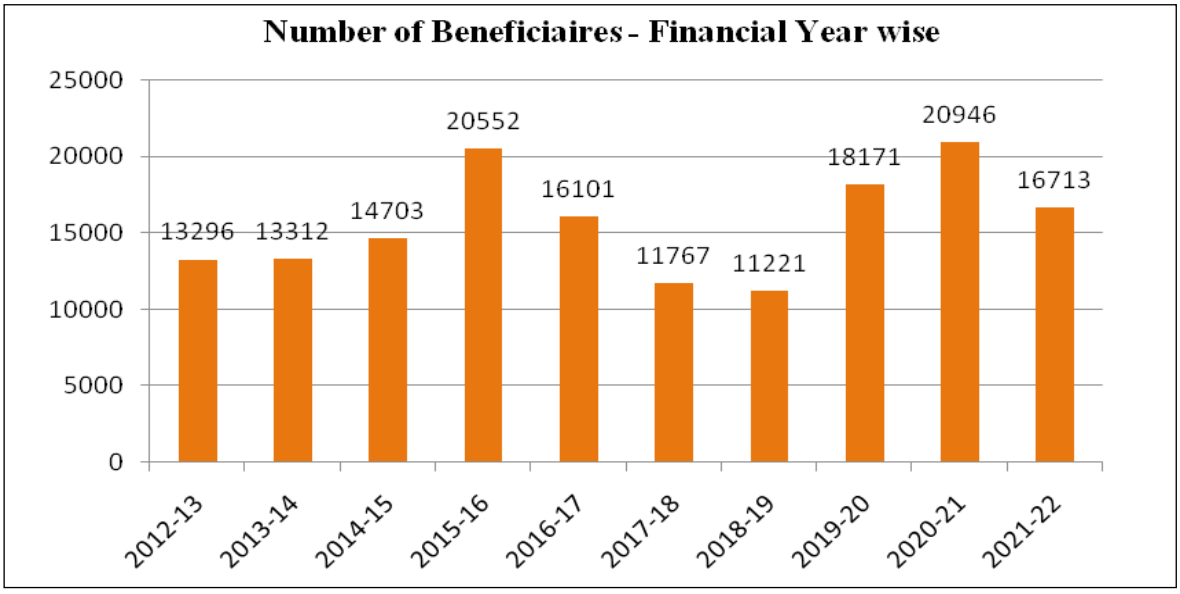

8. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR FINANCIAL YEAR 2021-22

The Corporation had entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Govt. of India for the year 2021-22 on 11th January, 2022. Copy of MOU is at **Annexure-I-2.**

As per the achievements and based on the audited data, total aggregate score for financial year 2021-22 comes to 79.47 which conform to 'Very Good' category. The performance achievements of MoU 2021-22 targets are as under;

S. No.	Parameter	MoU 2021-22			
		Unit	Weight	Target	Achievement
1	Revenue from Operations	Rs. in Cr.	10	12.50	10.66
2	Asset Turnover Ratio	%	5	3.81	2.82
3	EBITDA as a percentage of Revenue	%	10	60.69	45.72
4	Return on Net Worth	%	10	2.41	1.26
5	Return on Capital Employed	%	5	2.35	1.25
6	Loans Disbursed to Total Funds Available	%	15	100	81
7	Loans Disbursed to Micro Finance Beneficiaries	%	10	57.26	54.78
8	Overdue loans to Total Loans	%	10	22.67	21.28
9	NPA to Total Loans	%	10	0.20	0.21
10	Geographical coverage	%	5	100	100
11	Last Mile disbursement to ultimate beneficiaries	%	10	100	60.65
		Total	**100**		

Notes :

1. Loans Disbursed to Total Funds Available

   In respect of the above target, the achievement has been based on the disbursement target (Rs. 140 Cr.) fixed by the Board for the FY 2021-22.

2. Loans Disbursed to Micro Finance Beneficiaries

   During the year under reference, the Corporation released Rs. 61.76 Cr. to PwDs, where the loan amount to individual PwD did not exceed Rs.50,00/-. During the Fy 2021-22, loan aggregating to Rs. 112.75 Cr. was released by the Corporation. Thus, the achievement of the Corporation in respect of the aforesaid parameter is 54.78% against the target of 57.26%.

3. Last Mile disbursement to ultimate beneficiaries

   In respect of the above target, the achievement has been based on the policy of the Corporation concerning utilisation of loan. As per the extant policy of the Corporation, utilisation period of 120 days are allowed for utilisation of funds by the implementing agency.

   During the FY 2021-22, the Corporation had released 54.47 Cr. upto 30th Nov., 2021 and Utlisation has been received for an amount of Rs.33.03 Cr. till 31st March, 2022, against the said release of loans.

4. Geographical coverage

   During the financial year 2021-22, the Corporation covered all states/UTs of the country by means of extending loan assistance and Skill training for the PwDs.

9. BOARD LEVEL COMMITTEES

The Board of Directors of the Corporation has constituted various sub-committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Companies Act, 2013 as well as Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE.

A) Audit Committee

The Corporation is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (Corresponding to Section 8 of the Companies Act, 2013) as a Company not for profit. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company. Therefore, it is not obligatory on the Company under the Companies Act, 2013 to constitute the Audit Committee. However, keeping in view the guidelines of Corporate Governance for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was reconstituted on 24th March, 2022 as under; .

1.	Dr. Priyanka Chaudhry, Non-official Director	:	Chairperson
2.	Jt. Secretary & Financial Adviser, Ministry of S.J. & E., GoI (Director on the Board of NHFDC)	:	Member
3.	Representative of IDBI Bank Ltd. on the Board	:	Member
4.	Dr. Jawaharlal Zongluzu, Non-official Director	:	Member
5.	Dr. Priya Sheel Hada, Non-official Director	:	Member

During the financial year under report, there were 3 (three) meetings of the Committee held as under:-

Sl. No.	Particulars of Meeting	Date of Meeting
i)	17th Audit Committee Meeting	23rd June, 2021
ii)	18th Audit Committee Meeting	23rd September, 2021
iii)	19th Audit Committee Meeting	24th March, 2022

B) **Remuneration Committee**

The Department of Public Enterprises (DPE) vide Office Memorandum dated 03.08.2017 has notified the revision of pay scales for Board level and below Board level executives and Non-Unionized Supervisors w.e.f. 01.01.2017. As per guidelines issued by DPE, each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of part time directors or independent directors, which will decide on the payment of Performance Related Pay (PRP).

The remuneration Committee of the Corporation was reconstituted on 18th December, 2020 as under,

1.	Dr. Priyanka Chaudhry, Director	:	Chairperson of the Committee
2.	Director on the Board representing Internal Finance Division (IFD), Ministry of SJ&E	:	Member
3.	Representative of IDBI Bank Limited	:	Member

C) **Administrative Committee**

A committee of Directors named as 'Administrative Committee' was constituted on 27th May, 2019 to consider issues concerning Rules of the Corporation pertaining to establishment matters, administrative matters, HR issues and policy issues concerning these.

During the Financial Year under report, one meeting of the Committee was held on 27th August, 2020. The composition of the said committee is as under;

1.	Managing Director	:	Chairman of the Committee
2.	Ex-Officio Director	:	One
3.	Independent/ Non-official Director	:	One

10. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND ITS ADEQUACY

The company has an adequate system of internal control in place which interalia provides for;

i) Authorization, recording and reporting of transactions.

ii) Recording and safeguarding of assets against unauthorized use or disruption.

iii) Maintenance of proper accounting records.

- **Monitoring mechanism**

  The Corporation follows up with implementing agencies in respect of utilization details against loans released to them.

- **Internal Audit**

  The Corporation carries out internal audit of its affairs by independent Chartered Accountant firm.

11. RISK MANAGEMENT POLICY

The Corporation has formulated a Risk Management Policy and the same is on the website of the Corporation (Annx-I-RISK MANAGEMENT POLICY-11.12.2012.pdf (nhfdc.nic.in).

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure-'I-1'

AMOUNT RELEASED AND NO. OF BENEFICIARIES COVERED DURING FINANCIAL YEAR 2020-21 AND 2021-22

Sl. No.	Name of State/U.T.s	2020-21		2021-22	
		Amount Disbursed (Rs. in lakh)	Number of Beneficiaries	Amount Disbursed (Rs. in lakh)	Number of Beneficiaries
1.	Andhra Pradesh	1,501.72	3,718	0	0
2.	Arunachal Pradesh	0	0	0.20	1
3.	Assam	0	0	0.25	1
4.	Bihar	6.02	0	6.88	1
5.	Chandigarh	1.75	7	2.25	9
6.	Chhattisgarh	0	0	205	119
7.	Delhi	19.12	2	26.88	85
8.	Gujarat	55	51	380.41	378
9.	Haryana	1,369.17	1,316	1,311.33	1,309
10.	Himachal Pradesh	400	400	500	500
11.	Jammu & Kashmir	153.88	144	737.50	737
12.	Jharkhand	5	5	100	100
13.	Karnataka	0.25	1	0	0
14.	Kerala	4,504.00	4,504	2,263.50	2,254
15.	Lakshadweep	40	40	0	0
16.	Madhya Pradesh	125.63	86	82.09	36
17.	Maharashtra	10.53	1	3.98	2
18.	Meghalaya	20	20	50	50
19.	Mizoram	20	20	21	21
20.	Nagaland	0	0	0.40	2
21.	Orissa	9.22	1	1.75	1
22.	Punjab	113	113	94.82	107
23.	Rajasthan	619.94	601	1,224.78	1,202
24.	Sikkim	21	21	50	50
25.	Tamil Nadu	3,000.00	6,000	3,000.00	6,000
26.	Telangana	1,000.00	3,485	1,000.00	3,485
27.	Tripura	70.25	70	0	0
28.	Uttar Pradesh	287.28	337	204.84	263
29.	Uttarkhand	0.50	1	6.83	0
30.	West Bengal	8.55	2	0	0
	Total	**13,361.81**	**20,946**	**11,274.69**	**16,713**

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure-I-2

National Handicapped Finance and Development Corporation (Standalone) : MoU 2021-22

S. No.	Name of Parameter	Unit	Weightage	Estimates for (2020-21)	Best of Legacy performance	Target 2021-22
1.	Revenue from Operations	Rs. In Cr.	10			12.50
2.	Asset Turnover Ratio	%	5			3.81
3.	EBITDA as a percentage of Revenue	%	10			60.69
4.	Return on Net Worth	%	10			2.41
5.	Return on Capital Employed	%	5			2.35
6.	Loans Disbursed to Total Funds Available	%	15			100
7.	Loans Disbursed to Micro Finance Beneficiaries	%	10			57.26
8.	Overdue loans to Total Loans	%	10			22.67
9.	NPA to Total Loans	%	10			0.20
10.	Geographical coverage	%	5			100
11.	Last Mile disbursement to ultimate beneficiaries	%	10			100
		Total	**100**			

Notes:

- The targets are based on audited accounts for the FY-2020-21.
- Vision provided by the administrative Ministry is also considered for Benchmarking.
- Achievement for the parameters of Loans Disbursed to Total Funds Available, Loans Disbursed to Micro Finance Beneficiaries, Overdue loans to Total Loans, NPA to Total Loans, Geographical coverage and Last Mile disbursement to ultimate beneficiaries to be confirmed based on Annual Report of CPSE for FY 2021-22.
- Proportionate marks for achievement of 50% to 100% Targets.
- No marks for achievement below 50.00% of Targets.
- In working out achievements for FY 2021-22, quantified qualifications of CAG/ Statutory Auditors to be adjusted in case of overstatement of Revenue/ Profit/ Surplus or understatement of Loss/Deficit.

Annexure - I-2

COMPLIANCE PARAMETERS FOR 2021-22

S. No.	Parameter	Marks	Source/ Verification
1.	25% of Total Procurement From GeM portal: (Procurement of goods and services through GeM portal during the year as per GeM)/(Total procurement of goods and services during the previous year as per Sambandh portal)*100	-2	Administrative Ministry on the basis of GeM portal and Sambandh portal
2.	DPE guidelines on select matters i) Pay Revision guidelines and review of profitability of CPSEs for pay revision ii) Expenditure Management Economy Measures and Rationalisation of Expenditure iii) Guidelines on Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan) iv) Guidelines on implementation of the Apprenticeship Act, 1961 v) Guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs.	-2	Administrative Ministry on the basis of CAG Reports etc.
3.	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 (or SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as: (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committee etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency	-3	Administrative Ministry on the basis of CAG /Statutory/ Secretarial Auditor Report(s)
4.	Target as given by DIPAM/ NITI Aayog: i. Dividend Payout ii. Assets Monetization Milestones iii. Specific disinvestment Milestones	-2	Administrative Ministry on the basis of confirmation from DIPAM/ NITI Aayog
5.	Procurement and timely payment to Micro Small and Medium Enterprises (25% of Procurement of goods or services through MSEs (including 4% from SC/ST MSEs and 3% from Women MSEs) during the year as per Samband Portal)/ (Total procurement of goods and services during the year as per Samband Portal)	-2	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
6.	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (Target to be prescribed by the Administrative Ministry)	-1	Confirmation by the administrative Ministry

Sd/-
CMD/MD, National Handicapped Finance & Devp. Corporation

Sd/-
Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities
Date - 11th Jan., 2022

Annexure - J

Ravi S. Sharma & Associates
Company Secretaries

CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of
National Handicapped Finance and Development Corporation,
Red Cross Bhavan, Sector-12,
Faridabad (Haryana)-121007

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by **National Handicapped Finance and Development Corporation**, ["the Corporation"] for the year ended on 31st March 2022, as envisaged in the Office Memorandum No.18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and according to the records and documents maintained by the Corporation, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except **(i) The time gap between two Board meetings exceeded more than three months; and (ii) The time gap between two Audit committee meetings exceeded more than four months**.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For Ravi S. Sharma & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Ravi S. Sharma
(Proprietor)
M. No. – F7336

Place : New Delhi
Date : 16.09.2022

Annexure - 'K'

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE YEAR 2021-22

1. Brief outline of the corporation's CSR Policy

NHFDC aims at achieving sustainable development across the economic, social development through the 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy). The CSR Policy of the Corporation was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines'. The CSR policy was approved by the Board of Directors.

2. **Composition of CSR Committee**

There is no Board level CSR Committee as the amount to be spent by the company under CSR pursuant to section 135(5) does not exceed fifty lakh rupees.

3. **Web-link**

Particulars of Corporate Social Responsibility Policy/details are at the link http://www.nhfdc.nic.in/writereaddata/NHFDC/CSR-Policy-2016.pdf.

4. Details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of Sub-rule (3) of Rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report): Not Applicable

5. Details of the amount available for set-off in pursuance of Sub-rule (3) of Rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any: Nil

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in₹)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in₹)
1.	2019-20	NIL	NIL
2.	2020-21	NIL	NIL
3.	2021-22	NIL	NIL
Total		**NIL**	**NIL**

6. Average net profit of the Company as per Section 135(5) : ₹8,98,00,341/-.

7. (a) Two percent of average net profit of the Company as per Section 135(5): ₹17,96,007/-

(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years : Nil

(c) Amount required to be set off for the financial year, if any: Nil

(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c) : ₹17,96,007/-

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year (in ₹ lakh)	Amount Unspent (in₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per Section 135(6)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5)		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
₹17,96,007/-	NA	NA	NA	NA	NA

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year 2021-22: Nil

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year 2021-22: ₹17,96,007/-/- **(Annexure-K-A).**

(d) Amount spent in Administrative Overheads: ₹ Nil

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: NA

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e) : ₹17,96,007/-

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹ lakh)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per Section 135(5)	₹17,96,007/-
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	₹17,96,007/-
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	Nil
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	Nil

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding Financial Year	Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135(6) (in ₹)	Amount spent in the reporting Financial Year (₹ in lakh)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per Section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial year (in ₹)
				Name of the Fund	Amount in ₹	Date of Transfer	
1.	2018-19	Nil	Nil	----	----	----	51,98,485
2.	2019-20	Nil	51,98,485	----	----	----	5,85,159
3.	2020-21	Nil	18,96,422				Nil

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year: Nil

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details):

    (a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s): Not Applicable

    (b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset: Not applicable

    (c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name, such capital asset is registered, their address etc.: Not applicable

    (d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital assets): Not applicable

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per Section 135(5): Not Applicable

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure- K-A

Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year 2021-22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sl.	Name of Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local area (Yes / No)	Location of Project		Amount spent in the Financial year (in Rs.)	Mode of Implementation – Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation- Through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration No.
1.	Oxygen concentrators for being used by Institutions, general Public and disadvantaged/ COVID affected sections of the society at the time of need/ urgency.	Promoting health care including preventive health care.	No	Delhi/ NCR		11,03,304	No	NHFDC Foundation	CSR00005833
2.	Cataract Surgeries for the under-privileged sections of the society assumes critical importance.	-do-	Yes	Delhi/ NCR		2,75,000	No	Mahavir International	CSR00002906
3.	Preventive health checkup facility, including dental & eye care consultation (Allopathic as well as Ayurvedic) to weaker section of the society to prevent & protect them from major diseases and ailments.	-do-		Haryana, UP, MP & Delhi NCR		4,17,703	No	NHFDC Foundation	CSR00005833
Total						**17,96,007**			

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure –' L'

BOARD COMPOSITION AND DIRECTORS
(As at 31st March, 2022)

Sl.	Particulars	Nos.	Present Status
1.	Chairman-cum-Managing Director	1	Shri Rajan Sehgal
2.	Non Official Directors	3	Dr. Priyanka Chaudhry Dr. Jawaharlal Zongluzu Dr. Priya Sheel Hada
3.	Joint Secretary/Joint Secretary level officer, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India	1	Shri Kishor Baburao Surwade
4.	Financial Advisor/Joint Secretary to Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India	1	Shri Sanjay Pandey
5.	CMD, Artificial Limbs Manufacturing Corporation	1	Vacant
6.	Persons representing Bio-Medical Engineering Departments IITs/ Research Institutes	1	Dr. Alka Sharma
7.	Representatives of IDBI Bank Ltd.	1	Shri Mitesh Sinha
8.	Representative of SIDBI	1	Vacant.
9.	Development Commissioner, Small Scale Industries/ Development Commissioner, Handicraft/ Representative of Development Commissioner, Small Scale Industries/ Development Commissioner, Handicraft	1	Vacant.
10.	MD, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation	1	Vacant.

The right to fill any vacancy in the office of a Director caused by retirement, removal, resignation, death or otherwise vests with the President of India. Chairman-cum-Managing Director (sl-1. above) is the only Executive Director of the Corporation.

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure –'M'

ANNUAL GENERAL MEETINGS OF THE CORPORATION

Particulars of last three Annual General Meetings of the Corporation are:

Year	Date	Time	Venue	If any Special Resolution passed at the meeting
2021	25.12.2021	4.00 P.M.	Hotel Le Meridien, Number 1, RIICO, Kukas, Jaipur, Rajasthan-302028	Yes (One)
2020	18.12.2020	3.30 P.M.	Through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) : Corporate office of the Corporation at Unit No. 11 & 12, DLF Prime Tower, Okhla Phase-1, New Delhi-110020	No
2019	30.09.2019	10.30 A.M.	The conference Hall, DEPwD, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, at 5th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	No

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

Annexure -'N'

IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Particulars of RTI applications received during 2021-22 are as under:-

Sl.	Particulars	Nos.
1.	No. of Applications received	114
2.	No. of Applications responded/disposed off	117
3.	No. of cases where information was denied	Nil
4.	No. of Appeals	09
5.	No. of Appeals decided	09
6.	Penalties /stricture on CPIO received	Nil

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN : 03633935

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDICAPPED FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of **National Handicapped Finance & Development Corporation** for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27 June 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **National Handicapped Finance & Development Corporation** for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditor's report, under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: New Delhi
Date: 16.09.2022

Sd/-
(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit (Central Expenditure)

Grover, Lalla & Mehta

CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of National Handicapped Finance and Development Corporation,

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

1. We have audited the financial statements of **National Handicapped Finance and Development Corporation** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Statement of Income and Expenditure Account (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Key Audit Matters paragraph below and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs (financial position) of the Company as at March 31, 2022, and its surplus (financial performance including total comprehensive income), changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to the following matters:-

i. The Corporation is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (Corresponding to Section 8 of the Companies Act, 2013) as a Company not for profit as an Apex Corporation for the benefit of Persons with Disabilities (PwDs) (Divyangjans) throughout the Country. Inspite this Corporation is making huge profit from last several years.

ii. The Internal controls and systems designed by the management to verify the end use of the loans sanctioned, disbursed and repayments are not reasonable enough considering the size of the company and the nature of its operations. We have been informed by the management that the release of loan and repayments to eligible beneficiaries is the sole responsibilities of SCAs and the Corporation is relying on the data furnished by SCAs. As per the loan policy of the corporation, SCA's must submit the half yearly progress report which is not regularly complied with. The Corporation must devise some system through which it can be ensured that the funds are properly disbursed to the eligible beneficiaries.

iii. The Company is required to adopt a comprehensive internal financial control system over financial reporting to adequately consider risk assessment, which is one of the essential components of internal control, with regard to the potential for fraud when performing risk assessment.

iv. Fresh funds were disbursed to some implementing agencies without getting utilization certificates from them. As on 31.03.2022, the corporation is yet to receive the utilisation certificate/details in respect of loan amount of Rs.3551.22 lakhs which remain pending for more than 120 Days.

v. It was observed that many SCAs have defaulted in repayments which have resulted in overdue more than five years amounting to Rs. 963.41 Lakhs as on 31st March, 2022, including the interest component. Although these loans are secured by State Government guarantees, these guarantees are never invoked which result in blockage of funds.

vi. The Corporation is acting as an implementing agency for a) Scheme for Implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (SIPDA), b) National Fund for Persons with Disabilities (Scholarship to Divyangjans), c) Corporate Social Responsibilities (CSR) of other CPSUs. They provide funds for the implementation of schemes which are not being kept separately. As on Balance Sheet date 31.03.2022, liability for the all three scheme is Rs.2661.51 Lakhs as compare to the balance in their bank account of Rs.710.47 Lakhs.

vii. The Corporation has not yet obtained State Government Block Guarantee regarding loans amounting to Rs. 6793.48 Lakhs as on 31st March, 2022 in respect of which company has obtained guarantee from Tamil Nadu State Apex Cooperative Bank Ltd. (the SCA), inspite of Board direction dated 25th June, 2012.

viii. Due to the change in accounting policy relating to treatment of interest on Grant/ Contribution received from the Government or other organisations in the case of CSR, the profit for the year is lower by Rs. 29.12 lakhs (refer Note no. 25 of Financial Statements).

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statement as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

i) ***We have observed that corporation has sent year-end balance confirmation letters to SCAs, RRBs and other Implementing Agencies for the year 2021-22. Out of which some of implementing agencies are yet to confirm their balances. Moreover, there was an unidentified difference of Rs.50.19 lakhs in the balances confirmed by some of the Implementing Agencies, impact, if any, cannot be verified.***

ii) ***The Corporation is receives CSR grants as implementing ageny, from various Public Sector undertaking. The Corporation is maintaining only single account for CSR grants received. Project wise and party wise CSR grant is not maintained. In the absence of such details, we are unable to verify/ comment on the party wise utilization /non-utilization. As on 31.03.2022 there are unreconciled/ unutilized CSR funds amounting to Rs. 633.38 lakhs, which cannot be verified.***

iii) ***The Corporation has received grant from Government of India under the project for skill development for Divyangjans under the National Action Plan under SIPDA. As required under the terms and conditions of Grant, Statement of Accounts of the Project comprising receipt and payment statement, income and expenditure statement and Balance Sheet is not being prepared and thus not provided to us for verification.***

The Corporation is not maintaining scheme wise account/ details of these grants. In the absence of such details, we are unable to verify / comment on the scheme wise utilisation / non-utilisation of these grants received. As on 31.03.2022, there was an unreconciled / unutilized SIPDA grant fund amounting to Rs. 847.89 lakhs, which cannot be verified.

iv) ***Inter-department reconciliation is pending of advance fund with implementing agencies, where Utilisation Certificate (UC) of advance fund have been received but no adjustments in Loan Ledgers have been made. Necessary adjustments in Loan/Interest needs to be effected, impact, if any, cannot be verified .***

5. Information other than the financial statements and auditor's report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, and the information included in the Director's Report including Annexures, Management Discussions and Analysis, Business Responsibility Report and Other Company related information (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which are expected to be made available to us after the date of this auditors report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action, if required.

6. Responsibilities of Management and those charged with Governance for the Financial Statements

The Company's board of directors is responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, total comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended. This responsibility also include maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements, that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

7. Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

8. Report on other legal and regulatory requirements

1. The provisions of the **Companies (Auditor's Report) Order, 20**20 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act is not applicable to the Company since Company incorporated and licensed to operate under section 8 of Companies act 2013 (companies registered with charitable object)

2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the "Annexure-1" on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

(c) The balance sheet, the statement of income and expenditure (including other comprehensive income), the statement of changes in equity and the statement of cash flow dealt with by this report are in agreement with the books of account.

(d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

(e) Being a government company, pursuant to the Notification No. GSR 463 (E) dated 05th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of Sub-section (2) of Section 164 of the Act, are not applicable to the Company.

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to the financial statement of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **"Annexure 2"**.

(g) As per notification no. GSR 463(E) dated 5thJune , 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, reporting in accordance with the requirement of provisions of Section 197(16) of the Act is not applicable on the Company.

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

a. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statement. Refer Note no. 24 to the financial statement.

b. The Company has made provision, as required under the applicable law or Indian Accounting Standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.

c. The provisions of section 125 relating to Investor Education and Protection Fund is not applicable to the corporation being company registered under section 8 of the companies act.

For Grover, Lalla & Mehta
Chartered Accountants
FRN No.:002830N

Sd/-
(CA Pankaj Bansal)
Partner
M. No.:502661

Place: New Delhi
Date: 27.06.2022
UDIN:22502661ALSUVA3312

Annexure -1 To the Independent Auditor's Report under section 143(5) of the Act

(Referred to in Paragraph 8(2) under "Report on other Legal and Regulatory Requirements" section of our report of even date to the members of National Handicapped Finance and Development Corporation on the Financial Statements for the year ended 31st March, 2022)

S. No.	Directions of C&AG issued under section 143(5) of the act	Auditor's Comments
1.	Whether the company has system in place to process at all the accounting transactions through IT systems? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any may be stated.	Yes, corporation has tally ERP system in place to process all the accounting transactions. However, corporation is maintaining Party-wise Loan ledgers and Interest receivable Ledger in Excel sheet which is not an acceptable and reliable mode of accounting. The corporation has started using a separate software for maintenance of above ledger but it has not yet been fully implemented.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	Corporation has not taken any loan. Thus, no such case was found for restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company's inability to repay the loan during the year.
3.	Whether funds received/receivables for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.	Yes, funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions except our remarks given at Point No. 3(vi) of Emphasis of Matter and 4(ii) & 4(iii) of Key Audit Matters in our Independent Auditor's Report.

For Grover, Lalla & Mehta
Chartered Accountants
FRN No.:002830N

Sd/-
(CA Pankaj Bansal)
Partner
M. No.:502661

Place: New Delhi
Date: 27.06.2022
UDIN:22502661ALSUVA3312

Annexure - 2 to Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 8(3)(f) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our report of even date to the Members of National Handicapped Finance and Development Corporation on the Financial Statements for the year ended 31.03.2022.

Report on the Internal Financial Controls with reference to the Financial Statement under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

1. We have audited the internal financial controls with reference to the financial statements of **National Handicapped Finance and Development Corporation** ('the Company') as of 31st March 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's responsibility for internal financial controls

2. The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal controls over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and deemed to be prescribed under Section 143 (10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by ICAI. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to the financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

   Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial control with reference to the financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to the financial statements included obtaining an understanding internal financial control with reference to the financial

statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial control system with reference to the financial statements.

Meaning of internal financial controls with reference to the Financial Statements

4. A company's internal financial control with reference to the financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to the financial statements includes those policies and procedures that

   (a) pertain to the maintenance of records that, in reasonable details, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

   (b) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and

   (c) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent limitations of internal financial controls with reference to the Financial Statements

5. Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to the financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to the financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to the financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

6. In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to the financial statements in place and such internal financial controls with reference to the financial statements were operating effectively as at 31 March 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the components of internal controls stated in the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Nevertheless, the internal controls and systems designed by the management to verify the end use of the loans sanctioned, disbursed and repayments are not reasonable enough considering the size of the company and the nature of its operations. We have been informed by the management that the release of loan and repayments to eligible beneficiaries is the sole responsibilities of SCAs and the Corporation is relying on the data furnished by SCAs. As per the loan policy of the corporation, SCA's must submit the half yearly progress report which is not regularly complied with. The Corporation must devise some system through which it can be ensured that the funds are properly disbursed to the eligible beneficiaries.

The Company is required to adopt a comprehensive internal financial control system over financial reporting to adequately consider risk assessment, which is one of the essential components of internal control, with regard to the potential for fraud when performing risk assessment.

For Grover, Lalla & Mehta
Chartered Accountants
FRN No.:002830N

Sd/-
(CA Pankaj Bansal)
Partner
M. No.:502661

Place: New Delhi
Date: 27.06.2022
UDIN:22502661ALSUVA3312

Balance Sheet as at 31st March, 2022

(Rs. in Hundreds)

	Particulars	Note No.	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
I.	**ASSETS**			
1	**Non-current assets**			
	(a) Property, Plant and Equipment	3	16,29,890.71	16,61,750.70
	(b) Other Intangible Assets	4	1,087.77	2,180.29
	(c) Financial Assets			
	(i) Loans	5	2,25,71,609.61	2,10,06,981.24
	(ii) Other Financial Assets	6	70,743.91	68,267.57
	(d) Other Non Current Assets	10	57,334.83	59,706.29
	Total Non-Current Assets		**2,43,30,666.83**	**2,27,98,886.09**
2	**Current Assets**			
	(a) Financial Assets			
	(i) Cash and Cash Equivalents	7	8,55,803.78	15,66,066.20
	(ii) Bank balances other than (i) above	8	1,02,24,163.93	71,11,062.35
	(iii) Loans	5	1,68,73,286.58	2,03,88,159.90
	(iv) Other Financial Assets	6	3,75,750.89	3,57,951.18
	(b) Current Tax Assets (Net)	9	25,332.11	17,667.71
	(c) Other Current Assets	10	9,340.31	17,743.92
	Total Current Assets		**2,83,63,677.60**	**2,94,58,651.26**
	Total Assets		**5,26,94,344.43**	**5,22,57,537.35**
II.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Equity**			
	(a) Equity Share Capital	11	3,99,99,100.00	3,99,99,100.00
	(b) Other Equity	12	96,22,820.45	90,06,754.59
	Total Equity		**4,96,21,920.45**	**4,90,05,854.59**
2	**Liabilities**			
(i)	**Non-Current Liabilities**			
	(a) Financial Laibilities			
	(i) Lease Liabilities	15	15,175.22	27,106.89
	(b) Provisions	13	1,97,379.10	1,81,283.08
	(c) Other Non-current Liabilities	15	1,635.89	488.77
	Total Non-Current Liabilities		**2,14,190.21**	**2,08,878.74**
(ii)	**Current Liabilities**			
	(a) Financial Liabilities			
	(i) Lease Liabilities	15	10,980.42	10,689.40
	(ii) Other Financial Liabilities	14	27,12,982.40	29,42,833.42
	(b) Other Current Liabilities	15	39,928.68	29,456.79
	(c) Provisions	13	94,342.27	59,824.41
	Total Current Liabilities		**28,58,233.77**	**30,42,804.02**
	Total Equity and Liabilities		**5,26,94,344.43**	**5,22,57,537.35**
III.	**The Significant Accounting Policies and accompanying notes No.1 to 40 form an integral part of Financial Statements**			

As per our Report of even date attached

For and on behalf of
M/s. Grover, Lalla & Mehta
Chartered Accountants

Sd/-
(CA Pankaj Bansal)
Partner
M. No.:502661
FRN: 002830N

Date: 27.06.2022
Place: New Delhi
UDIN:22502661ALSUVA3312

For and on behalf of the Board of Directors of National Handicapped Finance and Development Corporation

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 03633935

Sd/-
(R.K. Mishra)
Company Secretary

Statement of Income & Expenditure Account for year ended 31st March, 2022

(Rs. in Hundreds)

	Particulars	Note No.	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
I.	Revenue from operations	16	10,65,577.55	11,45,473.96
II.	Other Income	17	3,99,761.89	5,36,880.18
III.	**Total Income (I+II)**		**14,65,339.44**	**16,82,354.14**
IV.	**Expenses**			
	Employee Benefits Expense	18	5,68,540.47	5,59,563.80
	Finance Cost	19	48,171.82	5,373.94
	Depreciation and Amortization Expense	20	49,876.33	48,198.71
	Other Expenses	21	1,78,678.91	1,47,988.53
	Total Expenses (IV)		**8,45,267.53**	**7,61,124.98**
V.	**Excess of Income over Expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)**		**6,20,071.91**	**9,21,229.16**
VI.	Exceptional Items		-	-
VII.	**Excess of Income over Expenditure before Tax (V - VI)**		6,20,071.91	9,21,229.16
VIII.	Tax expense:			
	(1) Current Tax		-	-
	(2) Deferred Tax		-	-
IX.	**Excess of Income over Expenditure from continuing operations (VII-VIII)**		**6,20,071.91**	**9,21,229.16**
X.	Excess of Income over Expenditure from discontinued operations		-	-
XI.	Tax expenses of discontinued operations		-	-
XII.	Excess of Income over Expenditure from discontinued operations (after tax) (X-XI)		-	-
XIII.	**Excess of Income over Expenditure for the period (IX + XII)**		**6,20,071.91**	**9,21,229.16**
XIV.	**Other Comprehensive Income**			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account	22	(4,006.05)	7,867.36
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
XV.	**Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over Expenditure and Other Comprehensive Income for the period)**		**6,16,065.86**	**9,29,096.52**
XVI.	**Earning Per Equity Share:**			
	(For continuing Operation)			
	(1) Basic (in Rs.)	23	**15.50**	**23.03**
	(2) Diluted (in Rs.)	23	**15.50**	**23.03**
XVII.	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For discontinuied Operation)			
	(1) Basic (in Rs.)		-	-
	(2) Diluted (in Rs.)		-	-
XVIII.	**Earnings Per Equity Share:**			
	(For Continued & discontinuied Operation)			
	(1) Basic (in Rs.)		**15.50**	**23.03**
	(2) Diluted (in Rs.)		**15.50**	**23.03**
XIX.	The Significant Accounting Policies and accompanying notes No.1 to 40 form an integral part of Financial Statements			

As per our Report of even date attached

For and on behalf of
M/s. Grover, Lalla & Mehta
Chartered Accountants

For and on behalf of the Board of Directors of National Handicapped Finance and Development Corporation

Sd/-
(CA Pankaj Bansal)
Partner
M. No.:502661
FRN: 002830N

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 03633935

Date: 27.06.2022
Place: New Delhi
UDIN:22502661ALSUVA3312

Sd/-
(R.K. Mishra)
Company Secretary

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March, 2022

A. Equity share capital

Year ended March, 2022 **(Rs. in Hundreds)**

Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of the current reporting period
3,99,99,100.00	-	-	-	3,99,99,100.00

Year ended March, 2021 **(Rs. in Hundreds)**

Balance at the beginning of the previous reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated Balance at the beginning of the previous reporting period	Changes in equity share capital during the previous year	Balance at the end of the current previous reporting period
3,99,99,100.00	-	-	-	3,99,99,100.00

B. Other Equity

Year ended March, 2022 **(Rs. in Hundreds)**

	Share Application Money pending Allotment	Reserve and surplus		Total
		General Reserve	Retained Earnings	
Balance as at April 01,2021	-	90,06,754.59		90,06,754.59
Change in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-
Restated balance as at April 01, 2021	**-**	**90,06,754.59**	**-**	**90,06,754.59**
Profit for the current year	-	-	6,20,071.91	6,20,071.91
Other Comprehensive Income for the current year	-	-	(4,006.05)	(4,006.05)
Total Comprehensive Income for the current year	**-**	**-**	**6,16,065.86**	**6,16,065.86**
Transfer to general reserve	-	6,16,065.86	(6,16,065.86)	-
Share Application Money Received during the year	-	-	-	-
Shares issued from the Share Application Money pending allotment	-	-	-	-
Balance at the March 31, 2022	**-**	**96,22,820.45**	**-**	**96,22,820.45**

C. Other Equity

Year ended March, 2021 **(Rs. in Hundreds)**

	Share Application Money pending Allotment	Reserve and surplus		Total
		General Reserve	Retained Earnings	
Balance as at April 01,2020	-	80,77,658.07	-	80,77,658.07
Change in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-
Restated balance as at April 01, 2020	**-**	**80,77,658.07**	**-**	**80,77,658.07**
Profit for the previous year	-	-	9,21,229.16	9,21,229.16
Other Comprehensive Income for the previous year	-	-	7,867.36	7,867.36
Total Comprehensive Income for the previous year	**-**	**-**	**9,29,096.52**	**9,29,096.52**
Transfer to general reserve	-	9,29,096.52	(9,29,096.52)	-
Share Application Money Received during the year	-	-	-	-
Shares issued from the Share Application Money pending allotment	-	-	-	-
Balance as at March 31, 2021	**-**	**90,06,754.59**	**-**	**90,06,754.59**

As per our Report of even date attached

For and on behalf of
M/s. Grover, Lalla & Mehta
Chartered Accountants

For and on behalf of the Board of Directors of National Handicapped Finance and Development Corporation

Sd/-
(CA Pankaj Bansal)
Partner
M. No.:502661
FRN: 002830N

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 03633935

Date: 27.06.2022
Place: New Delhi
UDIN:22502661ALSUVA3312

Sd/-
(R.K. Mishra)
Company Secretary

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2022

(Rs. in Hundreds)

Particulars	For the year ended 31st March, 2022	For the year ended 31st March, 2021
A. Cash Flow from Operating Activities		
Excess of Income over Expenditures before Exceptional Items and Tax	**6,20,071.91**	**9,21,229.16**
Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:		
Prior Period Adjustments		-
Other Comprehensive Income	(4,006.05)	7,867.36
Depreciation	49,876.33	48,198.71
Loss /(Profit) on sale/impairment/exchange of assets	(1,589.81)	(4,893.65)
Interest Income	(3,75,822.27)	(5,09,356.30)
Interest on Lease Liability	-	-
Operating profit before changes in operating Assets & liabilities (1)	**2,88,530.11**	**4,63,045.28**
Adjustments for:		
Decrease / (Increase) in Loans	19,50,244.95	(39,19,975.89)
Decrease / (Increase) in Other Financial Assets	(20,276.05)	1,18,003.85
Decrease / (Increase) in other Current Assets	8,403.61	55,076.60
Decrease / (Increase) in other Non Current Assets	2,371.46	3,121.88
(Decrease) / Increase in other Current Financial Liability	(2,29,851.02)	(7,06,308.17)
(Decrease) / Increase in other Current Liability	(26,177.28)	(52,174.02)
(Decrease)/ Increase in provisions	50,613.88	6,973.28
(Decrease) / Increase in Long Term Liability	-	(6,696.77)
(2)	17,35,329.55	(45,01,979.24)
Cash generated from operation (1+2)	**20,23,859.66**	**(40,38,933.96)**
Income Tax Paid (net of refunds)	7,664.40	(45,287.00)
Net Cash Outflow from Operating Activities	**20,16,195.26**	**(39,93,646.96)**
B. Cash Flow From Investing Activities		
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipments	5,382.09	7,443.40
Purchase of Property, Plant and Equipments	(20,716.11)	(32,838.51)
Interest Received	3,75,822.27	5,09,356.30
Investments in bank deposits (having original maturity of more than 3 months)	(31,13,101.58)	20,36,668.71
Net Cash Inflow from Investing Activities	**(27,52,613.33)**	**25,20,629.90**
C. Cash Flow From Financing Activities		
Issue of Share Capital	-	-
Increase in share application money pending allotment	-	-
Lease Liability	26,155.65	37,796.29
Interest on Lease Liabilty	-	-
Net Cash Inflow from Financing Activities	**26,155.65**	**37,796.29**
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	(7,10,262.42)	(14,35,220.78)
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :- 7)	15,66,066.20	30,01,286.98
Closing Cash & Cash Equivalents	**8,55,803.78**	**15,66,066.20**
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents		
Cash and Cash Equivalents as per Balance Sheet	**8,55,803.78**	**15,66,066.20**
Cash and Cash equivalents as at the end of the year (Refer note-7)	**8,55,803.78**	**15,66,066.20**

Notes:-

1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
2. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.
3. The Cash Flow Statement reflects the combined cash flows pertaining to continuing and discontinued operations.
4. Cash and Cash Equivalents consists of Cash & Bank Balances and Deposits with bank up to 3 months.

As per our Report of even date attached

For and on behalf of
M/s. Grover, Lalla & Mehta
Chartered Accountants

Sd/-
(CA Pankaj Bansal)
Partner
M. No.:502661
FRN: 002830N

Date: 27.06.2022
Place: New Delhi
UDIN:22502661ALSUVA3312

For and on behalf of the Board of Directors of National Handicapped Finance and Development Corporation

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 03633935

Sd/-
(R.K. Mishra)
Company Secretary

CORPORATE INFORMATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

1. Company Overview

National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) is domiciled in India and was incorporated on 24th January, 1997 under Section 25 of the Companies Act, 1956 (Corresponding to Section 8 of the Companies Act, 2013) as an Apex Corporation for the benefit of Persons with Disabilities throughout the country. It is an Apex Corporation under the aegis of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. The Corporation provides loan assistance for income generating activities and Education loan (for higher studies) of Persons with Disabilities at nominal rate of interest.

The Corporation is prohibited from declaring dividend and surplus, if any, generated are ploughed back for achievement of its objectives. The Corporation is registered u/s 12AA of the Income Tax Act, 1961. The Company is a Private Limited Company and allowed to dispense with the word 'Limited' from its name, being registered u/s 25 of the Companies Act, 1956. The Corporation is a Government Company as defined in Section 2(45) of Companies Act, 2013.

The Registered office of the Corporation is situated at Red Cross Bhavan, Sector-12, Faridabad (Haryana)-121007.

2.1. Basis of Preparation

a) Statement of Compliance

The financial statements for the reporting period have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 as Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, 2016, 2017 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2018.

b) Basis of Measurement

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, accrual basis and on-going-concern Basis except for the following that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

(a) Defined Benefit Plan and other long term employee benefits.

(b) Certain financial assets and liabilities.

c) Use of estimates and judgments

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include estimated useful life of property, plant and equipment, intangible assets and future obligation under employee benefit plan. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known/ materialize.

d) All financial information presented in Indian Rupees and all values are rounded to the nearest hundred upto two decimals except where otherwise stated.

2.2. Statement of Cash Flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby Surplus/ (Deficit) before tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Corporation are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and Term deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered as part of the Corporation's cash management system.

The Corporation has adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the balance sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosures requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

2.3. Revenue from Contracts with Customers

Corporation Recognizes revenue from contracts with customers based on five-steps as set out in Ind AS-115:

(i) Identify contracts with a customer: - A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for every contract that must be met.

(ii) Identify performance obligations in the contract: A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer goods or services to the customer.

(iii) Determine the transaction price: The transaction price is the amount of consideration to which the Corporation expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties.

(iv) Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract: For a contract that has more than one performance obligation, the Corporation allocates the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the Corporation expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.

(v) Recognise revenue when or as the Corporation satisfies a performance obligation by transferring promised goods or services to a customer. An asset is transferred when the customer obtains control of that asset.

- **Interest on Loans**

a. Interest on loans are accounted for on accrual basis at the effective rate of Interest.

b. Penal Interest on liquidated damages on defaulted payments is recognized on realization as its collectability is uncertain.

c. Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognized on realization basis.

- **Other Income**

  Interest incomes on FDR's and Bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest Rate Method.

2.4. Functional and Presentation Currency

Items Included in the Financial Statements are measured using the currency of primary economic environment in which the Corporation operates (Functional Currency). The financial statements are presented in Indian Rupee (INR), which is functional as well as presentation currency of company.

2.5. Grants/Contributions received from the Government/Other Organisations.

Accounting policy as it read before the amendments		Amendments in Accounting Policy during the year
a)	The Bank interest on Grant Funds is treated as income on accrual basis unless the terms and conditions of the Grant Fund Specify otherwise	*Para a) is deleted.* *(Deleted on basis of the companies (Corporate Social Responsibility Policies, 2021).)*
b)	Unspent grants and interest accrued thereon except a. above are treated as current liabilities	Unspent grants and interest accrued thereon are deferred and treated as current liabilities/ provision. *(Changes done due to a) above.)*
c)	Grants related to the assets shall be presented in the balance sheet by setting the grant as deferred income, such deferred income is recognized in the income & expenditure on a systematic basis over the useful life of the asset	Grants related to the assets shall be presented in the balance sheet by setting the grant as deferred income, such deferred income is recognized in the income & expenditure on a systematic basis over the useful life of the asset. *(No change)*

2.6. Income Tax

In view of the exemption available to the Corporation under section 12(AA) of the Income Tax Act, 1961, the provision for income tax liability is not considered necessary. Consequently the provisions of the Indian Accounting Standard 12 (Ind AS-12) on Income tax, deferred taxes and income tax computation and disclosures standards issued by CBDT are not applicable to the Company.

2.7. Property, plant and equipment

(a) Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any

Cost of asset includes the following:-

i. Cost directly attributable to the acquisition of the assets.

ii. Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

(b) Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition criteria are met.

(c) An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in the Statement of Income and Expenditure.

2.8. Depreciation & Amortization

Depreciation on property, plant and equipment is provided on written down value method over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

(a) Each part of an item of property, plant and equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset. The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are as follows:

Name of Assets	Useful Life(Years)
Building	60
Furniture & Fixtures	10
Office Equipment	05
Vehicles	08
Air Conditioners & Coolers	10
Computer	03

(b) Property, plant & equipment acquired under right to use of property - Straight line method.

(c) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date, with the effect of change(s) in estimate accounted for on a prospective basis.

(d) The property, plant and equipment acquired under Right of Use Assets is depreciated over the asset's useful life or over the shorter of the asset's useful life and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Corporation will obtain ownership at the end of the lease term.

2.9. Intangible Assets

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset(s) will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at acquisition cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

2.10. Impairment of Assets

The Corporation assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired; If any such indication exists, the Corporation estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the statement of Income and Expenditure.

2.11. Impairment of financial assets:

The Corporation assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

For all Financial Assets other than contract assets/Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has incurred significantly since its initial recognition.

ECL's impairment loss allowance (or reversal) is recognised during the period as income/ expenditure in statement of income & expenditure.

2.12. Employee Benefits

(i) Defined Benefit Plans

a. Gratuity and Leave Encashment

The Corporation has a defined benefit plan for payment of gratuity to employees, in respect of which the fund management is entrusted to Life Insurance Corporation of India (LIC). Every employee who has completed services of five years or more, is entitled to receive gratuity on leaving Corporation @ 15 days' salary {last drawn salary (Basic + Dearness Allowance)} for each completed year of service. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation. NHFDC has created a Trust namely "NHFDC Employees Group Gratuity Trust" for the aforesaid purpose.

b. Actuarial valuation has been carried out by Life Insurance Corporation of India (LIC) upto March "2017 and from the financial year 2017-18 onwards, by the KPAC & Associates to determine the liability of the Corporation for leave encashment and necessary amounts have been provided in the books of accounts accordingly.

c. Actuarial gain or loss on defined benefit plans are recognized in other comprehensive income.

(ii) Provident Fund

The Corporation contributes @ 12% as defined contribution to the Employees Provident Fund maintained by the Employees Provident Fund Organization, Faridabad (Haryana) under Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the same is charged to the Income & Expenditure Account.

(iii) Superannuation Benefits

The 3rd Pay Revision for Central Public Sector Enterprises has been implemented in the Corporation w.e.f. 01.01.2017. Pursuant to the guidelines of 3rd Pay Revision issued by Dept. of Public Enterprises (DPE), necessary approval of the Board of Directors and the Administrative Ministry, the Corporation is allowed to contribute upto 30% of the salary (Basic Pay plus IDA) towards Superannuation benefits of employees. These contributions are towards Employers' Contribution to Provident Fund, Gratuity, Pension and Post Retirement Medical benefits. However, the Corporation has discontinued making provision of 3% of Salary (Basic Pay plus IDA) of the employees for post-retirement medical benefit going by the spirit of the decision made in this regard by the Board at 105th meeting held on 27.08.2020

(iv) Performance Related Pay (PRP)

Department of Public Enterprises (DPE) vide its Office Memorandum No. W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XIII/17 dated 3rd Aug., 2017 interalia provided for Performance Related Pay(PRP) effective from 2017-18 and onwards. The PRP model will be applicable to those CPSEs which sign Memorandum of Understanding (MoU) and have a Remuneration Committee. The Remuneration Committee would decide on the payment of PRP within the prescribed limits and guidelines.

2.13. Earning Per Share

Basic Earning Per Shares is calculated by dividing the net surplus/ (deficit) for the period attributable to the equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. For the purpose of calculating Diluted Earnings Per Share, the net surplus/ (deficit) for the year attributable to the equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the year are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

2.14. Provision for Bad and Doubtful Loans

As per the approved policy of the Corporation, provision is made against bad and doubtful loans as under:-

a) Provision is made for bad and doubtful loan(s), which is/are outstanding for more than 5 (five) years and is/are not secured by Government Guarantee/Order/ Assurance etc. as on the date upto which the Balance Sheet is prepared.

b) In the case of Non Government Organizations (NGOs), provision for bad and doubtful loan(s) is made, if the amounts are overdue for more than three years as on the date of Balance Sheet, to the extent the overdue amount(s) is/are not secured against such security as provided in the policy of the Corporation. For this purpose, the value of Security shall be limited to 25% of the loan amount, where Fixed Deposit Receipt (FDR) is provided as security and/or 40% of the loan amount, where Collateral Security is furnished as security, by the NGO, as the case may be.

c) The provision is created to the extent of 100% of the loan (Principal/Interest past due for the period stated hereinabove) and not secured as stated above.

2.14 A. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

a) Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:

(i) The Corporation has a present obligation as a result of a past event.

(ii) Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and

(iii) The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Where the effect of the time value of money is material, the amount of a provision shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation.

b) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

(i) A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or

(ii) A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or

(iii) A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote. Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

2.15. Financial instruments: -

a) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

b) Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

At Amortised Cost

A financial asset shall be measured at amortised cost if both of the following conditions are met:

(i) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

(ii) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortised cost using effective interest rate method less impairment if any.

The EIR amortisation is included in finance income in the statement of Income and Expenditure.

At Fair Value through Other Comprehensive Income

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognised in the other comprehensive income (OCI). However, the Corporation recognises interest income,

impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to 'Income & Expenditure Account'. Interest earned is recognised using the EIR method.

At Fair Value through Income & Expenditure

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial asset, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL. In addition, the Corporation may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL, if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The Corporation has not designated any financial asset as at FVTPL. Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognised in the Statement of Income & Expenditure.

Financial liabilities

Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities initially recognised at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities at FVTPL

The Corporation has not designated any financial liabilities at FVTPL.

c) Derecognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of Income & Expenditure.

2.16. Fair Value Measurement

Corporation measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurements based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Corporation. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The Corporation uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs. Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

Level-1: Quoted (unadjusted) market prices in markets for identical assets or liabilities.

Level-2: Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

Level-3: Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Corporation determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Corporation analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Corporation verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Corporation also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable. For the purpose of fair value disclosures, the Corporation has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

2.17. Leases

The Corporation has applied Ind AS 116 using the modified retrospective approach and therefore the comparative information has not been restated and continues to be reported under Ind AS 17.

As a lessee

The company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-

use assets are determined on the same basis as those of property and equipment. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain re-measurements of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, Corporation's incremental borrowing rate. Generally, the Corporation uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

– Fixed payments, including in-substance fixed payments;

– Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date.

– Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and

The exercise price under a purchase option that the Corporation is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the Corporation is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Corporation is reasonably certain not to terminate early.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is re-measured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Corporation's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if Corporation changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is re-measured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Corporation presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property in 'property, plant and equipment' and lease liabilities in 'loans and borrowings' in the statement of financial position.

Short-term leases and leases of low-value assets -

The Corporation has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short term leases of real estate properties that have a lease term of 12 months. The Corporation recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Under Ind AS 17

In the comparative period, as a lessee the Corporation classified leases that transfer substantially all of the risks and rewards of ownership as finance leases. When this was the case, the leased assets were measured initially at an amount equal to the lower of their fair value and the present value of the minimum lease payments. Minimum lease payments were the payments over the lease term that the lessee was required to make, excluding any contingent rent.

Subsequently, the assets were accounted for in accordance with the accounting policy applicable to that asset.

(i) Operating Lease

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the statement of Income & Expenditure on a straight-line basis over the lease term except where the lease payments are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increase.

(ii) Finance Lease

Lease of property, plant and equipment where lessee, has transferred substantially all the risks and rewards of ownership are classified as financial leases. Financial leases are capitalized at the lease's inception at the fair value of the leased property or the present value of minimum lease payments whichever is lower. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in borrowings or other financial liabilities as appropriate. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to the Income or Expenditure over the lease period, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the policy on borrowing costs. Contingent rentals are recognized as expense in the period in which they are incurred. Leased asset is depreciated over the useful life of asset.

As a lessor

Lease income from operating leases where the Corporation is a lessor is recognised as income on a straight-line basis over the lease term unless the receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increases. The respective leased assets are included in the balance sheet based on their nature.

Arrangements in the nature of lease

The Corporation enters into agreements, comprising a transaction or series of related transactions that does not take the legal form of a lease but conveys the right to use the asset, in return for a payment or series of payments. In case of such arrangements, the Corporation applies the requirements of Ind AS 116 – Leases to the lease element of the arrangement. For the purpose of applying the requirements under Ind AS 116 – Leases, payments and other consideration required by the arrangement are separated at the inception of the arrangement into those for lease and those for other elements.

2.18. Events after the reporting Period

Material Events occurring after the Balance sheet date are taken into cognizance.

2.19. The accounting policies that are currently not relevant to the Corporation have not been disclosed. When such accounting policies become relevant, the same shall be disclosed.

Note: 3

Property, Plant and Equipment

A. Owned

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Furniture & Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Air Conditioners & Coolers	Office Space		Total
						Land	Building	
Gross carrying amount as at 1 April, 2020	1,10,679.27	7,937.53	4,412.00	10,664.03	10,777.85	13,27,449.31	2,81,976.80	17,53,896.79
Additions	397.71	24,960.05	438.96	7,041.79	-	-	-	32,838.51
Disposals	(0.44)	(7,937.51)	(1.07)	(0.16)	(0.08)	-	-	(7,939.26)
Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing carrying amount as at 31 Mar,2021	**1,11,076.54**	**24,960.07**	**4,849.89**	**17,705.66**	**10,777.77**	**13,27,449.31**	**2,81,976.80**	**17,78,796.04**
Accumulated Depreciation								
Opening Accumulated depreciation as at 1 April, 2020	63,604.25	4,642.31	2,889.15	7,266.06	6,325.21	-	38,808.02	1,23,535.00
Depreciation for the Year	12,159.48	2,562.39	644.30	5,122.70	1,122.29	-	11,843.21	33,454.37
Disposals/Adjustments	-	(5,454.27)	0.00	0.00	0.00	-	-	(5,454.27)
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar,2021	**75,763.73**	**1,750.43**	**3,533.45**	**12,388.76**	**7,447.50**	**-**	**50,651.23**	**1,51,535.10**
Net carrying amount as at 31st March, 2021	**35,312.81**	**23,209.64**	**1,316.44**	**5,316.90**	**3,330.27**	**13,27,449.31**	**2,31,325.57**	**16,27,260.94**
Gross carrying amount as at 1 April, 2021	1,11,076.54	24,960.07	4,849.89	17,705.66	10,777.77	13,27,449.31	2,81,976.80	17,78,796.04
Additions	2,438.62	-	2,945.29	12,055.20	-	-	-	17,439.11
Disposals	(1,177.04)	-	(1,252.00)	(3,371.58)	(668.75)	-	-	(6,469.37)
Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing carrying amount as at 31 Mar,2022	**1,12,338.12**	**24,960.07**	**6,543.18**	**26,389.28**	**10,109.02**	**13,27,449.31**	**2,81,976.80**	**17,89,765.78**
Accumulated Depreciation								
Opening Accumulated depreciation as at 1 April, 2021	75,763.73	1,750.43	3,533.45	12,388.76	7,447.50	-	50,651.23	1,51,535.10
Depreciation for the Year	9,355.13	7,248.37	1,124.19	6,664.82	815.50	-	11,265.56	36,473.57
Disposals/Adjustments	(981.10)	-	(1,189.40)	(2,832.44)	(635.31)	-	-	(5,638.25)
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar,2022	**84,137.76**	**8,998.80**	**3,468.24**	**16,221.14**	**7,627.69**	**-**	**61,916.79**	**1,82,370.42**
Net carrying amount								
At 31st March, 2022	**28,200.36**	**15,961.27**	**3,074.94**	**10,168.14**	**2,481.33**	**13,27,449.31**	**2,20,060.01**	**16,07,395.36**

B) Grant In Aid Fund (under Scholarship Scheme -Trust Fund)

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Furniture & Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Air Conditioners & Coolers	Office Space		Total
						Land	Building	
Gross carrying amount as at 1 April, 2020	370.52	-	636.89	1,629.22	279.19	-	-	**2,915.82**
Additions	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	-	(279.19)	-	-	**(279.19)**
Adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing carrying amount as at 31 Mar,2021	**370.52**	**-**	**636.89**	**1,629.22**	**-**	**-**	**-**	**2,636.63**
Accumulated Depreciation								
Opening Accumulated depreciaiton as at 1 April, 2020	219.75	-	487.52	1,477.04	180.42	-	-	**2,364.73**
Depreciation for the Year	39.05	-	-	70.15	34.02	-	-	**143.22**
Disposals	-	-	-	-	(214.44)	-	-	(214.44)
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar,2021	**258.80**	**-**	**487.52**	**1,547.19**	**-**	**-**	**-**	**2,293.51**
Net carrying amount as at 31st March, 2021	**111.72**	**-**	**149.37**	**82.03**	**-**	**-**	**-**	**343.12**
Gross carrying amount as at 1 April, 2021	370.52	-	636.89	1,629.22	-	-	-	**2,636.63**
Additions	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	-	-	-	-	-
Adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing carrying amount as at 31 Mar,2022	**370.52**	**-**	**636.89**	**1,629.22**	**-**	**-**	**-**	**2,636.63**
Accumulated Depreciation								
Opening Accumulated depreciation as at 1 April, 2021	258.80	-	487.52	1,547.19	-	-	-	**2,293.51**
Depreciation for the Year	28.93	-	-	0.57	-	-	-	**29.50**
Disposals	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar, 2022	**287.73**	**-**	**487.52**	**1,547.76**	**-**	**-**	**-**	**2,323.01**
Net carrying amount as at 31st March, 2022	**82.79**	**-**	**149.37**	**81.46**	**-**	**-**	**-**	**313.62**

C) Grant In Aid Fund (CSR Schemes)

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Furniture & Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Air Conditioners & Coolers	Office Space		Total
						Land	Building	
Gross carrying amount as at 1 April, 2020	284.80	-	299.37	490.82	-	-	-	**1,074.99**
Additions	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	-	-	-	-	-
Adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing carrying amount as at 31 Mar,2021	**284.80**	**-**	**299.37**	**490.82**	**-**	**-**	**-**	**1,074.99**
Accumulated Depreciation								
Opening Accumulated depreciation as at 1 April, 2020	169.01	-	241.51	457.77	-	-	-	**868.29**
Depreciation for the Year	30.09	-	26.41	4.55	-	-	-	**61.05**
Disposals	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar,2021	**199.10**	**-**	**267.92**	**462.32**	**-**	**-**	**-**	**929.34**
Net carrying amount as at 31st March, 2021	**85.70**	**-**	**31.45**	**28.50**	**-**	**-**	**-**	**145.65**
Gross carrying amount as at 1 April, 2021	284.80	-	299.37	490.82	-	-	-	**1,074.99**
Additions	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	(111.72)	(333.36)	-	-	-	**(445.08)**
Adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing carrying amount as at 31 Mar, 2022	**284.80**	**-**	**187.65**	**157.46**	**-**	**-**	**-**	**629.91**
Accumulated Depreciation								
Opening Accumulated depreciaiton as at 1 April, 2021	199.10	-	267.92	462.32	-	-	-	**929.34**
Depreciation for the Year	22.19	-	14.17	-	-	-	-	**36.36**
Disposals	-	-	105.02	315.90	-	-	-	**420.92**
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar,2022	**221.29**	**-**	**177.07**	**146.42**	**-**	**-**	**-**	**544.78**
Net carrying amount as at 31st March, 2022	**63.51**	**-**	**10.58**	**11.04**	**-**	**-**	**-**	**85.13**

D) Leased (Right of Use) Assets

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Furniture & Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Air Conditioners & Coolers	Office Space		Total
						Land	Building	
Gross carrying amount as at 1 April, 2020	-	-	-	-	-	-	**55,605.37**	**55,605.37**
Recognised during the year as per Ind AS 116	-	-	-	-	-	-	-	-
De-Recognised during the year as per Ind AS 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing carrying amount as at 31 Mar,2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55,605.37**	**55,605.37**
Accumulated Depreciation								
Opening Accumulated depreciaiton as at 1 April, 2020	-	-	-	-	-	-	**10,802.19**	**10,802.19**
Recognised during the year as per Ind AS 116	-	-	-	-	-	-	**10,802.19**	**10,802.19**
De-Recognised during the year as per Ind AS 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar,2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,604.38**	**21,604.38**
Net carrying amount as at 31st March, 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34,000.99**	**34,000.99**
Gross carrying amount as at 1 April, 2021	-	-	-	-	-	-	**55,605.37**	**55,605.37**
Recognised during the year as per Ind AS 116	-	-	-	-	-	-	-	-
De-Recognised during the year as per Ind AS 116	-	-	-	-	-	-	12,549.05	**12,549.05**
Closing carrying amount as at 31 Mar,2022	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,056.32**	**43,056.32**
Accumulated Depreciation								
Opening Accumulated depreciation as at 1 April, 2021	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,604.38**	**21,604.38**
Recognised during the year as per Ind AS 116	-	-	-	-	-	-	10,939.01	**10,939.01**
De-Recognised during the year as per Ind AS 116	-	-	-	-	-	-	9,612.03	
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar,2022	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,931.36**	**22,931.36**
Net carrying amount as at 31st March, 2022	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,124.96**	**20,124.96**

E) SIPDA Grant (Assets) **(Rs. in Hundreds)**

Particulars	Furniture & Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Air Conditioners & Coolers	Office Space		Total
						Land	Building	
Gross carrying amount as at 1 April, 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Additions	-	-	-	2,900.00	-	-	-	**2,900.00**
Disposals	-	-	-	-	-	-	-	-
Adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing carrying amount as at 31 Mar, 2022	-	-	-	**2,900.00**	-	-	-	**2,900.00**
Accumulated Depreciation								
Opening Accumulated depreciation as at 1 April, 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation for the Year	-	-		928.37	-	-	-	**928.37**
Disposals	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar, 2022	-	-	-	**928.37**	-	-	-	**928.37**
Net carrying amount as at 31st March, 2022	-	-	-	**1,971.63**	-	-	-	**1,971.63**
Total as at 31.03.22 (A+B+C+D+E)	**28,346.66**	**15,961.27**	**3,234.89**	**12,232.28**	**2,481.33**	**13,27,449.31**	**2,40,184.97**	**16,29,890.71**
Total as at 31.03.21 (A+B+C+D)	**35,510.23**	**23,209.64**	**1,497.26**	**5,427.43**	**3,330.27**	**13,27,449.31**	**2,65,326.56**	**16,61,750.70**
Total as at 31.03.20 (A+B+C+D)	**47,341.58**	**3,295.22**	**1,730.08**	**3,583.20**	**4,551.41**	**13,27,449.31**	**2,87,971.96**	**16,75,922.76**

Note : 3.1 Depreciation is provided on written down value method (WDV) in accordance with schedule II of the Companies Act, 2013.

Note : 3.2 Equipments/Assets purchased out of funds allowed from Grant-In-Aid (Trust Fund, SIPDA & CSR Fund) have been identified & hence reflected in the Books of Accounts of the Corporation. In view of the fact that these Property, Plant & Equipment have been acquired against grant for the Corporation. The Corporation has not incurred any expenditure for the same, Grant-In-Aid for Property, Plant & Equipment has been reflected as liability and amount equal to Depreciation on these Assets is apportioned out of Grant-In-Aid for Fixed Assets to the Miscellaneous Income account.

Note : 3.3 During the year the Corporation has vacated one of the lease property in Ujjain as on 31st March, 2022, resultant to which amount of Rs. 2937.02 (hundred) Right to Use Asset and an amount of Rs. 3857.70 (hundred) in Lease Liability has been derecognised.

Note : 4

Other Intangible Assets **(Rs. in Hundreds)**

Particulars	Computer software	Total
Gross carrying amount as at 1 April, 2020	9,826.22	9,826.22
Additions	-	-
Disposals	-	-
Adjustments	-	-
Closing carrying amount as at 31 Mar,2021	**9,826.22**	**9,826.22**
Accumulated Depreciation		
Opening Accumulated depreciation as at 1 April, 2020	3,908.05	3,908.05
Depreciation for the Year	3,737.88	3,737.88
Disposals	-	-
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar,2021	**7,645.93**	**7,645.93**
Net carrying amount as at 31st March, 2021	**2,180.29**	**2,180.29**
Gross carrying amount as at 1 April, 2021	9,826.22	9,826.22
Additions	377.00	377.00
Disposals	-	-
Adjustments	-	-
Closing carrying amount as at 31 Mar,2022	**10,203.22**	**10,203.22**
Accumulated Depreciation		
Opening Accumulated depreciation as at 1 April, 2021	7,645.93	7,645.93
Depreciation for the Year	1,469.52	1,469.52
Disposals	-	-
Closing Accumulated depreciation as at 31 Mar, 2021	**9,115.45**	**9,115.45**
Net carrying amount as at 31st March, 2022	**1,087.77**	**1,087.77**

Note :- 5

Financial Assets - Loans

Non-current portion of the Loans has been classified under 'non-current financial assets - loans' and current portion of the Loans has been classified under 'current financial assets - loans'.

(Rs. in Hundreds)

Particulars		As at 31st March, 2022			As at 31st Mar, 2021		
		Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(1) Loans							
(a)	Loan to Related Parties (NHFDC Foundation)	8,800.65	7,333.85	16,134.50	-	-	-
(b)	Other Loans (SCA's/ NGO's/PSB's/ RRB's/ Implementing Agencies/Direct Finance/Employees)	2,25,62,808.96	1,68,65,952.73	3,94,28,761.69	2,10,06,981.24	2,03,88,159.90	4,13,95,141.14
		2,25,71,609.61	**1,68,73,286.58**	**3,94,44,896.19**	2,10,06,981.24	2,03,88,159.90	4,13,95,141.14
(1) Loans to (SCA's/NGO's/PSB's/RRB's/Implementing Agencies/Direct Finance)							
	(5.1) Considered Good-Secured	1,18,70,533.35	1,54,10,518.09	2,72,81,051.44	1,00,04,205.72	1,82,58,480.47	2,82,62,686.19
	(5.2) Considered Good-Unsecured	1,05,90,473.83	14,26,157.36	1,20,16,631.19	1,08,90,747.52	20,97,254.72	1,29,88,002.24
	(5.2 a) Less: Allowance for loans						
	(5.3) Significant Increase in Credit Risk		82,518.12	82,518.12		83,813.64	83,813.64
	(5.3 a) Less: Allowance for loans		(82,518.12)	(82,518.12)		(83,813.64)	(83,813.64)
	(5.4) Loan Receivable - credit impaired						
		2,24,61,007.18	1,68,36,675.45	3,92,97,682.63	2,08,94,953.24	2,03,55,735.19	4,12,50,688.43

Particulars		As at 31st March, 2022			As at 31st Mar, 2021		
		Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(2)	**Loans to Employees(Other than Directors)**						
	Loans & Interest accrued (Amortized cost)						
	Considered Good-Unsecured	1,10,602.43	36,611.13	1,47,213.56	1,12,028.00	32,424.71	1,44,452.71
	Total	**2,25,71,609.61**	**1,68,73,286.58**	**3,94,44,896.19**	**2,10,06,981.24**	**2,03,88,159.90**	**4,13,95,141.14**

Note: 5.1.

Loans & Advances - (Considered Good-Secured) consists of;

i) Loans given to State Channelising Agencies (SCAs) are classified as secured and considered good to the extent of Govt. Guarantees, Orders & Assurances.

ii) Loans given under erstwhile Micro Credit Scheme are classified as secured and considered good to the extent of Security furnished with the Corporation.

iii) Loans given under Vishesh Micro Finance Yojana (VMY) are classified as secured and considered good to the extent of Bank Guarantee/ Fixed Deposit Receipts furnished by the borrower.

iv) Loans given directly to PwDs are secured and considered good to the extent of Hypothecation of Assets created out of Loan with the Corporation.

v) Loans given through Banking Channel i.e. PSBs and RRBs are classified as unsecured and considered good.

Note: 5.2 All current assets, loans and advances in the opinion of the Management have a value on realization, which in the ordinary course of business shall at least be equal to the amount, at which these are shown in the Balance Sheet.

Note:5.3 NPA's have been recognised as per policy approved by the corporation. 100% provisioning has been made for NPAs which has been reflected under Significant Increase in Credit Risk.

Note:5.4 The Corporation has released Rs.1352.19 Crore (Cumulative) till 31st March, 2022 for the benefit of Persons with Disabilities. Against the said amount, Rs. 58 Crore pertains to a period not exceeding four months (as on 31.03.2022). Against the balance amount of Rs. 1,294.91 Crore, the Corporation has accepted utilization and refund details in respect of Rs. 1,198.43 Crore and utilization and refund details of Rs. 35.51 crore is still awaited as on 31.03.2022 from implementing agencies.

Note: 5.5 Pursuant to decision of Board in its 107th Board meeting, the dues of the Corporation defaulted by the Implementing agencies beyond 15 days from the due date of payment, is treated as overdue. Accordingly Rs. 83.76 Crores is Principal overdue and Rs. 1.91 Crores is Interest overdue till 31st March, 2022.

Note : 6

Other Financial Assets

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022			As at 31st March, 2021		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Security Deposits	63,305.00		63,305.00	63,705.00		63,705.00
Amount Recoverable from staff		92.65	92.65		0.75	0.75
Amount Recoverable from :-						0.00
a. MSJE		8,126.22	8,126.22		327.10	327.10
b. UIDAI			0.00		197.99	197.99
c. NHFDC Foundation		1,037.85	1,037.85		6,331.50	6,331.50
d. DTTDC-Diili Haat		10,949.95	10,949.95		10,949.95	10,949.95
Interest Receivables:						
Interest Accrued but Not Due on Term Deposit		1,03,223.48	1,03,223.48		31,490.31	31,490.31
Interest receivable from SCA's, NGO's, PSB's, RRB's and Other Implementing Agencies		2,37,328.97	2,37,328.97		2,86,593.91	2,86,593.91
Interest accrued but not due - Education Loan	7,438.91		7,438.91	4,562.57		4,562.57
Interest accrued but not Due						
Less: Allowances for Interest Receivable on Loan		(1,214.44)	(1,214.44)		(703.57)	(703.57)
Interest Receivable on Security Deposit		9,953.49	9,953.49		9,527.64	9,527.64
Other Advances (Unsecured, considered good)		7,538.54	7,538.54		14,521.43	14,521.43
Less: Allowances for Expenses		(1,285.82)	(1,285.82)		(1,285.82)	(1,285.82)
Total	**70,743.91**	**3,75,750.89**	**4,46,494.80**	**68,267.57**	**3,57,951.18**	**4,26,218.75**

Note 6.1 An amount of Rs. 4,500.00 hundreds is given to M/s Indian Red Cross Society, Faridabad as "Security Deposit" for the premises of Red Cross Bhavan, Faridabad taken on lease by the Corporation. An amount of Rs. 55,805.00 hundreds is given to M/s. DLF Utilities Ltd. as maintenance "Security deposit". Interest accrued on both of these securities has been accounted as "Interest Receivable on Security Deposit".

Note 6.2 The Amount recoverable from DTTDC, DIILI Haat pertains to stalls surrendered by DEPwD, MSJE w.e.f. 01.06.2019. As these stalls have already been surrendered, the Corporation is to be refunded an amount of Rs. 10,949.95 (in hundreds).

Note: 7

Cash and Cash equivalents

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
(a) Balance with Banks		
In Saving Accounts	8,55,803.78	15,65,716.18
(b) Cash in Hand	-	350.02
(c) Deposits having original maturity of less than 3 months		
In NHFDC Fund	-	-
Total	**8,55,803.78**	**15,66,066.20**

Note: 8

Bank balances other than cash & cash equivalents

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Deposit Accounts with original maturity of 3 months and above but less than 12 months		
In NHFDC Fund	94,54,999.79	48,99,999.91
Earmarked Funds		
a) Fixed Deposit		
In Trust Fund	-	-
In SIPDA Fund	-	-
In CSR Fund	-	-
In Superannuation Medical Benefit Fund	58,671.71	55,396.81
b) Bank Balances in Grant Funds		
In Trust Fund	19,126.85	11,24,259.78
In CSR Fund	64,338.00	7,64,766.51
In SIPDA Fund	6,27,009.81	2,66,619.21
In Superannuation Medical Benefit Fund	17.77	20.13
Total	**1,02,24,163.93**	**71,11,062.35**

Note : 8.1 During the Financial Year 2021-22, the Corporation has transferred Grant Funds Balances to NHFDC Funds, Since the reconciliation of Grant Funds is under progress.

Note : 9

Current Tax Asset (Net)

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Income Tax (Refund) Receivable	25,332.11	17,667.71
	25,332.11	**17,667.71**

Note : 10

Other current & non current assets

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022			As at 31st March, 2021		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Prepaid Expenses		909.62	909.62		866.25	866.25
Imprest to Staff		-	-		7.92	7.92
Others					-	-
CSR Grant Receivable from Parties		-	-		6,426.58	6,426.58
Advance to Staff		-	-		2,230.32	2,230.32
Fair value adjustment account (Refer Note No-10.1)	57,334.83	8430.69	65,765.52	59,706.29	8,212.85	67,919.14
Total	**57,334.83**	**9,340.31**	**66,675.14**	**59,706.29**	**17,743.92**	**77,450.21**

Note 10.1. *Fair Value Adjustment Accounts represents amount towards unamortized portion of staff loans and advances or difference between the fair value of financial assets and loans given.*

Note : 11

Share Capital **(Rs. in Hundreds)**

Particulars		As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
(a)	Authorised	4,99,50,000.00	4,99,50,000.00
	Equity Shares of Rs.1,000 par value		
	49,95,000 Equity Shares with voting rights		
(b)	Issued	3,99,99,100.00	3,99,99,100.00
	Equity Shares of Rs. 1,000 par value		
	39,99,910 Equity Shares fully paid up with voting rights (Equity Share of Rs 1,000/- each)		
(c)	Subscribed and fully paid up	**3,99,99,100.00**	**3,99,99,100.00**
	Equity Shares of Rs. 1,000 par value		
	39,99,910 Equity Shares fully paid up with voting rights Equity Share of Rs 1,000 each		

Note : 11.1

Reconciliation of Number of Shares outstanding at the beginning and at the end of the year.

Particulars	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	(No. of Shares in Hundreds)	(Amount in Hundreds)	(No. of Shares in Hundreds)	(Amount in Hundreds)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	**39,999.10**	**3,99,99,100.00**	**39,999.10**	**3,99,99,100.00**
Add: Shares Issued during the year				
Issued/Subscribed and Paid up Equity Capital outstanding at the end of the year	**39,999.10**	**3,99,99,100.00**	**39,999.10**	**3,99,99,100.00**
Rights, preferences and restrictions attached to Equity Shares	-	-	-	-

The Corporation has only one class of equity shares having par value of Rs. 1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The Corporation being registered under Section 25 of the Companies Act,1956 (now Section 8 of the Companies Act 2013); no part of the surplus is declared as dividend and that the entire surplus is ploughed back for furtherance of objectives of the Corporation.

Note : 11.2

Details of Shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the company

Particulars	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	(No.'s of Shares in Hundreds)	% of holding	(No.'s of Shares in Hundreds)	% of holding
Equity shares				
All shares (except 1 share) are held by the President of India.	39,999.09	100%	39,999.09	100%
	39,999.09	100%	39,999.09	100%

Note : 11.3

Details of Shares held by Promoters at the end of the year

Particulars	Promoter Name	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021		%Change during 2021-22
		(No.'s of Shares in Hundreds)	% of holding	(No.'s of Shares in Hundreds)	% of holding	
Equity shares	President of India	39,999.09	100%	39,999.09	100%	NIL
	DDG- DEPwD	0.01	0%	0.01	0%	NIL
		39,999.10	100%	39,999.10	100%	

Note : 12

Other Equity

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
General Reserve	96,22,820.45	90,06,754.59
Retained Earnings	-	-
Total	**96,22,820.45**	**90,06,754.59**

Note : 12.1 General Reserve

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Balance as at the beginning of the year	90,06,754.59	80,77,658.07
Add: Transferred from Retained earnings	6,16,065.86	9,29,096.52
Closing Balance	**96,22,820.45**	**90,06,754.59**

Nature & Purpose of General Reserve

Note: 12.1 **a.** General Reserve represents the statutory reserves, in accordance with Companies Act, 2013 wherein a portion of Surplus is apportioned to General Reserve. As per the said Act, the transfer of any amount to General Reserve is at the discretion of the Corporation.

Note : 12.2

Retained Earning

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Balance at the beginning of the reporting period	-	-
Add: Profit during the period transferred from Statementof Income & Expenditure	6,20,071.91	9,21,229.16
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation (As per Acturial Valuation)	(4,006.05)	7,867.36
Less : Transferred to General Reserve	6,16,065.86	9,29,096.52
Closing Balance	-	-

The Company being registered under Section 25 of the Companies Act,1956 (now Section 8 of the Companies Act, 2013); no part of the surplus is declared as dividend and that the entire surplus is ploughed back for furtherance of objectives of the Corporation.

Note : 12.3

Share application money pending allotment

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Received during the year	-	-
Less: Shares alloted during the year	-	-
Closing Balance	-	**-**

Note : 13

Provisions

(Rs. in Hundreds)

Particulars		As at 31st March, 2022			As at 31st March, 2021		
		Non-Current	Current	Total	Non-Current	Current	Total
A)	**Provision for Employee Benefits:**						
(i)	Provision for Post Retirement Benefits (Medical Benefits)	53,881.08		53,881.08	49,398.95	-	49,398.95
(ii)	Provision for other defined benefit plans (net) (Leave Encashment)	1,43,498.02	1,670.32	1,45,168.34	1,31,884.13	2,189.27	1,34,073.40
B)	Other Provisions						
(i)	*Provision for Incentive to SCA's/RRBs/ PSBs*		65,864.18	65,864.18	-	28,295.58	28,295.58
(ii)	Provision for PRP		26,807.77	26,807.77	-	29,339.56	29,339.56
Total (A+B)		**1,97,379.10**	**94,342.27**	**2,91,721.37**	**1,81,283.08**	**59,824.41**	**2,41,107.49**

Note : 13.1

Details of provisions

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 1st April, 2021	Additions during the year	Utilized/ payments/Adj. during the year 2021-22	As at 31st March, 2022
(i) Provision for Post Retirement Benefits (Medical Benefits)	49,398.95	4,816.66	334.53	53,881.08
(ii) Provision for other defined benefit plans (net) (Leave Encashment)	1,34,073.40	21,831.89	10,736.95	1,45,168.34
(iii) Provision for Incentive to SCAs/RRBs/PSBs	28,295.58	42,476.36	4,907.76	65,864.18
(iv) Provision for PRP	29,339.56	14,174.26	14,013.90	29,499.92
Total	**2,41,107.49**	**83,299.17**	**29,993.14**	**2,94,413.52**

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 1st April, 2020	Additions during the year	Utilized/ payments during the year 2020-21	As at 31st March, 2021
(i) Provision for Post Retirement Benefits (Medical Benefits)	49,774.72	-	375.77	49,398.95
(ii) Provision for other defined benefit plans (net) (Leave Encashment)	1,30,463.72	24,642.04	21,032.36	134,073.40
(iii) Provision for Incentive for SCA's/RRBs/PSBs	34,055.24	28,295.58	34,055.24	28,295.58
(iv) Provision for CSR	5,826.63	13,137.59	18,964.22	-
(v) Provision for PRP	14,013.90	15,325.66	-	29,339.56
Total	**2,34,134.21**	**81,400.87**	**74,427.59**	**2,41,107.49**

1. The actuarial valuation for leave encashment was done through M/s. KPAC & Associates.

2. 3rd Pay Revision for CPSEs issued by Department of Public Enterprises has been implemented in the Corporation with efffect from 1.1.2017 subsequent to approval by the Board of Directors and Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India. Accordingly, the Corporation is required to provide towards Super annuation benefits (Employer's contribution to Provident Fund, Gratuity, Pension and Post Retirement Medical benefits) upto 30% of the Basic Pay & IDA of the employees. However, no provision of Post Retirement Medical Benefit has been made during the year as per the decision of the Board at the meeting held on 27.08.2020. Contribution to PF is made to EPFO and contribtion to Gratuity and Pension are managed by Life Insurance Corporation of India. Contribution to Post Retirement Medical Benefit has not yet been assigned to any agecy/fund manager till date.

3. **Performance Related Pay** : Provision in respect of PRP has been made in the books of accounts in accordance with relevant guidelines issued by Department of Public Enterprises, (DPE), GOI from time to time.

4. **Provision for Incentive for SCAs/PSBs/RRBs :** The Corporation encourages implementing agencies to repay NHFDC's dues in time and has framed a policy to give incentive to those achieving criteria laid down in this regard. Accordingly, Rs.44,697.70/- hundreds as on 31st March 2022 (Rs 29,730.66/- hundreds as on 31st March 2021) has been provided for giving incentive to those agencies who are entitled for the same .

5. **Provision for CSR :** Provision for CSR of an amount of Rs.17,960.07/- (in Hundreds) has been made as per Companies Act 2013, being 2% of Average surplus of Preceding 3 Years for the financial year 2021-22 (Rs.13,137.59/- hundreds for financial year 2020-21).

(Rs. in Hundred)

Particulars		2021-22	2020-21
(i)	Amount required to be spent by the company during the year	17,960.07	13,112.63
(ii)	Amount of expenditure incurred	17,960.07	13,112.63
(iii)	Shortfall at the end of the year	-	-
(iv)	Total of previous years shortfall	-	-
(v)	Reason for Shortfall	-	-
(vi)	Nature of CSR Activities	Covid relief and Health Care Activities	Livelihood support post Covid 19
(vii)	Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,	15,210.07	16,464.22
(viii)	where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately	Nil	Nil

Note: - 14

Other Financial Liabilities **(Rs. in Hundreds)**

Particulars	As at 31st March, 2022	As at 31st March, 2021
Other Payable (Parties)	39,449.05	26,379.48
Other Payable (Staff)	11,868.30	34,107.26
Other Payable - CMD	-	131.20
Security Deposits from Parties	150.00	150.00
Grant in Aid		
CSR Grant in Aid	6,33,377.03	6,85,494.24
Scholarship Scheme (Trust Fund)	11,80,243.08	11,61,495.30
SIPDA Grants	8,47,894.94	10,33,875.94
Grant in Aid for LED TV	-	1,200.00
Total	**27,12,982.40**	**29,42,833.42**

Note : 15

Other Liabilities

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As as 31st March, 2022			As as 31st March, 2021		
	Non-Current	Current	Total	Non-Current	Current	Total
Statutory Dues						
EPF Payable		6,479.50	6,479.50		5,858.21	5,858.21
TDS Payable		13,082.63	13,082.63		11,416.57	11,416.57
Pension Payable		425.00	425.00		425.00	425.00
GST Payable		941.01	941.01		157.21	157.21
Others						
NHFDC Group Gratuity Scheme		19,000.54	19,000.54		11,599.80	11,599.80
Grant In Aid for Fixed Assets (Trust Fund)	313.62		313.62	343.12		343.12
Grant in Aid for Fixed Assets (CSR Fund)	109.29		109.29	145.65		145.65
Grant in Aid for Fixed Assets (LED TV)	1,212.98		1,212.98			
Lease Liability - Ind AS	15,175.22	10,980.42	26,155.65	27,106.89	10,689.40	37,796.29
Total	**16,811.11**	**50,909.10**	**67,720.22**	**27,595.66**	**40,146.19**	**67,741.85**

Note : 16

Revenue From Operations **(Rs. in Hundreds)**

	Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
a)	**Interest on Loan**		
	Interest on Loan - SCA	8,18,410.02	7,87,134.43
	Interest on Loan - PSB	7,888.52	7,686.34
	Interest on Loan - RRB	34,048.04	63,273.52
	Interest on Loan - Direct Financing	10,235.38	3,302.96
	Interest on Micro Credit Scheme (MCS)	1,57,722.07	1,05,092.64
b)	Penal Interest	172.53	10,304.51
c)	Implementation Income	16,636.34	35,771.95
d)	Job-outreach	19,680.00	1,20,352.00
e)	Provisions/Liabilities Written Back	784.65	12,555.61
Total		**10,65,577.55**	**11,45,473.96**

(i) Interest on loans are accounted for on accrual basis at the effective rate of interest.

(ii) Excess provisions made in earlier years have been written back as details below

(Rs. In Hundreds)

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
Provision for Unsecured Overdue Loans	-	-
Provision for Bad & Doubtful Debts Written Off	784.65	3,356.27
Excess Libilities written Off		9,199.34
	784.65	**12,555.61**

Note : 17

Other Income

(Rs. in Hundreds)

Particulars		Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
(a)	**Interest Income**		
	Interest on Bank Deposits	3,44,973.22	4,92,356.94
	Interest on savings bank deposits	30,849.05	16,999.36
	Interest on advances to employees	10,267.55	7,825.18
	Interest on Security Deposits	2,968.76	2,911.75
(b)	**Other Non Operating Income**		
	Amortisation of Grant Funds for fixed assets	432.58	269.02
	Profit on sale of fixed assets	1,589.81	4,893.65
	Interest on Income tax refund	965.61	2,655.21
	Miscellaneous Income	7,014.45	7,826.57
	Liabilities Written Off	700.86	1,142.50
Total		**3,99,761.89**	**5,36,880.18**

(ii) Excess provisions made in earlier years have been written back as details below

(Rs. In Hundreds)

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
Excess Liabilities written off	700.86	1,142.50
	700.86	**1,142.50**

Note : 18

Employee Benefits Expenses **(Rs. in Hundreds)**

Particulars		Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
a)	**Salary & wages**		
	Salary and Allowances- CMD	43,578.28	39,708.60
	Salary and Allowances- Staff	4,20,628.88	4,12,112.76
b)	**Contribution to Provident & Other Funds**		
	Gratuity	12,990.02	13,763.04
	Contributions to Provident and Other Funds	35,747.09	34,806.63
	Leave Salary	20,385.49	24,642.04
	Superannuation Benefit Scheme	28,339.98	28,071.31
c)	**Fair Value adjustment Account-Loan & Advances to Staff**	(4,611.38)	(8,866.24)
d)	**Performance Related Pay**	11,482.11	15,325.66
Total		**5,68,540.47**	**5,59,563.80**

Note :- 19

Finance Cost **(Rs. in Hundreds)**

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
Interest on Grant Funds	42,917.69	-
Interest Cost on Lease Liability	5,254.13	5,373.94
Total	**48,171.82**	**5,373.94**

Note : 20

Depreciation and Amortization Costs **(Rs. in Hundreds)**

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
Depreciation on Tangible Assets (refer note no. 3)	37,467.80	33,658.64
Amortisation on Intangible Assets (refer note no. 4.1)	1,469.52	3,737.88
Depreciation on Right of use Assets (Refer note no.3 d)	10,939.01	10,802.19
Total	**49,876.33**	**48,198.71**

Note :- 21

Other Expenses **(Rs. in Hundreds)**

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
AMC Charges	618.66	823.67
Auditors Remuneration (refer note no (i) for details)	3,540.00	3,717.00
Internal Auditors fee	2,938.20	1,770.00
CSR Contribution	17,960.07	13,137.59
Electricity Charges	8,869.81	6,617.76
Fuel Charges for Vehicles	2,884.96	4,794.53
Incentive to Implemetation Agency	44,697.70	29,730.66
Insurance Charges	234.01	485.47
Lease Rent	8,400.00	8,400.00
Legal & Professional Charges	7,427.49	7,097.91
Miscellaneous Expenses (refer note no (iii) for details)	21,866.49	12,422.40
Honorarium & Sitting Fees	930.00	620.00
Office Maintenance Expenses	30.28	17,443.19
Outsourcing Expenses	13,241.56	5,795.50
Printing and Stationery Expenses	3,930.99	1,705.04
Promotional Expenses (refer note no (ii) for details)	9,156.03	10,086.25
Rates & Taxes	1,493.13	6,885.04
Repair & Maintenance	3,223.09	4,009.00
Telephone Expenses	6,014.34	6,009.54
Travelling Expenses	13,810.06	2,505.18
Vehicle Running & Hiring Charges	7,412.04	3,932.80
Total	**1,78,678.91**	**1,47,988.53**

(i) Payments to Auditors

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
Audit Fees		
a) Statutory Audit	2,950.00	2,950.00
b) Taxation matters	590.00	590.00
c) Company Law Matters	-	-
d) For Management Services	-	-
f) Reimbursement of expenses	-	177.00
Total	**3,540.00**	**3,717.00**

(ii) Promotional Expenses

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
Advertisement Expenses	697.16	1,687.37
Awareness Creation/Publicity Expenses	2,823.69	7,541.56
Exhibition/Social Development Expenses/Job Fair	5,635.18	816.96
Workshop/Conference/Seminar Expenses	-	40.36
Total	**9,156.03**	**10,086.25**

(iii) Misc. Expenses

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
Meeting Exp.	7,004.49	1,933.35
Membership Fees	1,232.99	1,152.47
Reimbursement of AIS Allowance	1,152.00	1,152.00
Audit Expenses- Group Gratuity Trust	-	118.00
Bank Charges	68.62	135.19
Books & Periodicals Exp	137.39	403.95
Conveyance Reimbursement	429.78	215.36
Registration / Filing Charges	118.00	106.00
Stipend-Trainees	1,164.20	586.34
Guest/ Visitors Entertainment Expenses	719.10	375.23
Interest on TDS	355.28	-
LTC Charges	-	1,208.64
Medical Reimbursement	6,472.00	4,254.64
Training Exp.-Staff	2,360.00	29.40
Postage Expenses	652.64	751.83
Total	**21,866.49**	**12,422.40**

Note : 22

Components of Other Comprehensive Income (OCI)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:-

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
Remeasurement of Defined Benefit plans		
Gratuity	(4,006.05)	7,867.36
Total	**(4,006.05)**	**7,867.36**

Note : 23

Earnings per share (EPS) **(Amount in Rs.)**

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
From continuing operation		
Basic EPS	15.50	23.03
Diluted EPS	15.50	23.03
From dis-continued operation		
Basic EPS	0.00	0.00
Diluted EPS	0.00	0.00
From continuing and dis-continued operation		
Basic EPS	15.50	23.03
Diluted EPS	15.50	23.03

23.1 Basic Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share:-

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	6,20,071.91	9,21,229.16
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	6,20,071.91	9,21,229.16
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	39,999.10	39,999.10

23.2 Diluted Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Figures for the current reporting year ended 31st March, 2022	Figures for the previous reporting year ended 31st March, 2021
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	6,20,071.91	9,21,229.16
Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	**6,20,071.91**	**9,21,229.16**
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	39,999.10	39,999.10
Effect of Dilution :		
Share Application Money Pending Allotment		
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	**39,999.10**	**39,999.10**

Note : 24 Contingent Liability

Contingent Items:

i) Contingent Liabilities:

a) During the year one case have been filed in High Court of Delhi by the staff towards refixation of her pay and payment of arrears of her pay fixation w.e.f. 23.02.2007 (since joining of her in NHFDC from DRC Project) in accordance with 6th pay commission applicable to other employees who were similar placed from DRC Project. Company has contested the demand and hearing is fixed on 29.07.2022.

Note : 25

Effect of change in accounting policy

(Rs. in Hundreds)

Policy No	Accounting policy	Remarks	Effect on Profit
2.5 (a)	The Bank interest on Grant Funds is treated as income on accrual basis unless the terms and conditions of the Grant Fund Specify otherwise	Para a) is deleted.(Deleted on basis of the companies (Corporate Social Responsibility Policies, 2021).	*Rs. 29,121.35 (decreased)*
2.5 b)	Unspent grants and interest accrued thereon except a. above are treated as current liabilities	Unspent grants and interest accrued thereon are deferred and treated as current liabilities/ provision. (Changes done due to a) above).	No impact
2.5 c)	Grants related to the assets shall be presented in the balance sheet by setting the grant as deferred income, such deferred income is recognized in the income & expenditure on a systematic basis over the useful life of the asset	Grants related to the assets shall be presented in the balance sheet by setting the grant as deferred income, such deferred income is recognized in the income & expenditure on a systematic basis over the useful life of the asset. (no change)	No impact

Note : 26 Disclosure under Ind AS -20

CSR Grant in Aid

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Opening Balance at the beginning of the Financial Year	6,85,494.24	5,48,511.49
Add : Additions during the Financial Year	92,338.03	2,83,747.41
Total	**7,77,832.27**	**8,32,258.90**
Less:		
a) Amount incurred as per Fund Scheme (net)	1,15,333.89	1,46,764.66
b) Interest earned on Grant Funds (Financial Year)	29,121.35	-
Closing Balance at the end of the financial year	**6,33,377.03**	**6,85,494.24**

Scholarship Scheme (Trust Fund) **(Rs. in Hundreds)**

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Opening Balance at the beginning of the Financial Year		
Grant Funds	6,40,257.08	6,92,438.21
Interest earned on Grant Funds (earlier years)	5,21,238.22	4,58,880.72
Total	**11,61,495.30**	**11,51,318.93**
Add : a) Additions during the Financial Year	-	-
b) Interest earned on Grant Funds (Financial Year)	32,914.72	62,357.50
Total	**11,94,410.02**	**12,13,676.43**
Less:		
a) Amount Disbursed/Utilised for Scholarship Awards (net)	2,961.00	37,781.18
b) Amount incurred towards Administrative Expenses	11,205.94	14,399.95
Closing Balance at the end of the financial year		
Grants Funds	6,26,090.14	6,40,257.08
Interest earned on Grant Funds	5,54,152.94	5,21,238.22
Total	**11,80,243.08**	**11,61,495.30**

SIPDA Grant **(Rs. in Hundreds)**

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Opening Balance at the beginning of the Financial Year		
Grants Fund	7,63,736.80	13,66,805.77
Interest earned on Grant Funds (earlier years)	2,70,139.14	2,13,807.75
Total	**10,33,875.94**	**15,80,613.52**
Add : a) Additions during the Financial Year	-	-
b) Interest earned on Grant Funds (Financial Year)	35,973.29	56,331.39
Total	**10,69,849.23**	**16,36,944.91**
Less:		
Interest refunded during the year	1,25,000.00	-
a) Amount Disbursed/Utilised for SIPDA (net)	96,954.29	6,03,068.97
Closing Balance at the end of the financial year		
Grant Funds	5,41,782.51	7,63,736.80
Interest earned on Grant Funds	3,06,112.43	2,70,139.14
Total	**8,47,894.94**	**10,33,875.94**

Note : 27 Amount Recoverable from DTTDC- Dilli Haat

An amount of Rs. 34,375.00/- hundreds was paid on 31st March'2009 to Delhi Tourism & Transport Development Corporation (DTTDC) for acquiring three stalls at Dilli Haat, Pitampura. Agreement to this effect had been signed between Delhi Tourism & Transport Development Corporation and Ministry of Social Justice & Empowerment on 9th June'2010. The period of lease was upto 17th June'2023 i.e. 12 years 8 months and 17 days. The aforesaid stalls were surrendered by DEPwD, MSJE w.e.f. 01.06.2019. An amount of Rs. 10,949.95 (Hundred) is shown as Recoverable by the Corporation.

Note : 28

Employee benefit plans

Defined contribution plans

The Corporation makes Provident Fund and Superannuation Fund contributions to defined contribution plans for the employees. Under the Schemes, the Corporation is required to contribute a specified percentage of the payroll costs to fund the benefits. The Corporation recognised Rs.28,339.98/- hundreds for the Year ended 31 March, 2022 (Rs.28,071.31/- hundreds for Year ended 31 March, 2021) for Superannuation Benefit Pension Fund in the statement of Income and Expenditure. The contributions to these plans by the Corporation are in conformity with Pay Revision (3rd Pay revision) Guidelines issued by DPE.

Defined benefit plans

The Corporation offers the following employee benefit schemes to its employees:

i. Gratuity

ii. Leave Encasement

iii. Post-employment Superannuation Benefits

The following table sets out the funded status of the defined benefit schemes and the amount recognised in the financial statements:

Earned Leave

Assets and Liability (Balance Sheet Position)

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Present Value of Obligation	99,329.48	1,01,799.25
Fair Value of Plan Assets		
Surplus / (Deficit)	(99,329.48)	(1,01,799.25)
Effects of Asset Ceiling, if any		
Net Asset / (Liability)	(99,329.48)	(1,01,799.25)

Expenses Recognised in Income Statement

(Rs. in Hundreds)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Present value of obligation as at the beginning	1,01,799.25	98,102.29
Present value of obligation as at the end	99,329.48	1,01,799.25
Benefit payment	1,592.58	21,695.58
Actual return or plan assets		
Acquisition adjustment		
Transfer In		
Expenses Recognised in Income Statement	(877.19)	25,392.54

Bifurcation of Present value of obligation at the end of the year as per revised Schedule III of the Companies Act,2013

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Current Liability (Short term)	1,366.35	2,037.80
Non-Current Liability (Long term)	97,963.13	99,761.45
Present value of obligation as at the year end	99,329.48	1,01,799.25

Demographic Assumptions

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Mortality Rate	100% of IALM 2012-14	100% of IALM 2012-14

Actuarial assumptions

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Discount rate (per annum)	7.25%	6.75%
Salary growth rate (per annum)	6.00%	6.00%

Half Pay Leave

Assets and Liability (Balance Sheet Position)

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Present Value of Obligation	52,873.61	31,610.93
Fair Value of Plan Assets		
Surplus / (Deficit)	(52,873.61)	(31,610.93)
Effects of Asset Ceiling, if any		
Net Asset / (Liability)	(52,873.61)	(31,610.93)

Expenses Recognised in Income Statement

(Rs. in Hundreds)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Present value of obligation as at the beginning	31,610.93	32,361.43
Present value of obligation as at the end	52,873.61	31,610.93
Benefit payment		
Actual return or plan assets		
Acquisition adjustment		
Expenses Recognised in Income Statement	21,262.68	(750.50)

Bifurcation of Present value of obligation at the end of the year as per revised Schedule III of the Companies Act,2013

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Current Liability (Short term)	303.97	151.47
Non-Current Liability (Long term)	52,569.64	31,459.46
Present value of obligation as at the end	52,873.61	31,610.93

Demographic Assumptions

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Mortality Rate	100% of IALM 2012-14	100% of IALM 2012-14

Actuarial assumptions

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Discount rate (per annum)	7.25%	6.75%
Salary growth rate (per annum)	6.00%	6.00%

Gratuity

Changes in the Present value of obligation

(Rs. in Hundreds)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Present value of obligation as at the beginning	1,47,499.86	1,46,711.43
Current Service Cost	10,812.35	10,425.95
Interest Expense or Cost	9,949.20	9,896.01
Re-measurement (or Acturial) (gain) /Loss arising from:		
Change in demographic assumptions		
Change in financial assumptions	(8,902.78)	
experience variance (i.e. Actual experience VS assumptions)	5,342.37	(306.39)
Others		
Past Service Cost		
Effect of change in foreign exchange rates		
Benefits Paid		(19,227.14)
Transfer In		
Acquisition Adjustment		
Effect of business combinations or Disposals		
Changes in the Present value of obligation	**1,64,701.00**	**1,47,499.86**

Changes in the Fair Value of Plan Assets

(Rs. in Hundreds)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Fair value of Plan Assets as at the beginning	**1,15,215.29**	**97,238.06**
Investment Income	7,771.53	6,558.92
Employer's Contribution		23,084.48
Employee's Contribution		
Benefits Paid		(19,227.14)
Return on Plan assets, excluding amount recognised in net interest expense	(7,566.46)	7,560.97
Acquisition Adjustment		
Transfer In		
Fair value of Plan Assets as at the end	**1,15,420.36**	**1,15,215.29**

Expenses Recognised in the Income Statement

(Rs. in Hundreds)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Current Service Cost	10,812.35	10,425.95
Past Service Cost		
Loss/ (Gain) on settlement		
Net Interest Cost / (Income) on the Net Defined Benefit Liability/ (Asset)	2,177.67	3,337.09
Expenses Recognised in the Income Statement	**12,990.02**	**13,763.04**

Other Comprehensive Income

(Rs. in Hundreds)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Actuarial (gains) / losses		
- change in demographic assumptions		0
- change in financial assumptions	(8,902.78)	-
- experience variance (i.e. Actual experience vs assumptions)	5,342.37	(306.39)
- others		0
Return on plan assets, excluding amount recognised in net interest expense	7,566.46	(7,560.97)
Re-measurement (or Actuarial) (gain)/loss arising because of change in effect of asset ceiling		
Components of defined benefit costs recognised in other comprehensive income	**4,006.05**	**(7,867.36)**

Assets and Liability (Balance Sheet Position)

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Present Value of Obligation	1,64,701.00	1,47,499.86
Fair Value of Plan Assets	1,15,420.36	1,15,215.29
Surplus / (Deficit)	**(49,280.64)**	**(32,284.57)**
Effects of Asset Ceiling, if any		
Net Asset / (Liability)	**(49,280.64)**	**(32,284.57)**

Expenses Recognized during the period

(Rs. in Hundreds)

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
In Income Statement	12,990.02	13,763.04
In Other Comprehensive Income	4,006.05	(7,867.36)
Total Expenses Recognized during the period	**16,996.07**	**5,895.68**

Bifurcation of Present value of obligation at the end of the year as per revised Schedule III of the Companies Act,2013

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Current Liability (Short term)	3,537.27	2,982.99
Non-Current Liability (Long term)	1,61,163.73	1,44,516.87
Present value of obligation as at the end	**1,64,701.00**	**1,47,499.86**

Demographic Assumptions

Particulars	For the Year ended March 31, 2022	For the Year ended March 31, 2021
Mortality Rate (IALM 2006-08)	100% of IALM 2012-14	100% of IALM 2012-14
Actuarial assumptions		
Discount rate	7.25%	6.75%
Salary escalation	6.00%	6.00%
Withdrawal Rate	1% to 3% depending on age	

Total Post Employment medical Benefits / Superannuation Benefits

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As on March 31, 2022	As on March 31, 2021
Change in defined benefit obligation (DBO) during the year		
Present value of DBO at beging of the year	2,53,010.81	2,24,939.50
Current service cost	28,339.98	28,071.31
Past service cost		
Benefits paid		
Present value of DBO at end of the year	**2,81,350.79**	**2,53,010.81**

Notes : 29

Related Party Disclosures

i. Key managerial personnel

(a) Mr. Rajan Sehgal, Chairman-cum-Managing Director(C.M.D)

(b) Mr. D R Sarin, Director (upto 31.12.2021)

(c) Mr. Sanjay Pandey

(d) Dr. Priyanka Chaudhry

(e) Shri Kishor Baburao Surwade

(f) Shri Mitesh Sinha

(g) Dr. Alka Sharma (w.e.f. 05.02.2021)

(h) Dr. Jawaharlal Zonglozu (07.01.2022)

(i) Dr. Priyasheel Hada (07.01.2022)

(j) Mr. R.K Mishra, Company Secretary

ii. Key Managerial Personnel having significant Influence

(a) NHFDC Foundation

iii. Relative of Key Managerial Personnel

Smt. Indu Sehgal

29.1 Compensation of key management personnel:

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year:

(Rs. in Hundreds)

Particulars	Year ended 31st March, 2022		Year ended 31st March, 2021	
	CMD	CS	CMD	CS
(a) Short Term Benefits	35,659.36	31,364.02	31,997.64	27,862.60
(b) Post Employee Benefits	7,918.92	2,144.78	7,710.96	1,615.87
(c) Other Long Term Benefits	-	-	-	-
(d) Termination Benefits	-	-	-	-
(e) Share Based payment	-	-	-	-
	43,578.28	**33,508.80**	**39,708.60**	**29,478.47**

Particulars	Year ended 31st March, 2022			Year ended 31st March, 2021
	Dr. P.S Hada	Dr. Priyanka Chaudhary	Shri Jawaharlal Zongluzu	Dr. Priyanka Chaudhary
Sitting Fee	40.00	40.00	40.00	80.00
	40.00	**40.00**	**40.00**	**80.00**

Details of related party transactions:

(Rs. in Hundreds)

Nature of Transaction	Name of Related Party	Relationship	For the Year ended 31st March, 2022	For the Year ended 31st March, 2021
Payments made on behalf of Party	NHFDC Foundation	Key Management personnel having Significant Influence	1,037.85	6,331.50
Advance Payment for arranging infrastructure for conducting skill training under SIPDA Scheme			-	51,810.00
Payments for Taxi Hire Charges			3,960.95	3,276.00
Release of Corporation's CSR Contribution as Implementation Agency			15,210.07	16,464.22
Payment of Lease Rent	Smt. Indu Sehgal	Relative of KMP	8,400.00	8,400.00
Security deposit			1,400.00	1,400.00

Loans or Advances granted to promoters, directors, KMPs and the related parties

(Rs. In Hundred)

Type of Borrower	For the Year ended 31st March, 2022		For the Year ended 31st March, 2021	
	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
Promoters				
Directors				
KMPs	5,239.83	0.01%	6,050.29	0.01%
Related Parties (NHFDC Foundation)	16,139.50	0.04%	-	-

29.2 Transactions with the Government Related entities

Apart from transactions reported above, the company has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following:-

Name of Government: Government of India, through Ministry of Social Justice and Empowerment (100% Capital Contribution)

Certain significant Transactions:- **(Rs. in Hundreds)**

Party	Nature of Transactions	Year ended 31st March, 2022	Year ended 31st March, 2021
Ministry of Social Justice and Empowerment	Other Schemes	379.70	1,200.00
		379.70	**1,200.00**

Note : 30

Current Trade Payables **(Rs. in Hundreds)**

Outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	-	-
Others	-	-
Unbilled Dues	-	-
Total	**-**	**-**

As at March 31, 2022 **(Rs. in Hundreds)**

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 yrs.	2-3 yrs.	More than 3 yrs.	
(i) MSME			-	-	-	-
(ii) Others		-	-	-	-	-
Total (ii)		-	-	-	-	-
(iii) Disputed Dues-MSME		-	-	-	-	-
(iv) Disputed Dues- Others		-	-	-	-	-
Total (i) + (ii) + (iii) + (iv)		-	-	-	-	-
Add:- Unbilled Dues		-	-	-	-	-
Total					**-**	**-**

As at March 31, 2021

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 yrs.	2-3 yrs.	More than 3 yrs.	
(i) MSME		-	-	-	-	-
(ii) Others		-	-	-	-	-
Total (ii)		-	-	-	-	-
(iii) Disputed Dues-MSME		-	-	-	-	-
(iv) Disputed Dues- Others		-	-	-	-	-
Total (i) + (ii) + (iii) + (iv)		-	-	-	-	-
Add:- Unbilled Dues		-	-	-	-	-
Total					**-**	**-**

Notes : 31

Capital management

The company objective is to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum benefit to all stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. It does not have any liability towards borrowings. Company manages its working capital requirements through internal accruals.

No change was made in the objectives, policies or processes for managing capital during the financial year ended on 31 March 2022.

Note : 32

Fair Value measurements

(i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow:

(Rs. in Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022			As at 31st March, 2021		
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	8,55,803.78	-	-	15,66,066.20
(ii) Other Bank balances	-	-	1,02,24,163.93	-	-	71,11,062.35
(iii) Security Deposits	-	-	63,305.00	-	-	63,705.00
(iv) Other Financial Assets	-	-	3,83,189.80	-	-	3,62,513.75
(v) Loans	-	-	3,92,97,682.63	-	-	4,12,50,688.43
(vi) Staff Loans & advances	-	-	1,47,213.56	-	-	1,44,452.71
Total Financial Assets	**-**	**-**	**5,09,71,358.70**	**-**	**-**	**5,04,98,488.44**
Financial Liabilities						
(i) Other financial liabilities	-	-	27,12,982.40	-	-	29,42,833.42
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**27,12,982.40**	**-**	**-**	**29,42,833.42**

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value

(Rs. In Hundreds)

Particulars	As at 31st March, 2022		As at 31st March, 2021	
	Carrying Value	Fair value	Carrying Value	Fair value
Financial Assets				
Staff Loans & advances	1,47,213.56	1,47,213.56	1,44,452.71	1,44,452.71
Total Financial Assets	1,47,213.56	1,47,213.56	1,44,452.71	1,44,452.71

i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances, security deposits, other receivables and payables are considered to be the same as their fair values, due to short term nature.

ii) The fair value of “Loans to employees” were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

iii) For financial assets and Liabilities that are measured at fair value, the carrying amount are equal to the fair values.

Fair Value hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

Fair Value hierarchy as on 31-03-2022 **(Rs. In Hundreds)**

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Staff Loans & advances	31st March 2022	-		1,47,213.56	1,47,213.56
		-		**1,47,213.56**	**1,47,213.56**

Fair Value hierarchy as on 31-03-2021

(Rs. In Hundreds)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Staff Loans & advances	31st March 2021	-		1,44,452.71	1,44,452.71
		-		**1,44,452.71**	**1,44,452.71**

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise of Grant and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/other entities that derive directly from its equity.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures. These financial risks are identified, measured and managed in accordance with the company's policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risks, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances, deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company, if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the Company's loans receivables from Implementing Agencies and other borrowers. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to Implementing Agencies and other borrowers.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk, the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.
- Significant changes in the expected performance and behaviours of the borrower (Implementing Agencies), including changes in the payments status of the borrowers (Implementing Agencies) in the group and changes in the operating results of the borrower (Implementing Agencies).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 1 year.

A default on a financial asset occurs when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the company's policy. Investment of surplus funds are made on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the Board of Directors. The company manages / maintains adequate banking facilities by continuously monitoring the forecast and actual cash flows as well as by matching the maturities of financial assets / liabilities.

Note :- 33

Allowances for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2022 **(Rs. in Hundreds)**

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Loans	-	-	-	-
		Interest on Loans	-	-	-	-
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	Loans	82,518.12	100%	82,518.12	-
		Interest on Loans	1,214.44	100%	1,214.44	
			83,732.56		**83,732.56**	**-**

Allowances for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2021 **(Rs. in Hundreds)**

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Loans	-	100%	-	-
		Interest on Loans	-	-	-	-
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	Loans	83,813.64	100%	83,813.64	-
		Interest on Loans	703.57	100%	703.57	
			84,517.21		**84,517.21**	**-**

Provision for Expected Credit Losses of Loans

a) As per the approved policy of the Corporation, provision is made against bad and doubtful loans as under:

Provision for Bad and Doubtful Loans

i. Provision is made for bad and doubtful loan(s), which is/are outstanding for more than 5 (five) years and is/are not secured by Government Guarantee/ Order/ Assurance etc. as on the date up to which the Balance Sheet is prepared.

ii. In the case of Non-Government Organizations (NGOs), provision for bad and doubtful loan(s) is made, if the amounts are overdue for more than three years as on the date of Balance Sheet, to the extent the overdue amount(s) is/are not secured against such security as provided in the policy of the Corporation. For this purpose, the value of security shall be limited to 25% of the loan amount, where Fixed Deposit Receipt (FDR) is provided as security and/or 40% of the loan amount, where Collateral Security is furnished as security, by the NGO, as the case may be.

iii. The provision is created to the extent of 100% of the loan (principal/interest past due for the period stated herein above) and not secured as stated above.

Note : 34

Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation of uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within next financial year.

a) useful lives of Intangibles

As described in note 2.8, company has estimated the useful live of intangible Assets

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

b) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured by valuation techniques including the DCF model. The inputs for these methods are taken from observable markets, wherever possible. But where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. See Note 29 for further disclosures.

Note : 35

Operating Segment reporting

The Corporation has only one Business segment and one Geographical segment, as it is engaged in providing loan assistance at concessional rate of interest for the benefit of Persons with Disabilities. Hence, segment information as per Ind-AS is not required to be disclosed.

Note : 36

(Rs. In Hundred)

DISCLOSURE OF RATIOS:	2021-22		2020-21		Increase / Decrease from Previous Year
Current Ratio:		992.35%		968%	0.24
Current Asset	2,83,63,677.60		2,94,58,651.26		
Current Liabilities	28,58,233.77		30,42,804.02		
Debt-Equity Ratio:		6.19%		6.21%	0.00
Total Liabilities	30,72,423.98		30,42,804.02		
Total Share Holder Equity	4,96,21,920.45		4,90,05,854.59		
Debt Service coverage Ratio		NA		NA	
Operating income					
Short term debt & current portion of long term debt					
Return on Equity Ratio:		1.24%		1.90%	-0.01
Net Income/surplus	6,16,065.86		9,29,096.52		
Share holder Equity	4,96,21,920.45		4,90,05,854.59		
Inventory Turnover Ratio:		NA		NA	NA
cost of Good sold	-				
Average Inventory for same period	-				
Trade Receivable Turnover Ratio:		NA		NA	NA
Net Sale	-				
Average account receivable	-				
Trade Payable Turnover Ratio:		NA		NA	NA
Average No. of Days for amount due	-				
Average no of days i.e. 365	-				
Net Capital Turnover Ratio:		2.15%		2.34%	0.00
Total sales /Revenue from Operation	10,65,577.55		11,45,473.96		
Share Holder Equity	4,96,21,920.45		4,90,05,854.59		
Net Profit/Surplus Ratio:		58.19%		80.42%	-0.22
Revenue-Cost	6,20,071.91		9,21,229.16		
Revenue	10,65,577.55		11,45,473.96		
Return on Capital Employed Ratio:		1.24%		1.89%	-0.01
Earning before intt. & tax	6,16,065.86		9,29,096.52		
Capital Employed (Total Asset-Current Liability)	4,98,36,110.66		4,92,14,733.33		
Return on Investment:		1.24%		1.89%	-0.01
Net Income/ Surplus	6,16,065.86		9,29,096.52		
Cost of Investment (Total Asset-Current Liability)	4,98,36,110.66		4,92,14,733.33		

Note : 37

Revenue from contracts with customers

The company has adopted Ind AS 115 “Revenue from contracts with customers” in accordance with requirement of applicable financial reporting framework. It has no material impact on financial statements of company.

Note : 38

Exemption under Reserve Bank of India Act, 1934

The Corporation is exempted from provisions of chapter III B of RBI Act, 1934 and other regulatory and prudential norms/directions of RBI vide RBI letter no. DNBR(PD)CO.352/03.10.001/2018-19 dated 16.08.2018. The Company has prepared its Financial Statements as per Ind AS.

Note : 39

Previous year’s figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with current year’s figures.

Note : 40

Approval of financial statement

The financials statements are approved by Board of Directors on 27/06/2022.

As per our Report of even date attached

For and on behalf of
M/s. Grover, Lalla & Mehta
Chartered Accountants

Sd/-
(CA Pankaj Bansal)
Partner
M. No.:502661
FRN: 002830N

Date: 27.06.2022
Place: New Delhi
UDIN:22502661ALSUVA3312

For and on behalf of the Board of Directors of National Handicapped Finance and Development Corporation

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Chairman-cum-Managing Director
DIN: 03633935

Sd/-
(R.K. Mishra)
Company Secretary

Form No. MGT-11

Proxy form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014*]*

CIN	:	U74140HR1997NPL033466
Name of the company	:	NATIONAL HANDICAPPED FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Registered office	:	RED CROSS BHAVAN, SECTOR-12, FARIDABAD-121007 (HARYANA)
Name of the member(s)	:	
Registered address	:	
E-mail Id	:	
Folio No/ Client Id	:	
DP ID	:	

I/We, being the member (s) of ……. shares of the above named company, hereby appoint

1. Name : ……
   Address : ……
   E-mail Id : ……
   Signature : ……., or failing him
2. Name : ……
   Address : ……
   E-mail Id : ……
   Signature : ……., or failing him
3. Name : ……
   Address : ……
   E-mail Id : ……
   Signature : ……..

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the ……..Annual general meeting/ Extraordinary general meeting of the company, to be held on the …… day of……. At……. a.m. / p.m. at…… (place) and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

1 ……

2 ……

3 ……....

Affix Revenue Stamp

Signed this..... day of…… 2022

Signature of shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

टीकमगढ़ में एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र का उद्घाटन के दौरान मंत्री जी
को ब्रीफिंग करते सीएमडी, एनएचएफडीसी

सूरजकुंड मेले में एनएचएफडीसी के स्टॉल का निरीक्षण करते
माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार जी

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेंट कार्पोरेशन

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

NATIONAL HANDICAPED FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan),
Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India)

सीआईएन/CIN: U74140HR1997NPL033466

Designed and Printed by Royal Press # 93101 32888